खण्ड-295, अंक-6
गुरूवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1894
(30 मार्च, 1972 ई0)

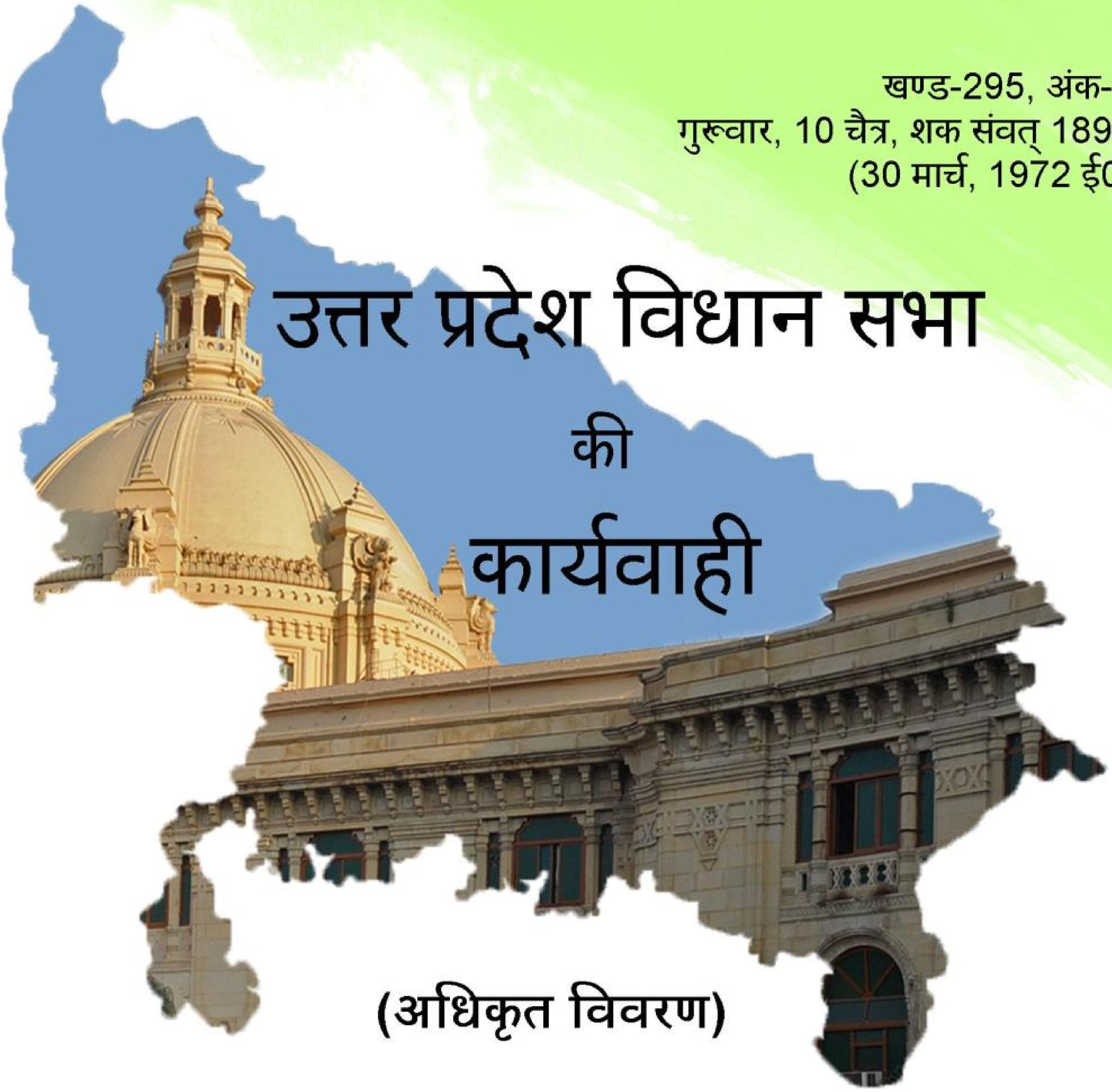

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 295 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४६५-४६९
प्रश्नोत्तर	४६९-५०९
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५०९
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५०९
२६ जुलाई, १९७१ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	५१०
६ जनवरी, १९७२ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	५१०-५११
हलवाइयों को कन्ट्रोल रेट पर चीनी देने के सम्बन्ध में वक्तव्य	५११-५१३
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, १९७२ (पुरःस्थापित किया गया)	५१३-५१४
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	५१४-५१५
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	५१५-५६२
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	५६२-५६४
नत्थियां	५६५-५९३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

'उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार ३० मार्च, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री बासुदेव की अध्यक्षता म आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८०

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुर गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैजा जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओमप्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णाकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जुदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण द्विवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुजन , श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवन्द्र नाथ मिश्र, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धमदत्त वद्य, श्री
धमवीर, श्री
धमवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धमवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री

बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बजनाथ ,श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ला, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुराज सिंह, चौधरी श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजित राम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री

रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन प्रसाद पाण्डे, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)

श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री राम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरासिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—पंचायतराज मन्त्री श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार ३० मार्च, १९७२

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

टहरी तथा सम्पूर्ण उत्तराखंड में मद्यनिषेध

**१—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी उत्तराखण्ड मद्य निषेध समिति का शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करने और शराबबन्दी आन्दोलन करने का नोटिस उनको मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने उस नोटिस के सन्दर्भ में क्या कदम उठाये हैं? क्या सरकार टेहरी तथा सम्पूर्ण उत्तराखंड में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

आबकारी उप-मंत्री (श्री राम पूजन पटेल)—

जी हां। इस संबंध में सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(१) टेहरी-गढ़वाल तथा पौड़ी-गढ़वाल क जिलाधिकारियों को दिनांक ३ फरवरी, १९७२ को यह आदश दिये जा चुके हैं कि शासन के अगले आदेश होने तक देशी शराब की दुकानों के नीलाम के संबंध में कोई कार्यवाही न की जाय।

(२) यू०पी० इक्साइज ऐक्ट, १९१० में उत्तर प्रदेश इक्साइज (संशोधन) अधिनियम १९७२ द्वारा आवश्यक संशोधन भी कर लिया है।

(३) चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ में पूर्ण मद्यनिषेध दिनांक १-४-१९६९ से लागू किया जा चुका है।

(४) टेहरी-गढ़वाल तथा पौड़ी-गढ़वाल जिलों में (नेशनल कार्बेट पार्क को छोड़ कर) मद्यनिषेध लागू करने पर मामला विचाराधीन है।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मैं माननीय मंत्रीजी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि ८ पर्वतीय जिलों में किस निश्चित तिथि से मद्यनिषेध लागू कर दिया जायगा ?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, निश्चित तिथि को इस समय बतलाना कठिन है लेकिन शीघ्रातिशीघ्र इस पर कार्यवाही करने का विचार है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय डूंगर सिंह जी ने उत्तराखंड के जिन ८ जिलों का जिक्र किया है, उनमें देहरादून भी आता है, क्या निश्चित रूप से अगले वर्ष से मद्य निषेध योजना लागू कर दी जायगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

देहरादून पर तो अभी कोई विचार नहीं हुआ अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उस पर भी विचार कर लिया जायगा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

इन आठ जिलों में जब यह मद्यनिषेध योजना लागू की जायगी तो उसमें सरकार को राजस्व का कितना घाटा होगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस वक्त तो सूचना नहीं है। लेकिन टेहरी और पौडी-गढ़वाल में इस समय इसको लागू किया जा रहा है, शेष अन्य जिलों में भी लागू किया जा रहा है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बमुकाबले मैदानी जिलों के पर्वतीय जिलों में अधिक मद्य पान होता है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मद्य निषेध को बिलकुल खत्म कर दिया गया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी खत्म करन पर शासन विचार कर रहा है, इसीलिये इसमें देर हो रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस पर अभी कोई विचार नहीं हो रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जिन जिलों में मद्य निषेध है क्या उनमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब का है अथवा विदेशी शराब चल रही है। क्या विदेशी शराब भी वह बन्द करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो होटल वगैरा है वहां तो बार का लाइसेंस है, बाकी देशी और विदेशी शराब की सेल होती है उस पर मद्यनिषेध है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने पूछा था कि क्या सरकार विदेशी शराब को बन्द करने पर भी विचार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो व्यापक और अलग सवाल है। मंत्री जी चाहें तो उत्तर द दें मैं उन्हें इसके उत्तर के लिये वाध्य नहीं कर सकता।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

विदशी शराब क मद्य निषेध का अभी कोई विचार नहीं है, यह नीति का प्रश्न है जब नीति तय हो जायगी तभी कुछ कहा जा सकता है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

उन जिलों के नाम क्या हैं जहां मद्य निषेध लागू किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उत्तर में दिया गया है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसमें पौड़ी-गढवाल, टेहरी-गढ़वाल, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृन्दावन, इलाहाबाद, वाराणसी मथुरा और अयोध्या है। अब टेहरी-गढ़वाल और पोढी-गढ़वाल में जहां हाईकोर्ट से खत्म किया गया था वहां अब लागू किया जा रहा है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

नीति शराब बन्द करने की है, इसमें देशी और विदेशी का सवाल नहीं है, अगर दोनों शराबों क विषय में अलग-अलग नीति बनान के विषय में विचार है तो क्या वह विलायती शराब को विलायती शराब न कहकर उसे आबेहयात कहेंगे ? अगर वह शराब है तो यह तो क्लेरिफाई कर दिया जाय कि वह भी शराब ही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न तो आप कर सकते हैं लेकिन वह आबेहयात है इसकी जानकारी मंत्री जी को कैसे होगी।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद में जो मद्य निषेध है वह खाली नगर में ही है या वहां के देहाती क्षेत्र में भी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वहां जो मद्य निषेध किया गया था वह उच्च न्यायालय के आदेश से अभी तो लागू नहीं किया गया है, उसकी सुप्रीमकोर्ट म अपील दायर की गई थी लकिन फिलहाल वहां मद्यनिषध ही है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

४-५ जिलों में ही मद्य निषेध करने से भ्रष्टाचार फैलेगा इस बात को सोचते हुये क्या सरकार का विचार सारे प्रदेश में मद्यनिषेध लागू करने का है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न की परिधि के बाहर है ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी-गढ़वाल और पौढ़ी-गढ़वाल में अगली पहली तारीख से मद्य निषेध हो जायगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पहली तारीख की बात तो कहना मुश्किल है लेकिन शीघ्रातिशीघ्र वह लागू किया जायगा ?

स्थानीय निकायों निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव

**२--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार स्थानीय निकायों से होने वाले आगामी द्विवार्षिक विधान परिषद् के चुनाव को स्थगित करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों और क्या यह सही है कि चुनाव स्थगित करने के लिये मुख्य मंत्री ने चुनाव आयोग को एक पत्र भी भेजा है जिसका उत्तर प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कब और क्या सरकार मुख्य मंत्री और चुनाव आयोग की पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

जी हां । गांव सभाओं के माह मई, १९७२ में चुने जाने वाले प्रधानों के मताधिकार का ध्यान रखते हुये इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग से संस्तुति की गई जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है । मुख्य मंत्री जी द्वारा आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा गया ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी उन पत्रों को, जो उन्होंने आयोग को लिखा और उनका जो उत्तर आया, पढ़ कर सुना देंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्.....

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर इतना स्पष्ट है कि वहां से जो उत्तर आया है उसमें संस्तुति को मान लिया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन्, निर्वाचन आयोग ने तिथि की घोषणा कर दी । उससे यह स्पष्ट होगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

प्रश्न में स्पष्ट कहा गया था कि क्या सरकार चुनाव आयोग के पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी, तो क्या आपकी टेबिल पर रख दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

स्पष्ट तो है । यह पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा नहीं भेजा गया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं भेजा तो उनको सरकार द्वारा तो भेजा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री ने नहीं भेजा है। यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भेजा है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यदि आप आज्ञा देंगे तो दोनों पत्र, जो यहां से भेजा गया और चुनाव आयोग का उत्तर आया सदन की मेज पर रख दूंगा। लेकिन यदि केवल उत्तर को ही पढ़ दूं तो आपको संतोष हो जायगा। यह उत्तर अंग्रेजी में है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको हिन्दी में पढ़ें ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपकी टेबिल पर न रखने के कारण इनकी चोरी मालूम हो गयी है। इनसे कहिये किये इस प्रकार की चोरी न करें।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

रोक दूंगा कि चोरी न करें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह इस प्रकार है : "कृपया अपने अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक १७ मार्च, १९७२ जो कि चीफ कमिश्नर (इलेक्शन) यू० पी० निवास, नई दिल्ली, को भेजा, उसको देखें। कमिश्नर इस बात से सहमत है कि जो प्रपोजल किया गया कि वे इस बात की इजाजत देता है कि लोकल अथॉरिटीज कान्सटीट्यूयेन्सीज के जो चुनाव होने हैं, वे आखरी अगस्त में या पहली सितम्बर में करा दिया जाय।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जिस पत्र को इन्होंने पढ़ कर सुनाने का प्रयास किया यह किस के हस्ताक्षर से गया था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जो पत्र आया है, केवल वह पढ़ा गया है।

श्री जगवीर सिंह—

जो पत्र यहां से भेजा गया वह किनके दस्तखत से गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यहां के इलेक्शन मुख्य निर्वाचन अधिकारी से।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

इस पत्र के यहां से भेजने के क्या मुख्य कारण थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसमें एक ही विचार था। जो यहां की गांव सभायें आदि हैं, उनके चुनाव हमारे यहां पर जून तक समाप्त होने वाले थे। ये गांव सभायें १२ साल कम स कम पुरानी हैं। लोकल बाडीज स जो चुनाव होने थे वे मई में समाप्त होन थ और जब वे मई में समाप्त हो तो गांवसभाओं के

चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है और १ महीने के अन्दर गांव सभायें नयी चुन जायेंगी। तो मुख्य चुनाव अधिकारी की समझ में यह बात आयी कि १२ साल से जो गांव सभायें मौजूद हैं और १ १/२ महीने में समाप्त होने वाली हैं, तीसरा चुनाव, २ ये कर चुकी हैं, भी इन्हीं से कराया जाय। और एक महीने के बाद जो ग्राम सभाओं का चुनाव हो वह छः छः वर्ष तक, पांच साल का टर्न होता है, पांच साल बीतने पर छठवें साल शुरू में हो जायेगा, तब चुनाव आया। यह मुनासिब नहीं होगा कि महीने दो महीने के लिये टाला जाय, नई ग्राम सभायें बनाई जायं, तब चुनाव करा दिये जायं। इस विचार से इलेक्शन कमीशन के सामने इसको रक्खा था और वह सहमत हुआ और इसलिये यह प्रक्रिया अपनाई गई।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

जहां तक लोकल बाडीज का सम्बन्ध है इसमें जो मतदाता हैं ग्राम सभाओं के प्रधान भी होते हैं, बी० डी० सी० और जिला परिषद् के भी होते हैं। ग्राम प्रधानों का तो चुनाव हो रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह चुनाव शीघ्र हो जाय तथा जो ब्लाक डेवलपमेन्ट कमेटीज हैं और जो परिषदें हैं उनके चुनाव तब तक सम्पन्न हो जायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, ये जून तक हो जायेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी यह भी आश्वासन देंगे कि इसी प्रकार से ग्राम सभाओं के चुनाव दोबारा स्थगित नहीं होंगे ताकि ये चुनाव आगे फिर स्थगित न करने पड़ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ये चुनाव निश्चित रूप से जून में हो जायेंगे। पहले स्थगित होते रहे हों तो होते रहे हों। ये चुनाव तो जनवरी में हो गये होते। लड़ाई की वजह से टल गये। ज्यों ही एमरजेन्सी खत्म हुई है यह प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी गई है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

क्या चुनाव आयोग ने कुछ लोगों के रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर लिखा है या स्वतः ही लिखा है ? और यदि ऐसा है, तो किन-किन लोगों के रिप्रेजेन्टेशन्स हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह रिप्रेजेन्टेशन का प्रश्न नहीं है। उन्होंने खुद इस बात को सरकार के ध्यान में लाये हैं और शासन ने उसको ठीक समझा और उनको अनुमति दी कि कहा जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण सवाल था। इस सवाल पर मुख्य चुनाव अधिकारी को विभिन्न राजनैतिक दलों की अनुमति या सहमति लेनी चाहिये थी। जैसे आमतौर पर इलैक्शन कमीशन लिया करता है। क्या मुख्य चुनाव अधिकारी ने राजनतिक दलों से इस सिलसिले से कोई सलाह ली है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसमें विभिन्न राजनैतिक दलों की कोई राय नहीं ली गई है। उसका कारण यह है कि माननीय कल्पनाथ सिंहजी ऐसा समझते हैं लेकिन ऐसा समझा गया था कि यह इतनी माकूल बात है कि यह निर्विवाद रहेगा और इसपर किसी को आपत्ति नहीं होगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस चुनाव की तिथि निश्चित कर दी गई है। नामजदगी की भी तिथि निश्चित कर दी गई थी। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा गया था, यदि हां तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उन्होंने नोटिफिकेशन भी नहीं किया था। नोटिफिकेशन हो गया होता तो नहीं टल सकता था। इसका नोटिफिकेशन नहीं किया था। यह प्रश्न इतना उचित था कि इसे उन्होंने स्वीकार किया।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(१) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बी० टी० सी० अध्यापक की जूनियर हाई स्कूल में नियुक्ति

*१--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आधारित विद्यालयों में सन् ६० से कार्यरत हाई स्कूल, इंटर, बी०ए०, एच०टी०सी०, अध्यापकों की पदोन्नति न करके उनके स्थान पर हाई स्कूल पास बी० टी० सी० अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में नियुक्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रम उपमंत्री (श्री सोहन लाल धुसिया)--

उत्तराखंड के राजकीय आधारित एवं राजकीय जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों का वेतन-क्रम समान है (८०--१२५) अतः आधारित विद्यालयों से जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति में पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न यह था कि क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आधारित विद्यालयों में सन् ६० से कार्यरत हाई स्कूल, इंटर, बी०ए०, एच०टी०सी०, अध्यापकों की पदोन्नति न करके उनके स्थान पर नये हाई स्कूल पास बी०टी०सी० अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में नियुक्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

मान्यवर, यहां पर मंत्री जी ने उन अध्यापकों के वेतन-क्रम का जिक्र किया है। इसके अलावा जो और सुविधायें होती हैं प्रधानाध्यापक बनाने का चांस होता है, क्या यह सही है कि जो आधारित विद्यालय हैं उनके अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में न नियुक्ति करके नये अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

मान्यवर, यह सही है कि सीधे चुनाव से जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है चूंकि इनका वेतन-क्रम एक ही है इसलिये सीधी नियुक्ति की जाती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, हमारे जिले की विशेष परिस्थिति को देखते हुये कि बेसिक स्कूल का जूनियर हाई स्कूल में और जूनियर हाई स्कूल का हाई स्कूल में उच्चीकरण किया जाता है तो क्या

सरकार की यह नीति है कि जो बेसिक स्कूल के क्वालीफाइड अध्यापक हैं तथा जो जूनियर हाई स्कूल के क्वालीफाइड अध्यापक हैं, उनको जब स्कूल का उच्चीकरण किया जाय तो उन्हीं अध्यापकों की पदोन्नति की जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, पहले यह स्कूल बार्डर विभाग के अन्तर्गत आते थे और उनकी देख-रेख उन्हीं के द्वारा होती है। अब उन्हें जिला परिषद् के अन्तर्गत लेने की योजना चल रही है। साथ ही यह निर्देश दे दिये गये हैं कि इन अध्यापकों के प्रमोशन आदि के बारे में एक निश्चित नियम बनाये जायं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी सिद्धांत रूप से यह स्वीकार करते हैं कि जो अध्यापक पहले से ही अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और स्कूलों के उच्चीकरण के बाद उन्हीं लोगों को विभागीय प्रमोशन देकर नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जैसे मैंने पहले ही निवेदन किया था कि यह निर्देश दिये गये हैं कि एक निश्चित नियम बना लिये जायं और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह सिद्धांत रूप में स्वीकार तो है ही।

उर्दू शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु स्वीकृत धनराशि

*२---श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६९-७० के बजट में उर्दू की तरक्की के लिये जो धन मंजूर किया गया था, वह रुपया किस तरह और कहां-कहां खर्च किया गया ?

श्री सोहन लाल धुसिया---

उर्दू शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु स्वीकृत धनराशि निम्नांकित मदों में व्यय की गई:---

(१) प्रदेश के स्थानीय निकायों के प्राथमिक स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति पर।

(२) उक्त स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों को २ रु० प्रति छात्र की दर से लेखन सामग्री एवं पुस्तकों के क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता देने पर।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि (१) जिन प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की नियुक्ति पर जो रुपया खर्च किया गया है वह कौन-कौन से स्थान हैं ? और (२) जो दो रुपये की छात्रवृत्ति तकसीम की गई है उनके कौन-कौन से जिले हैं और यह दो रुपया आया छात्रों को दिया गया है तो कोई रसीद ली गई है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तफसील का सवाल है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी---

मान्यवर, जो जवाब दिया गया है उसी के लिहाज से मैंने सवाल पूछा है कहिये तो अलग अलग कर लूं। माननीय मंत्री जी यह बतायें कि जिन प्राइमरी स्कूलों में जो रुपया खर्च किया गया है व कौन-कौन से स्थान हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, प्रायः कुछ जिलों को छोड़कर सभी हैं। बिजनौर, बरेली, बदायूं, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, सहारनपुर, प्रायः सभी जिले हैं कुछ जिलों को छोड़कर।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि जिन जिलों के नाम लिये गये हैं, उनमें ट्रेंड टीचर नहीं मिले हैं और इस दिक्कत को सामने रखते हुए क्वालीफाइड हाई स्कूल उर्दू में हैं या इंटरमीडिएट पास उर्दू में हैं की नियुक्ति करेंगे जिससे समस्या का समाधान हो सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, यह सही है कि ट्रेंण्ड उर्दू टीचर नहीं मिलते हैं, लिहाजा जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री राम कुमार शास्त्री---

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि उर्दू की तरक्की के वासते जो धन सरकार ने दिया है और अभी सवाल में जिक्र आया है कि विद्यार्थियों को दो रुपया वजीफे के रूप में मिलता रहेगा, तो क्या यह टेम्पोरेरी सहायता है ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

मान्यवर, यह सहायता उनको पुस्तकों के लिये तथा लेखन-सामग्री के लिये प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो धन वितरण हुआ है वह केवल जिला परिषदों के विद्यालयों के लिये ही हुआ है अथवा मकतबों को भी यह वितरित किया गया है ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

यह स्थानीय निकायों के विद्यालयों को जहां पर उर्दू की शिक्षा दी जाती है दिया गया है। इसके अतिरिक्त मकतबों को अलग से इसके लिये धन दिया जा रहा है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मान्यवर, १९६९-७० में कुल कितना धन इस सिलसिले में दिया गया और कितना धन खर्च हुआ ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

१९६९-७० में अध्यापकों की नियुक्ति के लिये १० लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ८४८ उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति हेतु ३,४४,६५३ रु० स्वीकार किया गया था। साथ ही २ रु० प्रति छात्र की दर से पुस्तकें तथा लेखन सामग्री को क्रय करने के लिये सहायता भी प्रदान की गई थी जो रु० ५५ लाख ४० हजार हुआ। २,१६,०६२ रु० उर्दू पढ़ने वाले छात्रों में वितरित किया गया और १,१६,१३० रुपया राज्यकोष में जमा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त १,९७,८०८ रु० के उपभोग की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राजित राम पांडेय---

मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि ५ लाख ४० हजार और २ लाख रुपया बांटा गया। जिन-जिन छात्रों को यह रुपय दिये गये क्या उसकी एजेंसी

सरकार के पास हैं । क्या सरकार इसको बता सकती है कि कहीं इसको बांटने में कोई घुटाला तो नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न अस्पष्ट है ।

श्री राजित राम पांडेय—

२, २ रुपया आपने दिया, क्या उसकी रसीदें आपके पास हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी रसीदें सरकार के पास कहां-कहां हो सकती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो एक या दो रुपया बांटा गया है उसकी रसीदें यहां पर कैसे हो सकती हैं ? पांडेय जी को मालूम है कि यह रुपया बांटा गया है और दिया गया है । यहां पर भी यही माना जाता है कि रुपया बंटा ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २ रु० छात्रों में तकसीम किया गया है वे कौन-कौन से जिले थे जिनमें यह तकसीम किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मायन्वर, जिन-जिन स्थानों पर स्थानीय निकायों के द्वारा उर्दू की शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है प्रायः उन सभी जिलों में इसको बांटा गया है । जैसे आगरा, अलीगढ़, बिजनौर आदि इसमें शामिल हैं ।

श्री राजित राम पांडेय—

यह रोजाना है, माहवार है या सालाना है यह बताना आवश्यक है ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पुस्तकें और लेखन-सामग्री साल में एक ही बार खरीदी जाती हैं रोजाना नहीं खरीदी जाती हैं ।

गन्ना उत्पादकों के देय गन्ना मूल्य की बकाया की वसूलयाबी

*३—श्री चन्द्रप्रतापनारायण सिंह (जिला देवरिया), श्री देवेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर) तथा श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादकों के देय मूल्यों को १९७०-७१ के बकाया की वसूलयाबी हेतु किन-किन मिलों के आकूपायर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गन्ना रेगुलेशन आफ सप्लाई ऐंड परचेज ऐक्ट, १९५३ की धारा १७(४) के अनुसार संबंधित जिलाधिकारी द्वारा बकाया मालगुजारी वसूल करने जैसी कोई कार्यवाही की गयी । तथा उपरोक्त आकूपायर में से कितने मिल मालिक थे और कितने मैनेजर इत्यादि ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

वर्ष १९७०-७१ में गन्ना उत्पादकों के देय गन्ना मूल्य बकाया की वसूली हेतु ४८ चीनी मिलों के आकूपायर के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये । उत्तर प्रदेश

गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७(४) के अनुसार संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा बकाया मालगुजारी वसूल करने जैसी कार्यवाही की गयी । उपरोक्त आकूपायर में से ३ मिल मालिक और शेष ४५ मैनेजर इत्यादि थे । उक्त ४६ चीनी मिलों के नाम तथा उनके आकूपायर का विवरण संलग्न तालिका 'अ' में दर्शाये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६५–५६६ पर)

श्री चन्द्रप्रताप नारायण सिंह––

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस समाजवादी युग में उत्तर के अनुसार ४५ मैनेजरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और सिर्फ ३ मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, तो क्या वह ऐक्ट में तब्दीली करेंगे कि मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ? एक साधारण किसान को आप ४ रुपये बकाया होने पर जल भज देते हैं लेकिन मिल मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं होता, सिर्फ मैनेजर बन्द किये जाते हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

हमारे यहां ७३ शुगर फैक्टरीज हैं जिनमें ६२ ज्वायन्ट स्टाक कम्पनीज हैं, जिन पर शेयरहोल्डर्स का कंट्रोल होता है, किसी एक आदमी का नहीं होता है । ५ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज हैं । सिर्फ ६ प्रोप्राइटरशिप में हैं, उनमें से ३ के विरुद्ध कार्यवाही हुई है । बाकी शुगर फैक्टरीज को मैनेजर्स चला रहे हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही हुई है ।

श्री शिवराज सिंह––

क्या सरकार बतलायेगी कि जिन ४५ चीनी मिलों में मिल अधिकारियों के विरुद्ध रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये गये हैं, उसके पूर्व सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि यह अधिकारी आकूपायर के पूर्ण अधिकार रखते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

यह जो आकूपायर निश्चित किये जाते हैं वह जिलाधीश तय करता है ।

श्री शिवराज सिंह––

ऐक्ट के अन्दर आकूपायर की परिभाषा यह है कि वह व्यक्ति जिसको मिल के मसलों को अंतिम रूप से निपटाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हो, वही आकूपायर हो सकता है । इन अधिकारियों को सर्वोच्च अधिकार नहीं हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि जिन आदमियों के विरुद्ध रिक्करी सर्टीफिकेट जारी किये गये ह उनको इन मिल के मसलों को निपटाने के अंतिम अधिकार प्राप्त हैं या नहीं ?

श्री राम गोपाल संड––

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आप आदेश दें कि मंत्री अध्ययन करके आयें और उचित उत्तर दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आप आदेश दें कि माननीय सदस्य पहले प्रश्न सुन लिया करें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह आकूपायर जिलाधीश तय करता है, तो मुख्य मंत्री जी बतलायें कि क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष––

मुख्य मंत्री जी श्री शिवराज सिंह के प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कौन आकूपायर है यह सोच समझकर तय किया जाता है । जिलाधीश करता है तो उसको सोच समझकर करता है । अब ऐक्ट में अमेंडमेंट किया गया है और उसके बाद से स्थिति भिन्न हो गई है ।

जो १९७१–७२ में गन्ना दिया गया है, उसके विषय में जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है, नये ऐक्ट के मुताबिक उसमें मिल मालिक और बैंकों, दोनों के बीच में समझौता होता है और उस समझौते के अनुसार चीनी की प्रति बोरा लागत बैंक में जमा कर देते हैं । हमारे प्रदेश में ७६ करोड़ रुपये का गन्ना लिया गया । ६९ करोड़ रुपये अब तक किसानों को दिये जा चुके हैं और जो ७ करोड़ रुपये बाकी हैं, इसलिये नयी नियम में कोई भी पैसा बाकी नहीं रहेगा ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

मान्यवर, मेरा उत्तर अभी नहीं मिला । अभी मंत्री जी ने बताया कि उसमें शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन मंत्री जी को शायद सूचना नहीं है कि उसमें चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर भी होते हैं । तो क्या मंत्री जी डाइरेक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

किसी से कोई बुराई तो है नहीं कि फलाने के खिलाफ जरूर कार्यवाही की जाय । जहां मुनासिब होगा, कानूनी दृष्टि से उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री शिवरतन सिंह—

क्या सरकार, इस बात को देखते हुये कि मिल मालिक कानून की गिरफ्त से बचने के लिये फर्जी आकूपायर बना रखते हैं, इस बात की छानबीन करने की कृपा करेगी कि अधिनियम के अनुसार "आकूपायर" बने और जो अधिनियम के अनुसार 'आकूपायर' न हों, उनको आकूपायर से निकाल दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यदि कोई सूचना माननीय सदस्य देंगे तो अवश्य विचार किया जायेगा । वैसे सब जगह तो ऐसा होगा नहीं, २/४ जगह हो सकता है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है कि क्या जिन मैनेजरों को नोटिस दी गयी है, वह ऐक्ट में अमेंडमेंट के बाद दी गयी है या पहले ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

रिकवरी सार्टीफिकेट पहले इशू किये गये थे ।

असरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का भविष्य निधि का अंश

*४—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि मेरठ जिले के अनेक गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (बालक, बालिका) ने अध्यापकों के भविष्य निधि का अंश नियमित रूप से जमा नहीं किया ? ऐसे कौन से तथा कितने विद्यालय हैं ? भविष्य निधि का धन जमा कराने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सोहन लाल धुसिया—

जी हां ।

२६ विद्यालय जिनकी सूची संलग्न है । संबंधित विद्यालयों के प्रबन्धकों/प्रशासकों को अप्रैल ७१ के पूर्व के प्राविधायी धन के अंश को जमा करने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका मेरठ द्वारा आदेश दिये गये हैं । प्रधानाचार्यों की बैठक में भी इस विषय पर विशेष बल दिया है । जिन विद्यालयों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६७ पर)

श्री रामगोपाल संड

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है। मंत्री जी ने कहा है कि विद्यालयों के प्रबन्धकों को इस प्रकार के आदेश गये हैं कि वे प्राविडेण्ट फण्ड भविष्य में जमा कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी । मान्यवर, प्रदेश के अनेकों विद्यालयों में यही धांधली हो रही है । तो क्या सरकार नीति संबंधित नियम बनायेगी कि जिससे मैनेजर यह भविष्य निधि जमा करने को वाध्य हों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

१९७१ के बाद नियमित रूप से यह जमा की जा रही है । इसके पहले अनेकों विद्यालयों के संबंध में शिकायतें है जिन पर विचार किया जा रहा है कि क्या निर्णय लिया जाय ।

बिठूर, जिला कानपुर के प्राचीन गंगा घाटों की मरम्मत

*५—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को यह मालूम है कि कानपुर जिले में बिठूर एक ऐतिहासिक स्थान है और वहां पर बहुत से प्राचीन खंडहर और गंगा के किनारे के घाट बड़ी ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या वहां के प्राचीन घाटों की मरम्मत के लिये शीघ्र कोई योजना बनायेंगे ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

जी हां ।

अभी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

जब सरकार ने उन घाटों का ऐतिहासिक महत्व मान लिया है तो क्या वह उनकी मरम्मत कराने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

सारे प्रदेश में कई स्थान चारों तरफ ऐसे हैं जो ऐतिहासिक महत्व के हैं और जिनकी हालत अच्छी नहीं है जहां मरम्मत की आवश्यकता है, किन्तु इतना धन उपलब्ध नहीं है कि सभी की मरम्मत करायी जा सके । फिर जहां तक बिठूर के घाटों का संबंध है, गंगा इन घाटों से काफी हट गयी है, इसलिये उनके बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

अगर वे घाट बनाने के काबिल नहीं हैं तो क्या सरकार पुरानी संस्कृति को मिटाने में लगी हुई है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रामगोपाल संड---

बिठूर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुये क्या भारत सरकार से कोई अनुदान लेने के लिये प्रयास किया गया ताकि उन घाटों का विकास हो सके, यदि कोई कार्यवाही की गयी तो उसे बताने की कृपा करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी । आपने जो सुझाव दिया है उसको देखा जायेगा और कार्यवाही की जायेगी । ऐसे अनेकों स्थान हैं हमारे प्रदेश में जो बड़े महत्व के हैं और पुराने हैं । हम पुरानी संस्कृति को मिटाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, प्रश्न आर्थिक सामने आ जाता है । जब तक विशेष रूप से कोई आर्थिक सहायता इसके लिये न मिले, इस दिशा में तेजी से कार्य करना संभव नहीं होता ।

*६---श्री पारसनाथ सिंह, श्री धूम प्रसाद, श्री मोहन लाल कपूर तथा श्री त्रिवेणी सहाय---
[२रे गुरुवार के लिये प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी मण्डल के मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन

*७---श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मंडल में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को जिनको अग्रिम बढ़ोत्तरी नहीं मिलती उनको अभी तक पुनरीक्षित वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सोहनलाल धुसिया---

जी हां । वेतन निर्धारण के निमित्त अपेक्षित पूर्ण सूचना विद्यालयों द्वारा विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध न कराये जाने के कारण ।

श्री रामनिहोर राय---

प्रश्नकर्ता को इसकी सूचना कब तक मिल जायेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसके लिये प्रयास किया जा रहा है और बराबर लिखा-पढ़ी जारी है और निर्देश दे दिये गये हैं कि इस कार्य को शीघ्र पूरा करें ।

श्री रामगोपाल संड---

जब इस तरह की गड़बड़ी हो तो सरकार को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है । तो क्या सरकार ऐसी स्थिति में प्रशासक नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

सरकार अध्यापकों की सहायता करने के लिये सदैव तत्पर रहती है और वह कर रही है । जो वेतन उनको मिलता रहा है वह दिलाने की व्यवस्था की जा रही है । उसको अंतिम रूप देने के लिये बहुत सी पत्रावलियों की जरूरत है जिसमें प्रबन्ध समितियों के सहयोग की जरूरत है । बहुत सी पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही हैं ।

श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार स्कूलों को प्रतिमाह अनुदान देने के बजाय पूरे साल का अनुदान एक साथ देने के प्रश्न पर विचार करेगी ताकि यह दिक्कत पैदा न हो ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आपका सुझाव है ।

बी० टी० सी० प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र हापुड़ के परीक्षक

*८—श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९७०–७१ की बी० टी०सी० की प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र हापुड़ के राजकीय दीक्षा विद्यालय में मुख्य परीक्षक कौन अधिकारी था तथा उसके द्वारा ली गई परीक्षा क्यों रद्द की गई ?

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

मुख्य परीक्षक कोई नहीं था । केवल दो परीक्षक थे । दो में से एक श्री अतर सिंह शर्मा के विरुद्ध छात्राध्यापकों द्वारा लगाये गये आरोप के कारण परीक्षा स्थगित की गई ।

इलाहाबाद जनपद के बेसिक स्कूलों का भवन एवं प्रारम्भिक स्कूलों की व्यवस्था

*९—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में कुल कितने ऐसे जूनियर बेसिक स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं हैं ? सरकार इन स्कूलों के भवन निर्माण के लिये क्या करने जा रही है ?

श्री सोहन लाल धुसिया—

ऐसे ३७१ जूनियर बेसिक स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं हैं । इनमें से २८ विद्यालयों को विगत दो वर्षों में तथा ११५ विद्यालयों को वित्तीय वर्ष १९७१–७२ में भवन निर्माण अनुदान दिया गया है ।

*१०—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर इलाहाबाद जनपद में कुल कितने नये प्रारम्भिक स्कूलों की व्यवस्था की जायेगी ? इन नये स्कूलों में विधान सभा क्षेत्र बारा को कितने आवंटित होंगे ?

श्री सोहन लाल धुसिया—

९ नये स्कूल । इनमें से २ स्कूल बारा क्षेत्र में खोलने का प्रस्ताव है ।

श्री सर्वसुख सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ३७८ जूनियर बेसिक स्कूल कब से बिना भवन के संचालित हो रहे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह तो अपने आप स्पष्ट है कि जब से यह विद्यालय प्रारम्भ हुए तब से चल रहे हैं । निश्चित तिथि की सूचना चाहिये ।

श्री सर्वसुख सिंह—

यह भी हो सकता है कि स्कूल बहुत पुराने हों और १०–२० साल से खंडहर के रूप में पड़े हुए हों और उनकी उपेक्षा की जा रही हो, क्या इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि .....

श्री उपाध्यक्ष—

यह काल्पनिक प्रश्न है ।

किशन लाल राजकुमार जूनियर हाई स्कूल आंवला, बरेली में गांधी जयन्ती

*११—श्री केशो राम (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशन लाल राम कुमार जूनियर हाई स्कूल आंवला (बरेली) के प्रधानाध्यापक ने राष्ट्रीय पर्व गांधी जयन्ती २ अक्टूबर, १९७१ को स्कूल में न मनाकर स्कूल में पढ़ाई की । यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

विद्यालय में २ अक्टूबर, १९७१ को गांधी जयन्ती नहीं मनाई गई लेकिन पढ़ाई भी नहीं हुई ।

*१२—श्री केशोराम (अनुपस्थित)—

क्या इस संमंध में कोई सूचना उक्त स्कूल के ६ अध्यापकों द्वारा शासन व विभाग को मिली ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां, जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली द्वारा जांच की गई ।

जिला परिषद्, उन्नाव के अप्रशिक्षित अध्यापकों की तदर्थ वेतन वृद्धि

*१३—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला परिषद उन्नाव के विद्यालयों के अप्रशिक्षित संस्कृत अध्यापकों को प्रदान की गई तदर्थ वेतन-वृद्धि के पांच रुपये मार्च, १९७१ से देना बन्द कर दिये गये हैं और इससे पूर्व दिये गये वेतन से भी दिनांक १ जनवरी १९६९ से कटौती करके वापस लिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

अप्रशिक्षित अध्यापकों को १० रु० प्रतिमाह तदर्थ वृद्धि स्वीकृत थी । किन्तु जिला परिषद्, उन्नाव ने गलती से १५ रु० देना आरम्भ कर दिया । अतः ३ रु० की अधिक भुगतान की धनराशि उनसे वापस वसूल की जा रही है ।

जिला परिषद्, शाहजहांपुर के जूनियर बेसिक स्कूलों में उर्दू की तरक्की हेतु वितरित धन

*१४—श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री कृष्णानन्द राय (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६८-६९, १९६९-७० व १९७०-७१ में कितना-कितना रुपया जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहांपुर को उर्दू की तरक्की हेतु जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों में वितरण हेतु अनुदान के रूप पर शासन द्वारा दिया गया ?

श्री सोहन लाल धुसिया—

अनुदान जूनियर हाई स्कूलो के लिये नहीं वरन् जूनियर बेसिक स्कूलों के लिये स्वीकृत हुआ था, जिसका विवरण निम्नवत् है :—

१९६८-६९	..	..	शून्य
१९६९-७०	..	..	७,२९४ रु०
१९७०-७१	..	..	३,३६० रु०

*१५—श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री कृष्णा नन्द राय—

क्या सरकार यह भी बतान की कृपा करेगी कि क्या नियमानुसार उर्दू की तरक्की हेतु सरकार से प्राप्त अनुदान सन् १९६९ से १९७१ तक जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहां-

पुर द्वारा स्कूलों को समय से वितरित किया गया ? यदि नहीं, तो क्योंऔर क्या यह भी सही है कि वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक ने अनुदान का रुपया राजकीय खजाने से निकाल कर मार्च, १९७१ तक अपने पास रखा ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सोहन लाल धुसिया—

जी हां, १९७०-७१ में स्वीकृत अनुदान तो समय से वितरित कर दिया गया। किन्तु १९६९-७० में स्वीकृत ७,२९४ रु० में से ६,२९४ रु० समय से वितरित नहीं किया गया, यह धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ३१ मार्च, १९७० को राज्य कोष से निकाली गई परन्तु समयाभाव के कारण वितरित न हो सकी और ३१ अगस्त, १९७१ को राज कोष में जमा की गई। इस गलती के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इसमें आप देखें, ३१ मार्च, ७० को धनराशि निकाली गई ६,२९४ रुपए और यह जमा ३१ अगस्त, ७१ को की गई यानी एक वर्ष ५ महीने बाद, तो इतने दिन तक उन्हें समय नहीं मिला। तो क्या इससे यह नहीं निकलता है कि उनकी नियत साफ नहीं थी और गबन करने का विचार था, इसलिए क्या उनके खिलाफ ४०९ और ४२० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस धनराशि के वितरण के लिये जो सूचना जिला परिषद् से उपलब्ध होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी और यह रुपया जिला विद्यालय निरीक्षक के पर्सनल लजर-पर्सनल कस्टडी में पड़ा रहा और अंत में जब सूचना नहीं आई तो डिप्टी डाइरेक्टर के आदेश पर वह जमा कर दिया गया।

श्री रियासत हुसेन—

यह उर्दू का रुपया जो उनको खर्च करना चाहिये था उस अधिकारी ने अपने पास रखा, इससे सरकार की उस पालिसी को नुकसान पहुंचा जो वह उर्दू की तरक्की के लिए करना चाहती है और दूसरी तरफ उसका मिसएप्रोप्रिएशन हुआ, तो क्या इन डी० आई० ओ० एस० के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही पुलिस द्वारा करने की कृपा करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस संबंध में संबंधित डिप्टी डाइरेक्टर को आदेश दिये गये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र इसकी जांच करके विस्तृत व्याख्या शासन के सामने प्रस्तुत करें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह जो रुपया १ साल ५ मास इंस्पेक्टर आफ स्कूल के पास अनअथोराइज्ड वे में पड़ा रहा, यह सरकार की नोटिस में कब आया और कब सरकार न आदेश दिये कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इसकी निश्चित तिथि नहीं मालूम है। जिला परिषद् से आवश्यक सूचनायें जिला विद्यालय निरीक्षक ने मांगी थीं, और डिप्टी इंस्पेक्टर उनको देने में समर्थ नहीं हो रहा था। तब उन्होंने डिप्टी डाइरेक्टर को सूचना दी और उनके आदेश से रुपया जमाकर दिया गया।

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जैसा कि माननीय मन्त्री ने कहा कि समयाभाव के कारण यह पैसा नहीं बट सका, जब यह साबित हो चुका है कि समयाभाव के कारण कर्मचारियों के आलस्य के कारण नहीं बट सका,

तो डिप्टी डायरेक्टर को जांच में देने की क्या जरूरत है, क्या मन्त्री जी सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल उचित कार्यवाही शासन से करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो कहा है कि उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री रामविलास पांडेय—

उसे दन्ड देंगे ? यह तो साबित हो चुका है। १५ लाख रुपया उत्तर प्रदेश में उर्दू जबान की तरक्की देने के लिये रखा है। पहले प्रश्न के जवाब में आया कि काफी रुपये भेजे गये, केवल शाहजहांपुर में इतने रुपये भेजे गए। उर्दू जबान की तरक्की के प्रति क्या यह सरकार की उदासीनता नहीं रही है ? अगर सरकार सख्त कार्यवाही नहीं करती है तो भविष्य में उर्दू जबान की तरक्की हरगिज नहीं हो सकेगी।

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

एक तो मन्त्री जी ने यह कहा कि समयाभाव के कारण रुपया नहीं बट सका, दूसरे उन्होंने यह कहा कि जिला परिषद् से रिपोर्ट उनके डिप्टी इंस्पेक्टर ने नहीं दी इसलिए नहीं बट सका, दोनों में कौन सी बात सही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, उसी फाईनेंशल इयर में बट सकने का कारण यह था कि क्योंकि सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकीं, न बट सकने का कारण सूचना न एकत्र होना है, समयाभाव तो है ही। ३० मार्च को रुपया निकाला गया ३१ मार्च तक खर्च करना था। जब तक विस्तृत और सही सूचना जिससे धन का दुरुपयोग न हो सके न आ जाय रुपया बांटना उचित भी नहीं था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिला अधिकारी का भी ध्यान दिलाया कि उनके मातहत जो उप निरीक्षक काम कर रहे हैं उन्होंने सूचना नहीं दी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न थ्योरे का हो गया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिला अधिकारी का भी ध्यान दिलाया कि सूचना उसके कार्यालय से नहीं मिल रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इन्हीं सब तथ्यों की जांच करने के लिये निर्देश दिये गये हैं और उस सम्बन्ध में जांच हो रही है।

कोटा बाग, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को जिला परिषद् नैनीताल को हस्तान्तरित किया जाना

*१६—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला नैनीताल के अन्तर्गत कोटा बाग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सन् १९६७ में जिला परिषद् के उत्तरदायित्व

में हस्तान्तरित किया गया तथा ४ साल से जिला परिषद् द्वारा छात्रों तथा जनता से प्राप्त धनराशि संस्था के बन्धक के नाम पास बुकों में जमा होती जा रही है तथा भवन निर्माण का पैसा प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य द्वारा अनियमित रूप से व्यय किया गया ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

यह सही है कि कोटाबाग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो पहले व्यक्तिगत प्रबन्ध द्वारा संचालित था, वर्ष १९६७ से जिला परिषद् नैनीताल को हस्तान्तरित हुआ। यह भी सत्य है कि छात्रों तथा जनता से प्राप्त धनराशि संस्था के प्रबन्धक के नाम पास बुकों में जमा की गई। जहां तक भवन निर्माण के पैसे का प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य द्वारा अपव्यय का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जांच जारी है।

*१७---श्री इन्द्र लाल (अनुपस्थित)---

क्या यह सच है कि जनता की प्रार्थना पर वहां का रिकर्ड जांच हेतु सील हो गया, किन्तु मौके पर छानबीन हेतु कोई अधिकारी नहीं पहुंचा ? यदि हां, तो कब तक हो जायंगी?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जनता की प्रार्थना पर वहां का रिकर्ड सील किया गया, परन्तु यह सत्य नहीं है कि जांच करने हेतु कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। जांच करने हेतु जिला परिषद् के कार्याधिकारी एवं वित्त अधिकारी को भेजा गया। उक्त दोनों अधिकारियों की जांच आख्याओं पर कार्यवाही जारी है।

राय बद्रीपाल सिंह इन्टर कालेज, प्रतापगढ़ के अध्यापकों का बकाया वेतन

*१८---श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ के अन्तर्गत राय बद्रीपाल सिंह इण्टर कालेज के अध्यापकों का कितना और किनका वेतन १९६२ ई० से बकाया है ? क्या सरकार यह बकाया वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सोहन लाल धुसिया---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामदेव---

क्या सरकार को इस बात की निश्चित जानकारी है कि राय बद्रीपाल सिंह इण्टर कालेज, प्रतापगढ़ के अध्यापकों का वेतन १९६२ से आज तक कुछ भी बकाया नहीं है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

१९६२ से ६४ तक किसी अध्यापक का कोई वेतन अवशेष नहीं है। १९६५ से ७० तक ६१,८३९ रुपये वेतन के रूप में शेष हैं।

श्री रामदेव---

क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि यह जो इतनी बड़ी धनराशि अध्यापकों के वेतन के रूप में अवशेष है उसे बेचारे अध्यापकों को किसी प्रकार से दिलाई जा सके ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

वर्तमान पद्धति के आधार पर १ अप्रैल, ७१ से शासन की जिम्मेदारी है। इसके पहले स्कूलों को अनुदान स्वीकृत होते थे और वतन वितरण का उत्तरदायित्व प्रबन्धकों और प्रबन्ध समितियों पर होता था। इस प्रकार की कई समस्यायें हैं जिन पर शासन विचार कर रहा है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

इतनी बड़ी धनराशि अल्पवेतन भोगी अध्यापकों की वेतन के रूप में अवशेष है तो एकमुश्त चाहे ६१ हजार रुपया अध्यापकों को न बाटा जाय, किस्तों में ही उनका बकाया वेतन दे दिया जाय।

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

मैंने सदन को अभी यह सूचना दी थी कि शासन इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है और जल्दी ही इस पर कोई निर्णय लेने के प्रयास में वह है।

श्री रामदेव—

अध्यापक अब क्या कार्यवाही करें जब मैनेजर उनको उनका बकाया वेतन देने से इंकार कर देते हैं?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

मिर्जापुर जिले के प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों का यात्रा भत्ता

*१९—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के समस्त (एस० डी० आई०) प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों को पिछले दो वर्ष से यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों? क्या उसके भुगतान हेतु अविलम्ब आदेश प्रसारित किया जायगा?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

केवल निम्नलिखित अवधि के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान अभी तक नहीं हो सका:—

(१) नवम्बर, १९६९ से मार्च, १९७०।

(२) मार्च से दिसम्बर, १९७१।

नवम्बर, १९६९ से मार्च, १९७० की अवधि के १८,५०० रुपये के यात्रा भत्ता बिल १ वर्ष से अधिक पुराने होने के कारण प्री आडिट के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजे गये हैं। उनका भुगतान प्री आडिट के बाद हो सकेगा।

मार्च, से दिसम्बर १९७१ के ३७,२६३ रु० २५ पैसे के बिलों का भुगतान धन न होने के कारण नहीं हो सका। शिक्षा निदेशक ने अतिरिक्त धन की मांग की है और उस पर विचार हो रहा है। धन उपलब्ध हो जाने पर इन बिलों का भुगतान हो सकेगा।

गोरखपुर जिले के विद्यालयों में वेतन का भुगतान

*२०—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतान की कृपा करेंग कि जनपद गोरखपुर के कितने विद्यालयों में माह अगस्त, १९७१ ई० से पिछले माह का वेतन अगले माह की बीस तारीख को भुगतान नियमित होता आया है? इस प्रकार का कोई राज्यादेश भी है? यदि हां, तो जहां आदेशानुसार भुगतान नहीं हुआ वहां की मूल रूप के कठिनाइयां क्या रही हैं और इस कठिनाई को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

६ विद्यालयों में।

जी हां। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज अधिनियम, १९७१ (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वतन का भुगतान) मूल कठिनाइयां:—

१—विद्यालयों द्वारा समय से अनुदान एवं वेतन बिलों को न प्रस्तुत करना।

२—ट्रेजरी द्वारा अनुदान की पारित बिलों का सम्बन्धित बैंक द्वारा विलम्ब से कलेक्शन होने के कारण संयुक्त वेतन वितरण खाते में समय से धनराशि का न जमा होना।

३—वेतन वितरण खाते में समय से शुल्काय राजकीय अनुदान एवं क्षतिपूर्तियों को जमा न होने से वेतन वितरण हेतु आवश्यक धनराशि का अभाव होना।

उक्त अधिनियम की धारा ५, ६ तथा ११ के अन्तर्गत वेतन वितरण में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं जिनका अनुपालन कराने का प्रयास किया जाता है। प्रारम्भिक कठिनाइयों को देखते हुए बहुत कड़ाई नहीं की जा सकी है, पर आगे स्थिति को हर सम्भव प्रयत्न से सुधारने की चेष्टा करने का शासन का विचार है।

प्रदेश के शुगर मिल श्रमिकों सम्बन्धित द्वितीय वेतन मंडल की सिफारिशें

*२१—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय वेतन मन्डल शुगर व्यवसाय के सिफारिशों को प्रदेश के शकर मिलों में लागू करने हेतु शासन का आदेश कब प्रसारित किया गया था? कितने शुगर मिलों को प्रबन्धकों ने राजाज्ञा में निर्धारित समय के भीतर श्रमिकों को बढ़ोत्तरी की धनराशि का भुगतान नहीं किया था? उनके नाम क्या हैं और राजाज्ञा की अवहेलना करने के आरोप में शासन ने किन-किन मिलों पर वैधानिक कार्यवाही की है?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

शासन का आदेश २७ नवम्बर, १९७० को प्रसारित किया गया।

पुनरीक्षित दर पर वेतन निर्धारित समय के भीतर ४२ चीनी मिलों ने जिनकी सूची सदन की मेज पर रखी है, भुगतान नहीं किया था।

पुनरीक्षित वेतन क्रमों के अनुसार बकाये धन का भुगतान निर्धारित समय पर किसी भी मिल ने नहीं किया।

रजा बुलन्द शुगर कम्पनी, रामपुर के ऊपर बकाये धन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में अभियोग चलाया गया था।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६८-५६९ पर)

प्रदेश के शकर मिल संगठनों की मांग

*२२—श्री सूरज लाल गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि किन-किन शक्कर मिलों के संगठनों ने १ १ जनवरी, १९७१ से ३१ मई, १९७१ तक की तिथियों के बीच अपने-अपने जिलाधिकारियों को कोर्ट स्टेम्प सहित प्रार्थना-पत्र देते हुए प्रबन्धकों पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १४, १५ तथा १६ के अन्तर्गत कार्यवाही करने की मांग की थी? यदि हां, तो श्रमिक संगठनों एवं प्रार्थीगण के नाम क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

तुलसीपुर शुगर मिल्स, तुलसीपुर, गोंडा तथा हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला गोकरन नाथ खीरी।

श्रमिक संघ चीनी मिल, तुलसीपुर व भारतीय मजदूर यूनियन, गोला गोकरननाथ खीरी।

जिलाधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

साठ वर्षीय सिविल डिफेंस वार्डन

*२३—श्री लालन शर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या शासन को इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि साठ वर्ष से अधिक आयु वाले सिविल डिफेंस वार्डेन यू० पी० में सचमुच हवाई हमले होने के वक्त चूंकि जनता के लिये बेकार साबित होंगे ? अतः उन्हें जनहित में हटाकर उनके स्थान नवयुवकों को दिये जाने चाहिये ? यदि हां, तो सरकार इस विषय पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

[३० मार्च, १९७२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में पर्वतीय विकास निगम

*१—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास निगम में उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी पूंजी लगी है तथा इस निगम को कब पंजीकृत किया गया ? इस के अध्यक्ष व प्रबन्ध संचालक तथा संचालक मंडल में कौन-कौन व्यक्ति हैं ? क्या निगम ने सन् १९७१, मार्च से सन् १९७२, मार्च तक किसी तरह का व्यापार तथा कारोबार का कार्य किया ? यदि हां, कौन-कौ-सा व्यापार तथा कारोबार किया गया और उनमें कितनी-कितनी पूंजी लगाई गई ?

नियोजन उपमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ५० लाख रु० की पूंजी लगायी गई है। निगम का पंजीकरण ३० मार्च, १९७१ को हुआ। निगम के अध्यक्ष, प्रबन्ध संचालक तथा संचालक मंडल के अन्य सदस्यों के नामों की सूची संलग्न है।

निगम ने अप्रैल, सन् १९७१ से व्यापार तथा कारोबार की दिशा में निम्नलिखित दो कार्य किये :—

(१) फलों के मौसम में ३,००० कि० ग्रा० सेव ५,३९२ रु० का खरीदा और उसकी बिक्री से १,२६९.१२ पै० का लाभ हुआ। उक्त व्यवसाय प्रयोगात्मक रूप से किया गया था।

(२) निगम ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यात्रा के लिये पैकेज टुअर्स की एक योजना १,७७,४१५ रु० की पूंजी लगाकर पिछले यात्राकाल में चलाई थी किन्तु प्राकृतिक प्रकोप के कारण यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो जाने से इस योजना का कार्यान्वयन स्थगित कर देना पड़ा।

(देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ ५७० पर)

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

जो यह संचालक मंडल की सूची बनाई गई है और उसमें केवल सरकारी अधिकारी हैं तो क्या सरकार जन प्रतिनिधि और इस सदन के सम्मानित सदस्यों को भी उसमें स्थान देने की कृपा करेगी ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, सूची संलग्न की जा चुकी है और उसके अलावा जो सुझाव आयगें तो उन पर विचार किया जायगा।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

पर्वतीय पैकेज टूर प्रोग्राम जो बना था उसमें साल भर कितना घाटा हुआ और क्या प्राकृतिक कारणों के अलावा कोई और शिकायतें भी सरकार को मिलीं ? .....

श्री उपाध्यक्ष—

पहले माननीय मन्त्री जी दूसरे सवाल का भी उत्तर दे दें। .....

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, इस पैकेज प्रोग्राम में ६६ हजार रुपये की क्षति हुई है।

पर्वतीय विकास परिषद् एवं विकास निगम की देख-रेख हेतु मन्त्रालय

*२—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास परिषद् तथा पर्वतीय विकास निगम की देख-रेख के लिये एक अलग मन्त्रालय की स्थापना का निश्चय किया है ? यदि हां, तो इसका काय-सचालन किस प्रकार से होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जो ४५ हजार रुपये का घाटा एक वर्ष के लिये बताया जाता है उसमें लागत पूंजी का कितने प्रतिशत घाटा हुआ और जो शिकायतें मिलीं उनके ऊपर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह सवाल तो दूसरा ही है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रथम प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में प्रश्न पूछें ?

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि २५ लाख रुपये की लागत से यह निगम चालू किया गया है तो उसमें सरकार की तरफ से कुल कितनी धनराशि लगा दी गई थी ? और इस साल उसकी कितनी कपेसिटी होने जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके उत्तर में उन्होंने "जी नहीं" कहा है।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

आप पहले प्रश्न के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने की आज्ञा तो देंगे ही ?

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न भी आप का ही है। पहला तो खत्म हो गया, आप दूसरे प्रश्न पर बोलें ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार पर्वतीय विकास परिषद् तथा पर्वतीय विकास निगम की देखरेख के लिये एक अलग मन्त्रालय की स्थापना पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अलग विभाग तो नहीं है किन्तु यह विभाग तो मुख्य मन्त्री के अधीन होता है और मुख्य सचिव उसके सचिव होते हैं किन्तु इस दृष्टि से कि इसमें कार्य शीघ्रता से किया जाय एक हमारे राज्य मन्त्री के जिम्मे यह काम दिया गया है ताकि वह इस मामले को देखा करें और जो कार्य सामने आता है, उसे तेजी के साथ चलाने में समर्थ हों।

महिला ट्रेनिंग कालेज, देहरादून का आडिट

*३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि देहरादून के महिला ट्रेनिंग कालेज (डी० डब्लू० टी० कालेज) में पिछले वर्ष १९७१ के अन्तिम तीन माहों में कोई आडिट हुआ ? यदि हां, तो आडिटरों का दल कहां ठहरा, उनकी व्यवस्था ठहरने आदि की जिन्होंने की तथा क्या उन्होंने महिलाओं के कालेज में शराब भी पी और इस प्रकार की शिकायत सरकार को मिली ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

आडिटरों का दल उस महाविद्यालय की एक कक्षा कक्ष में ठहरा । ठहरने की व्यवस्था कालिज के अधिकारियों ने की । शासन के पास कोई ऐसी शिकायत इससे पूर्व नहीं आई थी कि आडिटरों ने कालिज में शराब पी । इस मामले की जांच उप शिक्षा निदेशक द्वारा की जा रही है कि क्या आडीटरों ने कालिज में शराब पी और यह कि उनके खाने और ठहरने पर जो खर्च हुआ उसका भुगतान किसने किया ।

देहरादून के मिश्री लाल को प्रथम अपराधी लाभ

*४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक २५ अक्तूबर, १९७१ जो देहरादून के सिटी मैजिस्ट्रेट ने मिश्री लाल नाम के कई बार दंडित व्यक्ति को प्रथम अपराधी का लाभ देकर छोड़ दिया जबकि वही मैजिस्ट्रेट इसी व्यक्ति को अपने ही निर्णय से पहले सजा भी दे चुका है ? यदि हां तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । दिनांक २५ अक्तूबर, १९७१ को देहरादून के सिटी मैजिस्ट्रेट ने धारा १६० भारतीय दंड संहिता, के अन्तर्गत एक मुकदमे में श्री मिश्री लाल नाम के एक अभियुक्त को प्रथम अपराधी का लाभ देकर एक साल के लिये अच्छे चाल-चलन पर छोड़ा। इसी न्यायालय से इस व्यक्ति को दिनांक २० मार्च, १९७१ को उपरोक्त धारा के अन्तर्गत एक अन्य मामले में ५० रुपये जुर्माने की सजा हुई। चूंकि चालानी रिपोर्ट में इस अभियुक्त की पिछली सजायें दर्ज नहीं थीं तथा न्यायालय को इसके विषय में कोई सूचना नहीं दी गई थी, अतएव निर्णय लेते समय पिछली सजाओं पर न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। जिस कर्मचारी की लापरवाही के कारण चालानी रिपोर्ट में पिछली सजायें दर्ज नहीं की गईं उसकी चरित्र पंजी में एक चेतावनी अंकित कर दी गई है तथा भविष्य में ऐसी त्रुटियों की रोक थाम के लिये पुलिस अधीक्षक ने उचित आदेश जारी कर दिये हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बरेली के सिनेमा घरों पर इन्टरटेनमेंट टैक्स का बकाया

*५—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिनेमा घरों पर सरकार का कुल कितना इण्टरटेनमेंट टैक्स वर्ष १९७०-७१ का बकाया है और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बरेली के सिनेमाघरों पर वर्ष १९७०-७१ का सरकार के मनोरंजन कर का कोई बकाया नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

*६—श्री जंगबहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मन्त्री यह अवगत कराने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में अभी तक नये वेतनमान में मुद्रण अधीक्षक द्वारा सृजित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं हुआ है ? क्या यह भी सत्य है कि १९६५ में लागू वेतन अभिनवीकरण समिति के समक्ष उपरोक्त पद का उल्लेख विभाग द्वारा नहीं किया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि राज्यादेश संख्या २८४१ पी०एस०/१८-जी, दिनांक २० जनवरी, १९७० द्वारा एक लिपिक का वेतन नये वेतन मान में निर्धारित करके समस्त लाभांशों का भुगतान किया गया है ? तथा अन्य सम्बन्धित लिपिकों की अपेक्षा की गई है ?

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

जी हां। राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ में मुद्रण अधीक्षक द्वारा स्वीकृत सृजित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों का नये वेतनमान में वेतन निर्धारण नहीं हुआ है। १९६५ में लागू वेतन अभिनवीकरण समिति के समक्ष उपरोक्त पदों का उल्लेख विभाग द्वारा नहीं किया गया था। शासनादेश संख्या २८४१ पी०एस०/१८-जी, दिनांक २० जनवरी, १९७० द्वारा एक लिपिक, श्री भान् प्रकाश गुप्त का वेतन नये वेतनमान में निर्धारित करके समस्त लाभांशों का भुगतान किया गया है। अन्य सम्बन्धित लिपिकों की उपेक्षा नहीं की गई है। उनका मामला शासन के सक्रिय विचाराधीन है।

*७—श्री जंगबहादुर सिंह—

यदि हां, तो क्या सरकार यह अवगत कराने की कृपा करेगी कि इस उदासीनता और उपेक्षा के फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारियों को जो आर्थिक हानि सहन करनी पड़ रही है और उस आर्थिक हानि का मुआवजा सरकार जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल करने का विचार करेगी ? कब तक सरकार सम्बन्धित कर्मचारियों का वेतन नये वेतनमान में निर्धारित कराकर समस्त देय लाभांशों का भुगतान कराने का आदेश करेगी ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

सम्बन्धित लिपिकों का वेतन नये वेतनमान में निर्धारित करने का मामला शासन के सक्रिय विचाराधीन है। किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराकर मुआवजा वसूल करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। मामले में निर्णय होने पर सम्बन्धित कर्मचारियों को समस्त देय लाभांशों का भुगतान करने हेतु आदेश निकाले जायेंगे।

आजमगढ़ जिले का पुलिस पुनर्संगठन

*८—श्री लालता (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के पुलिस पुनर्संगठन अभी तक न किये जाने का स्पष्ट कारण क्या है? क्या गत वर्ष १९६९ में हुए भयंकर साम्प्रदायिक दंगे मऊनाथ भंजन तथा १९७१ में हुए भयंकर मुड़ियार कान्ड को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़

जिला का पुलिस पुनर्गठन मुख्य मन्त्री यथा शीघ्र करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आजमगढ़ जिले के थानों का पुनर्संगठन योजना के तृतीय चरण में होना है । इसके कार्यान्वियन के लिये आवश्यक पदों के विषय में अभी विचार विमर्श हो रहा है।

आजमगढ़ जिले में मऊनाथभंजन में एक थाना पहले से ही स्थापित है।

इस जिले के थानों की पुनर्संगठन योजना में कोपागंज एवं मेहनगर में नये थाने स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। मुड़ियार कान्ड के विषय में राजस्व परिषद् के सदस्य की रिपोर्ट प्राप्त होने और उस पर शासन द्वारा विचार होने के उपरान्त ही इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता पर विचार किया जायगा। इस समय मुड़ियार में एक अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित है जिसमें एक सब इन्सपेक्टर एक हेड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल, सिविल पुलिस, नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त एक सशस्त्र है ५ कांस्टबिल तथा चार सशस्त्र कांस्टेबिल वहां नियुक्त है ।

हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के डिवाइन लाइट मिशन की कार्य विधियां

*९---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के डिवाइन लाइट मिशन के बालयोगेश्वर की कार्य विधियों की ओर शासन का ध्यान गया है जिसके कारण राष्ट्रद्रोही, शांति भंग एवं अराजकता फैलने का खतरा है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के डिवाइन लाइट मिशन की कार्यविधियों की जानकारी शासन को है, परन्तु ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिसके आधार पर राष्ट्र द्रोही, शांति भंग एवं अराजकता उत्पन्न होने की संभावना पाई जाय।

*१०---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सरकार को मालूम है कि दिनांक १० दिसम्बर, १९७१ को हरिद्वार की डिवाइन लाइट मिशन (दिव्य संदेश परिषद्) की ओर से भव्य समारोह हुआ है उसमें देश-द्रोही भाषण किये गये और राष्ट्रद्रोही व्यूह रचना विदेशियों के द्वारा की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

दिनांक १०-१२-१९७१ को डिवाइन लाइट मिशन के प्रेमनगर आश्रम, ज्वालापुर, हरिद्वार जिला सहारनपुर में बालयोगश्वर का जन्म दिवस समारोह मनाया गया था, परन्तु, प्राप्त सूचना के अनुसार उसमें न तो देशद्रोही भाषण किये गय और न विदेशियों ने कोई राष्ट्रद्रोही व्यूह रचना की ।

देवरिया के जिला जज के पद का स्थायीकरण

*११---श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

क्या मुख्य मंत्री बतान की कृपा करेंग कि देवरिया के जिला जज के पद को स्थायी करने की स्वीकृति प्रयाग उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) न गत वर्ष ही दे दी थी ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे कार्यान्वित करने में विलम्ब क्यों किया ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से देवरिया के जिला जज के न्यायालय को स्थायी करने के लिये प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ था । कार्यभार को देखते हुए उक्त न्यायालय को अभी अस्थायी रूप से चलाना ही उपयुक्त समझा गया तथा कार्यकाल २९ फरवरी, १९७२ तक बढ़ाया गया ।

*१२—श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

[पहले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में उद्योग निगम की स्थापना

*१३—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिये कोई उद्योग निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो सरकार उसमें कितनी पूंजी लगायेगी तथा इस निगम क क्या कार्य होंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । शासन एक नये निगम की स्थापना कर रही है जिसका नाम प्रदेशीय इंडस्ट्रियल ऐंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश (पिकअप) होगा । प्रस्तावित निगम एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होगी और उसका आथराईज्ड कैपिटल पांच करोड़ रु० होगा । शुरू में पेड अप कैपिटल सवा करोड़ रुपया होगा जो शासन द्वारा दिया जायेगा । यह निगम मुख्यतः निम्नलिखित कार्य करेगा:

(१) कम्पनियों के शेयरों का अभिगोपन (अन्डर राइटिंग)

(२) उ०प्र० वित्तीय निगम की तरह ऋण देने का कार्य । नया निगम २० लाख रु० से ऊपर भी ऋण दे सकेगा ।

(३) क्रेडिट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिये गारंटी देने का कार्य ।

(४) नये उद्योगों की स्थापना के लिये जो सुविधायें दी जा रही हैं वे सारी सुविधायें इस निगम द्वारा उद्योगपतियों को उपलब्ध कराई जायेंगी ।

(५) उद्योगपतियों को उचित सलाह देने के लिये निगम एक तकनीकी परामर्श सेल भी स्थापित करेगा ।

(६) आरम्भ में इस निगम द्वारा उपरोक्त कार्य को सम्पन्न कराया जायगा। निगम के स्थापित होने के कुछ समय बाद सहायक उद्योगों की स्थापना तथा औद्योगिक निवासन का कार्य भी उन्हें सौंपा जा सकता है ।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में जांच आयोग

*१४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के वित्तीय व प्रशासनिक मामलों की जांच करने के लिये कोई आयोग नियुक्त हुआ था ? यदि हां, तो कब और अब तक उस पर कितना व्यय हुआ और कब तक उसकी रिपोर्ट आने की संभावना है?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

७ फरवरी, १९७० को कुल व्यय लगभग १,१७,१००.०० रुपया हुआ है । रिपोर्ट फरवरी, १९७२ के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हो गई है।

कानपुर शहर के प्रमोद कुमार की पुलिस निगरानी में मृत्यु

*१५—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह जनवरी सन् १९७२ में शहर कानपुर में प्रमोद कुमार नामक युवक की मृत्यु पुलिस द्वारा चोट पहुंचाने के कारण हो गई ? यदि हां, तो इसके तथ्य क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रमोद कुमार निवासी, आर्यनगर कानपुर को पुलिस द्वारा धारा ३४/१६० भा० दं० वि० तथा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत २०/२१-१-७२ की रात में गिरफ्तार किया गया था । उसकी जमानत धारा २५ आर्म्स ऐक्ट में न्यायालय से हो गई किन्तु धारा ३४/१६० भा०दं०वि० में कोई प्रार्थना-पत्र न देने के कारण उसकी जमानत नहीं उसकी अतः वह जल के लिये रवाना किया गया किन्तु अचानक उसकी तबियत खराब हो जाने के कारण उसे अस्पताल में दाखिल किया गया । वहां दिनांक २४—१—७२ को पुलिस निगरानी में उसकी मृत्यु हो गई।

प्रमोद कुमार की मृत्यु के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है। प्रमोद कुमार की मृत्यु की घटना के संबंध में धारा ३०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा भी कायम हुआ है जिसकी जांच अपराध अनुसन्धान विभाग को दे दी गई है । अतः जांच पूरी होने पर ही यह ज्ञात हो सकेगा कि प्रमोद की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई ।

ग्राम ग्वाड़, जिला चमोली के श्री देव सिंह भन्डारी के परिवार के सदस्यों की मृत्यु एवं बेहोशी

*१६—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा उत्तर प्रदेश के द्वितीय सत्र के ७वें गुरुवार के लिये निर्धारित सर्वश्री शेर सिंह दानू, नित्यानन्द स्वामी, गोविन्द सिंह नेगी आदि के अतारांकित प्रश्न संख्या ८ के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार ग्राम ग्वाड़ विधान क्षेत्र, थराली, जिला चमोली के श्री देव सिंह भंडारी के परिवार में हुई दो स्त्रियों की मृत्यु एवं अन्य चार की बहोशी तथा उपचार से ठीक हो जाने की जांच करने का आदेश अपराध अनुसंधान विभाग को शासन द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है और यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस मामले में संबंधित मुकदमें की जांच शासन के दिनांक १४—९—७१ के आदेशानुसार अपराध अनुसन्धान विभाग ने २७—९—७१ को प्रारम्भ की थी । अपराध अनुसंधान विभाग को जांच में जो साक्ष्य मिले हैं उनसे ऐसा अनुमान होता है कि मृत महिलाओं को आलू की सब्जी में भीन नामक जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था । चूंकि विसरा में कोई रासायनिक जहर नहीं पाया गया, अतः इस बात की जांच कराई जा रही है कि भीन के दाने के सेवन से विषाक्त पदार्थ जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं अथवा नहीं ।

जांच में कुछ समय लगने की संभावना है अतः कोई समय निर्धारित करना संभव नहीं है फिर भी इसे शीघ्र पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।

*१७—श्री कल्याण सिंह—

[५वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१८—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन निर्धारण

*१९—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों के वेतन का फिक्सेशन अभी तक हुआ अथवा नहीं ? यदि अभी तक नहीं हो सका तो ऐसा करने में क्या कठिनाइयां हो रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का संचालन नहीं किया जाता है । राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन-निर्धारण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। विज्ञानाध्यापकों के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

*२०—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 11 स्थानों पर निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वह किस आधार पर और किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उ० प्र० राज्य औद्योगिक निगम लि०, (कानपुर) गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, हरिद्वार, बरेली, गोरखपुर, नैनी (इलाहाबाद) उन्नाव, संडीला, (हरदोई), रायबरेली, आगरा, वाराणसी, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) तथा झांसी में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है ।

औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु स्थानों का चुनाव उद्योगपतियों की मांग, नये उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं, रेल, रोड, कच्चे माल की उपलब्धि, उत्पादन की आवश्यकता, खपत इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

केन्द्रीय सहायता से प्रदेश में खुलने वाले कारखाने

*२१—श्री राम सागर—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्रीय सरकार की ओर से प्रदेश में ८५ करोड़ रुपये की लागत से ६ कारखाने खोलने की कोई योजना विचाराधीन है ? और ८ अन्य प्रोजेक्ट आरम्भ करने के लिये भी केंद्र से २५० करोड़ रुपये का कोई अनुदान प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त ६ कारखाने तथा ८ प्रोजेक्ट प्रदेश के किन-किन जिलों में तथा किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि केंद्रीय सरकार की ओर से प्रदेश में ८५ करोड़ रुपये की लागत से ६ कारखाने खोलने की कोई योजना विचाराधीन

है । राज्य सरकार ने अवश्य भारत सरकार से केंद्रीय क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं को इस प्रदेश में स्थापित करने के लिये अनुरोध समय समय पर किया है, जो निम्नलिखित है:—

(१) पैट्रोलियम रिफाइनरी,
(२) पेपर ऐंड पल्प प्रोजेक्ट,
(३) सीमेंट फैक्टरी,
(४) आप्टिकल ग्लास फैक्टरी,
(५) टेलीफोन स्विचिंग फैक्टरी,
(६) सोयाबीन प्लांट,
(७) स्माल कार प्रोजेक्ट,

८ अन्य प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के लिये केंद्रीय सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

इस स्तर पर यह सूचना देना संभव नहीं है कि उपर्युक्त कारखानों में से कौन कौन से कारखाने इस प्रदेश में लगेंगे तथा वे किन-किन जिलों में व किन-किन स्थानों में खोले जायेंगे क्योंकि कारखाने स्थापित करने के लिये अन्तिम निर्णय केंद्रीय सरकार द्वारा ही लिया जाना है ।

*२२—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

तिलहर, जिला शाहजहांपुर में विक्रय गन हाउस की चेकिंग

*२३—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि तिलहर जिला शाहजहांपुर में विक्रम गन हाउस है जिसके प्रोपराइटर मिथलेश कुमार अग्रवाल हैं जिसकी चेकिंग पुलिस एस० ओ०, तिलहर ने १९७१ में की थी ? यदि हां, तो क्या चेकिंग के समय ४८ टोपी स्टाक से ज्यादा पाई गई ? यदि हां, तो विक्रम गन हाउस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार तिलहर, जिला शाहजहांपुर में १९७१ में विक्रम गन हाउस के प्रोपराइटर, श्री मिथिलेश कुमार अग्रवाल की शस्त्रों की दुकान की पुलिस इन्सपैक्टर, तिलहर की चेकिंग में ४८ टोपियां स्टाक में अधिक पाई गईं । जांच से पता चला है कि यह समस्त टोपियां पहले ही बिक चुकी थीं जिन्हें क्रेता-लाइसेंसी दुकान में भूल गया था । इन बिकी हुई टोपियों को क्रेता को लौटाने का प्रयास न करने के लिये उन्हें भविष्य के लिये चेतावनी दे दी गई है ।

*२४—श्री प्यारे लाल —

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित]

*२५-२६—श्री इन्द्रलाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री का निरीक्षण

*२७—श्री सुबपाल पांडेय (जिला बस्ती), तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य शिक्षा मंत्री ने दिनांक २८ दिसम्बर, १९७१ को इलाहाबाद में शिक्षा निदेशक के आफिस का निरीक्षण किया

था ? यदि हां, तो उस पर दफ्तर में कितने कर्मचारी गैर-हाजिर पाये गये तथा उन लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां ।

१९२ अधिकारी एवं सहायक अनुपस्थित पाये गये थे । शिक्षा निदेशक को दिनांक 3 जनवरी, १९७२ को शासनादेश भेजे गये कि जो लोग अनुपस्थित थे उनका स्पष्टीकरण लिया जावे और चेतावनी दी जावे ।

*२८—श्री छांगुर राम—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के अनुदान प्राप्त डिग्री कालेजों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लाभान्वित करने की योजना

*२९—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान प्राप्त डिग्री कालेजों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कब तक लागू किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी नहीं । ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों तथा गैर सरकारी डिग्री कालेजों के शिक्षणेत्तर (नान टीचिंग) कर्मचारियों के वेतन क्रमों एवं महंगाई भत्तों में संशोधन के लिये जो समिति गठित की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट में इस हेतु संस्तुति नहीं की थी ।

पूर्वी जिलों में पावर क्रशर देने का विचार

*४०—कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो गन्ने का मूल्य इस समय पूर्व तथा पश्चिमी जिलों में अलग-अलग बढ़ा है, उसका कारण पश्चिमी जिलों में क्रशर के होने के कारण हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार के अधीन पूर्वी जिलों में पावर क्रसर देने पर विचार है? यदि हां, तो कब तक? क्या सरकार पश्चिमी जिलों की भांति पूर्वी जिलों में भी क्रशर के लाइसेंस दिये जाने की सुविधा देने पर विचार करेगी ताकि पूर्वी जिलों में भी गन्ने का दाम पश्चिमी जिलों की भांति बढ़ जाये ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राज्य के तीनों क्षेत्रों में गन्ना मूल्य १९७१-७२ में भिन्न-भिन्न होने के कई कारण हैं जिनमें एक यह भी है कि पश्चिमी क्षेत्रों में क्रशरों की संख्या अधिक होने से गन्ने के लिये प्रतियोगिता रहती है ।

सरकार की क्रशर के लाइसेंस देने की नीति पूरे प्रदेश के लिये सामान्य ही है । जो प्रार्थना पत्र आते हैं उनमें नियमानुसार विचार होता है और सब जगह एक सी सुविधा दी जाती है।

प्रदेश में गन्ने के बढ़े हुए दाम

*४१—कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९ व २३ जनवरी, १९७२ को जो गन्ने के दाम बढ़े हैं क्या वे केंद्रीय सरकार की अनुमति से बढ़ हैं अथवा प्रांतीय सरकार के आदेश से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केंद्रीय सरकार को न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। इससे अधिक मूल्य देने के लिये उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अधिक मूल्य मिलें समझौते से दे सकती हैं। राज्य सरकार का प्रयास इस वर्ष न्यूनतम से अधिक मूल्य दिलवाने का रहा है। १८ जनवरी को राज्य सरकार की और मिल मालिकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें मिलों के प्रतिनिधि गन्ना मूल्य बढ़ाने पर राजी हो गये।

मुरादाबाद, बुलन्दशहर तथा बिजनौर जिलों में औद्योगिक इकाइयां एवं औद्योगिक प्रशिक्षण

*३२—श्री शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद, बुलन्दशर तथा बिजनौर जिलों में कितनी कितनी बड़ी, मध्यम तथा छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं ? उनके उत्पादन की मात्रा रुपयों में कितनी है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

सूचना संलग्न है।

(परिशिष्ट १)

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५७१ पर)

*३३—श्री शिव महेन्द्र सिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन जिलों में कितनी-कितनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं और उनका कितना उपयोग हुआ है तथा इन स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण की क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

सूचना संलग्न है।

(परिशिष्ट २)

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५७२ पर)

मेसर्स प्रकाश जनरल वर्कस सहजनवां, जिला गोरखपुर का पैराफिन वेक्स सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*३४—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्योग विदेशालय मोमबत्ती उद्योग को कच्चा माल दिलाने में सक्षम हैं ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि मेसर्स प्रकाश जनरल वर्क्स सहजनवां, जिला गोरखपुर के पेराफिन वेक्स के प्रार्थना-पत्र पर उद्योग निदेशालय वर्ष १९६८ से जांच कराता चला आ रहा है और जिला उद्योग अधिकारी बराबर अपनी सिफारिश भेजते चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो उद्योग निदेशालयों का इस इकाई को मोमबत्ती उद्योग के लिये कच्चा माल पैराफिन वेक्स दिलाने में पिछले तीन वर्षों में कितनी सहायता की ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

उद्योग निदेशालय मोमबत्ती उद्योग को कच्चा माल दिलाने में पूर्णरूप से सक्षम नहीं है।

मेसर्स प्रकाश जनरल वर्क्स, सहजनवां, जिला गोरखपुर के पक्ष में जिला उद्योग अधिकारी की सिफारिश के अनुसार उद्योग निदेशालय द्वारा मसर्स वर्मा शैल कम्पनी लखनऊ को

११.२० मैट्रिक टन मोम की सिफारिश प्रथम बार अप्रैल सन् १९६९ को, तदुपरान्त जनवरी, १९७१ में और पुनः १७-९-७१ को भेजी जा चुकी है ।

गोंडा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*३५--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार यह बतायेगी कि गोंडा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो गत ५ सालों में से अधिक दिनों से वहीं काम कर रहे हैं ? क्या सरकार उन कर्मचारियों को जो ५ साल से वहां हैं स्थानान्तरित किये जाने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

छः ।

जी नहीं ।

कौड़िया बाजार गोंडा के नागरिकों की थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*३६--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार यह बतायेंगी कि फरवरी सन् १९७२ में कोई शिकायती-पत्र कौड़िया बाजार गोंडा के नागरिकों की यह शिकायत करते हुए कि कौड़िया के थानाध्यक्ष ने याहिया खां का पुतला जलाने के लिये निकाले जाने वाले जलूस को निकालने नहीं दिया और बन्द करने की धमकी दी, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या जांच कराई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इस संबंध में प्रश्नकर्ता महोदय का शिकायती-पत्र दिनांक २-२-७२ शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से जांच कराई जा रही है। अभी यह जांच पूरी नहीं हुई है।

राजकीय इन्टर कालेज, मुरादाबाद का मैदान एवं आवास

*३७--श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इंटर कालेज, मुरादाबाद का मैदान रामगंगा नदी की तरफ से कट रहा है ? यदि हां, तो उसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक-

जी हां ।

थोड़ा कटाव हो गया था जिसको मलवा डाल कर बन्द कर दिया गया है।

*३८--श्री नौनिहाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है किराजकीय इंटर कालेज, मुरादाबाद के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आवास बहुत ही जीर्ण अवस्था में हैं तथा उनमें बिजली भी नहीं है? यदि हां, तो शासन द्वारा इनका जीर्णोद्धार करने तथा उनमें बिजली की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

आवास गृहों की अवस्था देखने में बहुत जीर्ण नहीं प्रतीत होती। वार्षिक मरम्मत होती रहती है । बिजली की व्यवस्था का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बाराबंकी शुगर मिल्स व बुढ़वल शुगर मिल्स के ऊपर किसानों का बकाया

*३९—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला बाराबंकी शुगर मिल्स व बुढ़वल शुगर मिल्स क्रमशः उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० व सरकारी रिसीवर के संचालन में कब आईं और ऐसे संचालनों में आने की तिथि पर तथा दिनांक १५ फरवरी, १९७२ को उनके ऊपर अलग-अलग किसानों के गन्ने का मूल्य तथा कमीशन का कितना रुपया बाकी था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित विवरण तालिका 'अ' में संलग्न है।

(नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५७३–५७४ पर देखिये)

*४०—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत प्रदेश के कौन-कौन मिल अलग-अलग किस तारीख को आये और निगम के अन्तर्गत आने की तिथि पर तथा प्रतिकर से गन्ना के मूल्य व कमीशन का भुगतान किये जाने के बाद उन पर अलग-अलग कितना बकाया रह गया और उस बकाया का किसानों को भुगतान कराने के लिए सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, १९७१ के अन्तर्गत निम्नांकित १२ चीनी मिलें ३ जुलाई, १९७१ को उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड में निहित हुई :—

१—मोहिउद्दीनपुर, (२) सखौती टांडा, (३) बाराबंकी, (४) खड्डा, (५) भटनी, (६) बिजनौर, (७) अमरोहा, (८) बुढ़वल, (९) जरवल रोड, (१०) लक्ष्मीगंज, (११) रामकोला (खेतान), (१२) रामपुर।

इन १२ हों चीनी मिलों ने अर्जन के विरुद्ध याचिकायें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर रखी हैं और क्रमांक ६ से १२ तक ७ चीनी मिलों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे। इस प्रकार पहली ५ मिलें चीनी निगम के नियन्त्रण में चल रही हैं। इन ५ चीनी मिलों के अर्जन की तिथि पर जो बकाया की स्थिति थी उसका विवरण तालिका 'ब' में संलग्न है।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, १९७१ के प्राविधानों के अनुसार पुराने बकाया को प्रतिकर की धनराशि में से चुकाया जायेगा। प्रतिकर में 'ब्लाक ऐसेस्ट्स' के मुआवजे के अतिरिक्त चीनी के बोरो और शीरा इत्यादि का भी मुआवजा सम्मिलित है। चीनी के बोरों के बिकने से बैंक का सुरक्षित ऋण काट कर जो मार्जिन धन उपलब्ध हो रहा है उसमें से गन्ना मूल्य और श्रमिकों का बकाया चुकाया जा रहा है, राज्य सरकार के क्रय-कर को इनके बाद ही प्राथमिकता दी गई है। 'ब्लाक ऐसेस्ट्से के प्रतिकर का वितरण अभी नहीं किया गया है क्योंकि विहित प्राधिकारी के यहां दायर दावों का फैसला होना है और उच्च न्यायालय में मिलों क स्वामित्व का प्रश्न भी विचाराधीन है। यह मामले तय होने पर प्रतिकर का उपरोक्त भाग उपलब्ध होगा।

चीनी निगम ने चालू वर्ष का गन्ना मूल्य लगभग पूरा-पूरा समय से ही अदा किया है जैसा कि संलग्न तालिका 'ब' से विदित है।

शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन

*४१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में (१९७१) प्रदेश के मन्त्री परिषद् के कौन-कौन सदस्य अपने निजी व्यय पर और कौन-कौन सरकारी व्यय पर गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अखिल भारतीय कांग्रेस के (१९७१) के शिमला अधिवेशन में मंत्रि परिषद् के निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया था :—

(१) मुख्य मन्त्री,
(२) कृषि एवं लघु सिंचाई मन्त्री,
(३) राजस्व, सहायता एवं पुनर्वास तथा विधायिका मन्त्री,
(४) सहकारिता मन्त्री,
(५) वित्त, विद्युत् एवं संसदीय कार्य मन्त्री,
(६) सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मन्त्री,
(७) खाद्य तथा रसद मन्त्री,
(८) परिवहन मन्त्री,
(९) स्वायत्त शासन मन्त्री ।

उपर्युक्त सभी सदस्य शिमला अपने निजी व्यय पर गये थे ।

फैजाबाद, राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय में स्थानान्तरित छात्राध्यापिकाओं का छात्रवेतन

*४२—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६९-७० में राजकीय बालिका इन्टर कालेज, गोंडा से फैजाबाद राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय में स्थानान्तरित बी० टी० सी० इकाई की १२ छात्राध्यापिकाओं को मार्च, १९७० से मई, १९७० तक का छात्र वेतन अभी तक क्यों नहीं भुगतान किया गया ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त छात्र-वेतन का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गोंडा से सम्बद्ध बी० टी० सी० इकाई जुलाई १९६९ से समाप्त कर दी गई थी । इसके परिणामस्वरूप वर्ष १९६८-६९ में प्रवेश पाई हुई दो वर्षीय कोर्स की छात्राध्यापिकाओं का स्थानान्तरण राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय फैजाबाद में किया गया । वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में गोंडा के लिये कोई प्राविधान नहीं रखा गया । अतः गोंडा से स्थानान्तरित छात्राध्यापिकाओं को मार्च तथा अप्रैल, १९७० का छात्रवेतन नहीं मिल पाया ।

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका, फैजाबाद को आदेश दे दिये गये हैं कि अवशेष राशि का भुगतान उक्त छात्राध्यापिकाओं को मार्च, १९७२ के भीतर ही कर दिया जाय ।

श्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय, रसानन्द इन्टर कालेज, मैनपुरी की विधवा पत्नी को पेंशन

*४३—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष अप्रैल माह में श्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय उप-प्रधान अध्यापक, रसानन्द इन्टर कालेज, मैनपुरी जिसकी हत्या नकलची छात्रों ने नकल करते रोकने पर कर दी थी उनकी विधवा पत्नी को पेंशन दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार देने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मामला विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जिले में ग्रामीण औद्योगिक परियोजना

१—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९७१ तक प्रोजक्ट में फूलपुर, प्रतापपुर ब्लाक, इलाहाबाद में कितने लोगों को उद्योग के लिये ऋण दिया गया है ? तथा जिन लोगों को उद्योग के लिये ऋण दिया गया है उन्होंने कार्य शुरू किया या नहीं ? यदि नहीं, किया तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? उन व्यक्तियों के नाम सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

मार्च, १९६९ से ३० सितम्बर, १९७१ तक ग्रामीण औद्योगिक परियोजना फूलपुर के फूलपुर व प्रतापपुर ब्लाकों में कुल ९८,००० रुपये का ऋण ४४ व्यक्तियों में वितरित किया गया जिनमें से १८ व्यक्तियों ने कार्य शुरू नहीं किया। उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा उनका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५७५ पर)

पर्वतीय जिलों के निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योग

२—श्री डूंगरसिंह विष्ट—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, लि० नई दिल्ली द्वारा बनाई रूपरेखा के आधार पर तथा टेक्नो इकानामिक सर्वेक्षण की सितम्बर, अक्तूबर, १९६९ को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आ पर्वतीय जिलों में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित हो सकने वाले उद्योगों में से कितने उद्योग जनवरी, १९७२ तक स्थापित किये गये हैं ? उन पर कितनी पूंजी लगी है और उनसे कितने लोगों को रोजगार मिल जाने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देहरादून सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से दिये गये रोजगार

४—श्री डूंगरसिंह विष्ट—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि देहरादून सेवायोजन कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया तथा दिनांक २५ फरवरी, १९७२ को देहरादून से सेवायोजन कार्यालय में कितने ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्ज थे जिन्हें नाम दर्ज कराये १ वर्ष से ऊपर हो गया लेकिन उन्हें काम नहीं दिलाया जा सका ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

देहरादून सेवायोजन कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष, १९७०-७१ में १,५१८ व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। १५ फरवरी, १९७२ को उक्त कार्यालय की जीवित पंजी पर ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें एक वर्ष से ऊपर हो गया लेकिन काम नहीं दिलाया जा सका, की संख्या १४,४७८ थी।

राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् के पदाधिकारियों पर व्यय

५—श्री डूंगरसिंह विष्ट—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् के सरकारी तथा असरकारी पदाधिकारियों पर वित्तीय वर्ष १९६८-६९ से लेकर १९७०-७१ तक कितना व्यय हुआ, तथा इस अवधि में इस परिषद ने क्या कार्य किये तथा इसकी कितनी बठकें हुयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् के सरकारी तथा असरकारी पदाधिकारियों एवं अन्य सब पर कुल मिलाकर वित्तीय वर्ष, १९६८-६९ से १९७०-७१ तक ६०,९०९.४८ रु० व्यय हुआ।

इस अवधि में निम्नांकित कार्य किये गये:—

१७ मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श करके उन्हें अन्तिम रूप दिया गया तथा ९ मूल्यांकन अध्ययनों के परिकल्पों (Study Designs) पर विचार कर उन्हें स्वीकृत किया गया।

उक्त अवधि में राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् की एक तथा उसकी उप समितियों की ४ बैठकें हुईं।

मेरठ मंडल के जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों का स्थानान्तरण

६—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ मण्डल मेरठ में किस-किस जिले के किस-किस जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७१ तक एक ही जिले में कार्य करते लगातार पांच वष अथवा इससे अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है और क्या उनके स्थानान्तरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण कब तक कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरठ मंडल में किसी भी जिले में दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७१ तक किसी भी जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी को पांच वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि व्यतीत नहीं हुई।

अतः स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे खादी बोर्ड में ट्रांसफर प्रायः तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर कर दिये जाते हैं।

सुल्तानपुर जिले में चोरियां, नकबजनी, हत्यायें तथा राहजनी

७—श्री शेरसिंह दानू—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर में १ जनवरी, १९७० से २१ फरवरी, १९७२ तक किस-किस थाने में कितनी-कितनी चोरियां, नकबजनी, हत्यायें और राहजनी की घटनायें हुयीं और इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५७६–५७९ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम द्वारा उद्योगों की स्थापना

८—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम ने १४ मई, १९७१ को एक विज्ञप्ति जारी कर राज्य के औद्योगिक विकास के लिये किन-किन उद्योगों की स्थापना की घोषणा की है? और ये उद्योग किस क्षेत्र में कितनी लागत से किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जा रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम ने मई, ७१ में दिनांक १० तथा १८ को कुछ समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया था कि उत्तर प्रदेश में निम्नांकित नौ औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की सम्भावना है तथा सह उद्यम के इच्छुक उद्यमी इस विषय में निगम के प्रबन्ध निदेशक से सम्पर्क करें।

इकाइयों का नाम	अनुमानित लागत
(१) स्कूटर	रु० ३७५ लाख
(२) स्टील बिलेट्स	रु० ६१० लाख
(३) प्रिंटिंग मशीनरी	रु० २०० लाख
(४) सेफ्टी रेजर ब्लेड्स	रु० ३५४ लाख
(५) जी०एल०एस० तथा फ्लोरोसेंट लैम्प	रु० १२५.५० लाख
(६) पोलिस्टर फाइबर	रु० १२ करोड़
(७) वाच परियोजना	रु० १ करोड़
(८) नाइलान फिलामेंट यार्न	रु० ९ करोड़
(९) पोलिस्टर फिल्म	रु० ४.७० करोड़

इस समय इनमें उपर्युक्त १ से ५ उयोगों के हेतु केन्द्रीय सरकार से आश्वासन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, इनकी स्थापना के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, परन्तु अनुमान है कि निम्नलिखित स्थानों में यह उद्योग शायद स्थापित किये जायेंगे:—

उपरोक्त उद्योग नं०	क्षेत्र
(१) ..	पूर्वी पिछड़ा हुआ जिला
(२)	वाराणसी
(३)	उन्नाव
(४)	अभी विचाराधीन है।
(५)	बुलन्दशहर।

भारत सरकार ने उपर्युक्त उद्योग नं० ६ तथा ७ की स्थापना की स्वीकृति प्रदान नहीं की एवं उपर्युक्त उद्योग नं० ८ तथा ९ की स्थापना के लिये अनुमति-पत्र जारी करने का विषय भारत सरकार के विचाराधीन है ।

थाना कासगंज, जिला एटा के ग्रामों में नकबजनी

९—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना कासगंज, जिला एटा में माह अक्तूबर, १९७१ में किस-किस ग्राम की नकबजनी की वारदातों की नामजद रिपोर्ट कब-कब लिखाई गई और उपरोक्त वारदातों में दिनांक १२ जनवरी, १९७२ तक किन-किन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और शेष गिरफ्तारी न होने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला एटा के थाना कासगंज पर माह अक्तूबर, १९७१ में केवल एक नकबजनी की घटना की नामजद रिपोर्ट दिनांक १४ अक्तूबर, १९७१ को दर्ज कराई गई जो नगला भूड़ मौजा ढोलना में हुई नकबजनी के बारे में थी। जांच से अपराध सही नहीं पाया गया अतः पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगाकर जांच समाप्त की गई। किसी की गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठा।

झांसी जिले में हरिजन थाना इन्चार्ज

१०—श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय (१८-२-७२) को झांसी जिले में कितने थाना इंचार्ज हरिजन जाति के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

झांसी जिले में १८ फरवरी, १९७२ को हरिजन जाति के केवल एक सब-इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज था ।

सूचना निदेशालय के सूचना अधिकारी तथा पत्रकार के घरों पर टेलीफोन

११—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सूचना निदेशालय में कितने सूचना अधिकारी अथवा पत्रकार हैं एवं उनमें से कितनों के निवास स्थानों पर सरकार द्वारा टलीफोन लगवाये गये हैं एवं टेलीफोन लगाये जाने का आधार क्या है ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

सूचना निदेशालय में इस समय २७ सूचना अधिकारी हैं। इन अधिकारियों में से किसी अधिकारी के निवास स्थान पर सरकार की ओर से टेलीफोन नहीं लगवाया गया है ।

इनके अतिरिक्त इसी वेतन-क्रम में एक पद 'समाचार सम्पादक' का भी है। उसके निवास स्थान पर टेलीफोन लगवाया गया है। इसका आधार यह है कि इस अधिकारी को कार्यालय के समय के अतिरिक्त भी अधिकारियों व पत्रकारों से सम्पर्क करने की आवश्यकता रहती है ।

मुरादाबाद जिले के अस्त्र-शस्त्र विक्रेता

१२—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के किन-किन अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं को १ जनवरी, १९६९ से ३१ दिसम्बर, १९७१ तक कितनी-कितनी रायफल बिक्री हेतु मंगाने की अनुमति जिला अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई और उन अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं के रायफल क्रय-विक्रय करने के लाइसेन्स के नम्बर क्या-क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५८० पर)

थाना मुस्तफाबाद, जिला रायबरेली में डकैतियां

१३—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थाना मुस्तफाबाद, जिला रायबरेली के अन्तर्गत माह दिसम्बर, सन् १९७१ में कुल कितनी डकैतियां हुयीं और उनमें कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माह दिसम्बर, १९७१ में थाना मुस्ताफाबाद जिला रायबरेली में कुल तीन डकैती की घटना पड़ने की रिपोर्टें प्राप्त हुयीं। इन अपराधों से सम्बन्धित अभी तक कोई अपराधी प्रकाश में नहीं आया है अतः गिरफ्तारियां नहीं हो सकी हैं।

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व

१४—श्री इन्द्रलाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा प्रसारित नियुक्ति (क) विभाग की राजाज्ञा संख्या ७/१-६९—नियुक्ति (क), दिनांक ३० अगस्त, १९६९ के क्रम पर प्रदेश के वह कौन-कौन से जिले हैं जहां जिलाधिकारियों ने शासनादेशों को कार्यान्वयन करने के लिये अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को पूरा करने पर चरित्र पंजी में वार्षिक प्रविष्टि विशेष तौर से दी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरठ और जौनपुर।

विधायक निवास खण्ड 'झ' तथा 'ब' से कार की चोरी

१५—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जुलाई, १९७१ के प्रथम सप्ताह में लखनऊ स्थित विधायक निवास (अ) अथवा (ब) खण्ड से किसी कार की चोरी की रिपोर्ट हजरतगंज थाना (लखनऊ) में दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक ४ जुलाई, १९७१ को थाना हजरतगंज पर, ३–४ जुलाई, १९७१ की रात में दारुलशफा के 'सी' ब्लाक से एक जीप के चोरी जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना

के आधार पर एक मुकदमा धारा ३७९ भा० द० वि० का कायम किया गया तथा स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना शुरू की गई। बाद में इस मामले की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग को दे दी गई। जांच अभी जारी है।

थाना काकोरी, जिला लखनऊ में एस० ओ० के विरुद्ध शिकायत

१६—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जनपद के पुलिस थाना काकोरी के एस० ओ० के विरुद्ध उक्त क्षेत्र के लगभग ढाई सौ व्यक्तियों के हस्ताक्षर से युक्त कोई ज्ञापन एस० एस० पी०, लखनऊ को दिनांक २४ जुलाई, १९७१ को दिया गया था? उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम जेहटा, थाना काकोरी, लखनऊ के निवासियों का एक प्रार्थना-पत्र थाना काकोरी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को दिनांक २४ जुलाई, १९७१ को प्राप्त हुआ था जिस पर आवश्यक जांच कराई गई। इस मामले के सम्बन्ध में एक इश्तगासा न्यायालय में दाखिल किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अन्य कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

१७—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७१-७२ का अनुपूरक) विधेयक, १९७२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा में अपने दिनांक २१ मार्च, १९७२ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २२ मार्च, १९७२ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २३ मार्च, १९७२ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७२ का उत्तर प्रदेश का १४वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७२

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २१ मार्च, १९७२ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २२ मार्च, १९७२ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमानित दिनांक २३ मार्च, १९७२ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७२ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया।

२६ जुलाई, १९७१ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्य, श्री शम्भूनाथ चौधरी द्वारा दिनांक २६ जुलाई, १९७१ को पूछे गये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २, जो गन्ना उत्पादकों की गन्ना मूल्य की ओर बकाया धनराशि चीनी मिल मालिकों से तत्काल भुगतान कराये जाने के विषय में था, के संबंध में माननीय सदस्य श्री गंगा प्रसाद के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने में गलती से गन्ना मूल्य बकाया कि धनराशि बजाय रु० २० करोड़ के रु० १० करोड़ बतायी गयी, जिससे त्रुटि हो गई थी जैसा मूल प्रश्न के उत्तर से भी विदित है। इस वक्तव्य द्वारा उसके बारे में सही स्थिति नीचे बताई जा रही है।

माननीय सदस्य (श्री गंगा प्रसाद) का अनुपूरक प्रश्न	२६-७-७१ को मुख्य मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया	सही उत्तर
१	२	३
मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि कब तक उनको मिल जायगा?	मान्यवर, बराबर कोशिश की जा रही है। जैसा कि उक्त से मालूम हुआ कि करीब १०करोड़ रुपये से ऊपर बकाया था उसमें ८ करोड़ वसूल हो गया है तो बराबर कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं जल्द ही बकाये की वसूली हो जायेगी।	मान्यवर, बराबर कोशिश की जा रही है। जैसा कि उक्त से मालूम हुआ कि करीब २०करोड़ रुपये से ऊपर बकाया था, उसमें से ८ करोड़ वसूल हो गया है तो बराबर कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं जल्दी ही बकाये की वसूली हो जायेगी।

६ जनवरी, १९७२ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकीनन्दन विभव)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ६ जनवरी, १९७२ को श्री वीरेंद्र वर्मा, एम०एल०ए० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ के संबंध में उन्होंने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि अलग-अलग प्रत्येक व्यक्ति और फर्म पर बकाया की धनराशि कितनी-कितनी है?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था--यू०पी० टैक्साइल मिल्स २,३७,२१४ रुपये स्टील सन्स ६ हजार रुपये।

उनके यह पूछने पर कि एक लाख से ऊपर की तो आपकी सूची है और आप छः हजार पढ़ रहे हैं यह उत्तर दिया गया था कि जो सूचना दी गई है वह गलत दे दी गई है इसलिये इसका उत्तर बाद में दिया जायगा।

उक्त सूचना के संदर्भ में सही उत्तर इस प्रकार है कि यद्यपि स्टील सन्स प्रा०लि० मोदीनगर सरकार के १,१८,००० रु० के कर्जदार थे परन्तु चूंकि उन पर मार्च, ७१ में केवल ६,७६४ रु० का बकाया था अतः उनका नाम १ लाख से अधिक के बकायादारों में न गिना जाय।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५८१ पर।)

हलवाइयों को कंट्रोल रेट पर चीनी देने के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

चीनी के बढ़ते हुये मूल्यों के कारण उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर चीनी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने चीनी मिलों से परामर्श करके वर्तमान चीनी वितरण की योजना बनाई थी। इस योजना के अनुसार चीनी मिलें स्वेच्छा से अपने पक्ष में मुक्त किये गये मासिक कोटे का ६० प्रतिशत भारत सरकार को सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं (domestic consumers) को निर्धारित दर पर वितरण हेतु १ जनवरी, १९७२ से उपलब्ध कर रही हैं।

२—भारत सरकार इस चीनी को समस्त प्रदेशों को उनकी आवश्यकता तथा स्टाक स्थिति को दृष्टि में रखते हुये बांट देती है। इस प्रकार प्राप्त चीनी के कोटे को राज्य सरकार सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रही है। शहरी क्षेत्रों में राशन कार्ड पर एक-एक किलो प्रति यूनिट प्रति मास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा जारी की गई प्रति परची पर एक किलों की दर से इस चीनी का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार क निर्देशानुसार इस चीनी का वितरण केवल घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic consumers) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही किया जाना चाहिये। इस व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवसायिक बड़े उपभोक्ताओं (Bulk consumers) आदि को कोटा देने तथा किसी भी अवसर पर स्पेशल परमिट देने का कोई भी प्राविधान नहीं है।

३—इस स्थिति के कारण राज्य सरकार द्वारा हलवाइयों तथा अन्य व्यवसायिक बड़े उपभोक्ताओं (Bulk consumers) को चीनी का कोटा नहीं दिया जा सका। भारत सरकार द्वारा निर्धारित इस नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा राजकीय कार्यालयों में चल रहे जलपान गृहों को भी चीनी का कोटा नहीं दिया गया जो कि कर्मचारियों की सुविधा के लिये चलाये जा रहे हैं। इसी प्रकार पुलिस तथा पी० ए० सी० के मेस के लिये भी चीनी का कोटा नहीं दिया जा रहा है।

४—प्रदेश को जनवरी तथा फरवरी, १९७२ में २१,३८४ टन चीनी का कोटा प्रत्येक माह के लिये आवंटित हुआ था परन्तु काफी प्रयत्न करने पर मार्च, १९७२ से प्रदेश को २५,००० टन चीनी का कोटा आवंटित किया जा रहा है। यह मात्रा प्रदेश की जन-संख्या को दृष्टि में रखते हुये वर्तमान वितरण प्रणाली के लिये भी पर्याप्त नहीं है। अतः कोटा बढ़ाने के लिये राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से बराबर अनुरोध कर रही है। राज्य सरकार के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप केवल २१९ टन चीनी का अतिरिक्त कोटा अप्रैल, १९७२ के लिये औषधि निर्माताओं के लिये प्राप्त हुआ है। अन्य किसी भी बड़े उपभोक्ता (Bulk consumers) को कोटा देने के लिये किसी प्रकार का अतिरिक्त कोटा नहीं प्राप्त हुआ है। इन परस्थितियों में हलवाइयों को कोटा देना राज्य सरकार क लिये किसी भी प्रकार संभव नहीं है।

[श्री बेनी सिंह]

५—१९७१ के जनगणना को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश की जन-संख्या इस समय अनुमानतः ८.८८ करोड़ होगी जिसमें १.६५ करोड़ नगर के निवासी तथा ७.२३ करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होंगे । नगर क्षेत्र वासियों को एक किलो प्रति व्यक्ति प्रति मास चीनी दी जा रही है । जहां तक देहाती क्षेत्र का संबंध है यदि ५ व्यक्तियों का एक परिवार माना जाय तो परिवारों की संख्या १,४४,६०,००० होगी जिसके लिये प्रति माह कुल १४,५०० टन चीनी की आवश्यकता पड़ेगी । इस प्रकार नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये इस व्यवस्था के अनुसार ३१,००० टन चीनी प्रति मास की आवश्यकता होगी । यदि नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र दोनों में प्रति व्यक्ति प्रति मास चीनी के देने की व्यवस्था की जाय तो प्रति मास चीनी की आवश्यकता ८८,८०० टन की होगी । इसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा केवल २५,००० टन चीनी का कोटा आवंटित किया जा रहा है ।

६—भारत सरकार से जनवरी १९७२ में यह अनुरोध किया गया था कि प्रदेश को कम से कम ८६,५०० टन प्रति मास चीनी की आवश्यकता है जिसमें १६,५०० टन नगर क्षेत्र के लिये, ३२,००० टन ग्रामीण क्षेत्र के लिये, १,००० टन संस्थाओं के लिये, १५,००० टन व्यवसायिक बड़े उपभोक्ताओं (Bulk Consumers) के लिये १०,००० टन शादी तथा अन्य संस्कारों के लिये तथा १२,००० टन त्योहारों के लिये सम्मिलित है ।

७—इसके बाद भारत सरकार द्वारा प्रदेश का चीनी का कोटा फरवरी, १९७२ के लिये घटा दिया गया । इस पर केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखा गया तथा तार भेजा गया जिस पर कि उन्होंने फरवरी के कोटे को जनवरी के कोटे के ही समान कर दिया । फरवरी में पुनः केंद्रीय राज्य मंत्री को कोटा बढ़ाने के लिये लिखा गया जिसके फलस्वरूप प्रदेश को कोटा मार्च, १९७२ से २५,००० टन कर दिया गया । भारत सरकार से निरन्तर कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है ।

८—मैंने २१ जनवरी, १९७२ को प्रदेश के समस्त संसद सदस्यों को चीनी की वास्तविक आवश्यकता से अवगत कराते हुये उनसे अनुरोध किया था कि वे केंद्रीय सरकार से आवश्यकता के अनुसार इस प्रदेश को चीनी दिलाने में सहायता करें परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला । इसके अतिरिक्त मैं अपने पत्र दिनांक १० फरवरी, १९७२ द्वारा समस्त माननीय सदस्यों को प्रदेश की चीनी की वास्तविक स्थिति से अवगत करा चुका हूं तथा यह भी अनुरोध कर चुका हूं कि आप स्वयं या अपने जिलों में खाद्य सलाहकार समितियों के माध्यम से सरकारी नीति के संबंध में सुझाव दें तथा निर्धारित नीति को सफल बनाने में सहयोग दें ।

९—चीनी का वर्तमान जो कोटा मिल रहा है उसके अन्तर्गत घरेलू उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग के लिये चीनी देना संभव न हो सकेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी को मालूम है कि इस विषय पर विचार करने के लिये विधान सभा की एक समिति १९४७ में बनी जिसने अपनी संस्तुति की हलवाइयों को चीनी देनी चाहिये और सरकार ने १९६५ में एक परिपत्र जारी किया जो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, श्री बी० एम० चतुर्वेदी के द्वारा कि हलवाइयों को चीनी का कोटा दिया जाय तो जब तक इसको कैंसिल नहीं करते हैं उनको नियमतः चीनी मिलनी चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो उन्होंने अपनी असमर्थता बतलायी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस वर्ष से पहले इस प्रदेश का कोटा क्या था और इस वर्ष यदि यह कोटा घटा है तो उसका क्या कारण है? क्या चीनी का उत्पादन कम हुआ ? यदि नहीं, तो इस प्रदेश का कोटा क्यों कम हुआ ?

श्री बेनीसिंह—

पिछले साल के आंकड़े मुझे ठीक तो नहीं मालूम लेकिन मोटे तौर पर यह है कि पिछले साल कुछ चीनी स्वतंत्र बिकती थी और कुछ कंट्रोल से बिकती थी तो हमारा आफ टेक कम था। जो इस साल कमी हुयी है तो यह जाहिर सी बात है कि शकर कम पैदा हुई है ।

श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

१९६७ में केंद्रीय सरकार ने इस प्रदेश के लिये २२ हजार टन शकर का कोटा निर्धारित किया था । तो अब जब २५ हजार टन शकर आवंटित हुई है तो क्या कारण है कि हलवाइयों को शकर नहीं दी जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

मैंने वक्तव्य में स्वयं ही कह दिया है कि हमारी जरूरत ३१ हजार टन चीनी की है अगर पूरा बांटें । इसके अलावा भारत सरकार का यह आदेश है कि उपभोक्ताओं को बांटी जायगी और बल्क कंज्यूमर्स को नहीं दी जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

२५ हजार टन मार्च, ७२ से है । आपके सवाल का उत्तर इसी में है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि हलवाइयों की समस्याओं पर विचार करते हुए अब जो कोटा आयेगा उसमें उनको देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

हलवाइयों के साथ हमारी हमदर्दी है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम उनको तभी दे सकेंगे जब हम अपना यह कोटा पूरा कर लें कि १ किलो प्रति यूनिट शहर और देहात में बराबर बांटी जायगी उसके बाद अगर कुछ बचेगी तो उनको भी दी जायगी । लेकिन यह सब होगा केंद्रीय सरकार के आदेश के तहत ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, १९७२

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री, (क्रम संख्या ९) ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा दो बार राजस्व मंत्री को पुकारने पर भी कोई मंत्री खड़ा नहीं हुआ।)

(व्यवधान)

आप तो इतना हल्ला मचा रहे हैं कि आपका अभीष्ट नष्ट हो रहा है ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा पुनः राजस्व मंत्री को पुकारने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप बार-बार राजस्व मंत्री को पुकार रहे हैं, राजस्व मंत्री सदन में नहीं हैं ।

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आपने कई बार पुकारा लेकिन सरकार की ओर से कोई खड़ा नहीं हुआ और अब आपने होम मिनिस्टर साहब को मौका दे दिया । आपको ऐसी हालत में इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिये थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैं किसी चीज का स्वयं ही नोटिस ले रहा था तो आप खड़े न होते । कई लोग खड़े होकर कहने लगे और उनको अवसर मिल गया । हालांकि आप उनके विरोध में खड़े हुये लेकिन इससे उन्हें सहयोग मिल गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आपने कई मर्तबा पुकारा लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ इसलिय मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस संबंध में व्यवस्था दें कि अगर कोई संबंधित मंत्री न आया हो और किसी दूसरे मंत्री को उसने उस काम को सौंप दिया हो तो क्या उसमें आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है कि मेरे बजाय अमुक व्यक्ति उसको रखेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह उचित है कि मंत्री लोग भविष्य में और अधिक सतर्क और सावधान रहें ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, १९७२ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५८२–५९३ पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५७ में ६ सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिनमें से दो को मैं ने अस्वीकार किया है । माननीय नित्यानन्द स्वामी और श्री रामगोपाल संड की सूचना को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । वह उत्तर प्रदेश के रोडवेज में केंद्रीय वेतन आयोग लागू करने से कर्मचारियों को हानि के कारण उसका विरोध के बारे में है। कल्पनाथ सिंह जी का भी इसके साथ शामिल कर दिया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

हमने जो कामरोको प्रस्ताव दिया है उसको आप पढ़ तो दीजिये । उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रोडवेज के कर्मचारियों में घनघोर असंतोष व्याप्त है और उसके कारण जनता में क्षोभ और भय व्याप्त हो रहा है । इसको अगर आप केवल वक्तव्य के लिये रखेंगे तो उससे काम न चलेगा । सरकार उनकी रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रही है । इसके कारण उन लोगों में आतंक का वातावरण व्याप्त हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब आपको उसके बारे में बजट के समय बोलने का मौका हो, गवर्नर का अभिभाषण आपके सम्मुख हो, इन दोनों मौकों पर आप उसका जिक्र कर सकते हैं और सरकार को प्रभावित कर सकते हैं । इसलिये इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये रखा है ।

एक और सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, चन्द्रभान शर्मा, त्रिलोक चन्द्र आदि का है । बुलन्दशहर जनपद में चेचक रोग से ८२ लोगों की मृत्यु किन्तु सरकार इस दिशा में उदासीन है, इसके बारे में है । उसको भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष---

अब श्री जगदम्बा प्रसाद अपना भाषण जारी रखेंगे ।

(श्री त्रिवेणी सहाय के कुछ कहने पर)

वह आप वक्तव्य के समय कहियेगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें, आपने कल सवाल दिया था वह अस्वीकार हो गया है ।

*श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में....

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मैं एक जानकारी चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठें, वह भाषण दे रहे हैं, आपने स्वयं लिख कर दिया था वह बता दिया गया है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में कल इस चर्चा में मैं निवेदन कर रहा था कि उसमें मध्यवर्ती जिले फैजाबाद और लखनऊ डिवीजन की उन्नति के लिये उनके पिछड़ेपन

---

†२६ मार्च, १९७२ की कार्यवाही से ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री जगदम्बा प्रसाद]

की दूर करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मैंने इस अभिभाषण को पढ़ा लेकिन उत्तरी पूर्वी जिलों, पर्वतीय जिलों और बुन्देलखंड के जिलों के लिए तो अनेक व्यवस्था की गई हैं परन्तु जो पूर्व में हैं और न पश्चिम में हैं और जो बीच के जिले हैं उन में उपेक्षा की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बीच की २ कमिश्नरियां हैं उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये भी योजना बनायी जाय। फैजाबाद जिले के पूर्वी अंचल में जो जलालपुर निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर न नलकूप हैं और न नहर की ही व्यवस्था है । मैंने इस संबंध में निरन्तर सिंचाई समिति के सामने सुझाव रखे लेकिन प्रगति की दिशा में वहां कोई काम नहीं किया गया । इसी कारण से वहां के किसान कृषि उपज बढ़ाने में असफल रहे हैं । मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करायें और वहां नलकूपों की या नहर की व्यवस्था करायें । मैं उन के सम्मुख उन ग्रामों की सूची प्रस्तुत करूंगा कि जो सिंचाई की सुविधा से वंचित हैं ।

इस अभिभाषण में जो शासन की शिथिलता है और जो व्यापक भ्रष्टाचार है उस के निवारण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । उदाहरण के लिये मैं फैजाबाद जिले के जलालपुर के थाने दार के कृत्यों की ओर आप का ध्याना दिलाना चाहता हूं । ११ नवम्बर से २० मार्च, सन् ७२ तक के समय में थाने के सामने उस से 1 फरलांग उत्तर और १ फरलांग दक्षिण के क्षेत्र में जितनी भी घटनायें हुई हैं उन में आजतक इस थानेदार ने एक भी चालान नहीं किया । उदाहरण के लिये थाने से १ फरलांग पर ही एक आदमी का कत्ल हुआ और जो मारने वाले थे आल मुलजिम थे उन से रुपया लेकर गलत आदमियों का चालान किया गया । माननीय मुख्य मंत्री जी और जिला अधीक्षक पुलिस के पास इस आशय की शिकायत और प्रार्थना-पत्र भेजे गये लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

एक व्यक्ति को १०७ के मुकदमें में निरन्तर फंसाये रखा गया और मारने वाले की रक्षा की गई और थानेदार, राना प्रताप सिंह ने अपनी रिपोर्ट में मामले को ड्राप कर दिया जबकि स्कूल के लड़कों ने दिनदहाड़े मारा था और इस थानेदार ने रुपया पाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की । इस आशय का प्रार्थनापत्र हमारे जिले के कुछ विधायकों ने सचिव को और पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित किया लेकिन आज तक क्या कार्यवाही हुयी या हमको कोई पता नहीं। इसी प्रकार की घटनायें और भी जिलों में होती रहती हैं और अगर इन पर तत्काल कोई कार्यवाही नहीं होती है तो ऐसी घटनाओं का होना बन्द नहीं हो सकता है।

इस शासन में कुछ ऐसे जुडिशियल अधिकारी और रेवेन्यू अधिकारी हैं जो कि हमारे जिले फैजाबाद में नियुक्त हैं उनके बारे में माननीय राजस्व मंत्री जी को लिखा कि ये अधिकारी बड़े भ्रष्टाचारी हैं और इन्हें रिश्वत लेने की आदत है लेकिन यह कहा गया कि वे इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो व्यवहार का प्रश्न आप उठा रहे हैं, प्रशासनिक, इस पर आप बजट के संबंध में उपयुक्त अवसर पर बोलें तो अच्छा होगा। इस समय आप राज्यपाल के अभिभाषण तक ही अपने आप को सीमित रखें।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में शासन में जो शिथिलता आ गयी है उसके सुधार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसके बारे में सरकार को कुछ न कुछ कार्यवाही

[श्री जगदम्बा प्रसाद]

तुरन्त करनी चाहिए। प्रशासन में जब तक शिथिलता रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप सही नहीं रहेगा तब तक आम जनता की सुरक्षा और उनके जानमाल की सुरक्षा नहीं हो सकती है। जहां पर थानेदार मौजूद हो वहां इस प्रकार की दिन दहाड़े आदमी मारा जाय और किसी के मकान में लड़के घुस जायं, उसका सामान छीन लिया जाय और कोई कार्यवाही न हो, यह शासन की शिथिलता है। ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना नितान्त आवश्यक है।

आज इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमारी सरकार का प्रयत्न होना चाहिए। आज पूरे देश में यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमको अवश्य धनराशि मिलनी चाहिए। इस प्रदेश में जो यातायात के साधन हैं और जो सिंचाई के साधन हैं, खास कर हमारे पूर्वीअंचल में, वे पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं। उनको पूरा करने में सरकार सहयोग करे। उदाहरण के लिए जलालपुर से न्योरी और जलालपुर से मिलुपुर तक सड़क बना दी जाय और आप उन सड़कों को जो फैजाबाद और आजमगढ़ जनपद को मिलाती हैं पूरा किया जाय। उनको मिलाने से पिछड़े इलाके में उन्नति हो सकती है। इनकी ओर भी आप को ध्यान देना चाहिए। माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि हम यातायात के सम्बन्ध में अधिक ध्यान देंगे। उसको दृष्टि में रखते हुए मैं अपने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन सड़कों के निर्माण के लिए अवश्य धन दें। हमारी सरकार २० लाख रुपया खर्च करके पुल का निर्माण करा रही है। उस पुल से और सड़कों के मिल जाने से यातायात के साधन उपलब्ध हो जायेंगे।

इन शब्दों के साथ में माननीय रियासत हुसैन जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण और बजट का प्रस्तुतीकरण एक ही दिन हुआ। जहां तक इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है उस पर बजट पर विचार करते समय कहा जायेगा। इस वक्त में अभिभाषण के सम्बन्ध में केवल कुछ मौलिक बातों की ओर आपका ध्यान और आपके द्वारा इस सदन का ध्यान तथा सारे प्रदेश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात मान्यवर, आज की परिस्थिति में जब कि सारे संचार साधन, सरकार के हाथ में हैं, रेडियो सरकार के हाथ में है, टेलीविजन सरकार के हाथ में है, किन्हीं कारणों से हमारा प्रदेश भी टंग-टाइड है, जबान जिनकी बन्द है, सारी आर्थिक शक्तियां एक ही व्यक्ति और एक ही सरकार के हाथों में केन्द्रित हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या प्रजातंत्र की रक्षा हो सकेगी। आज यह बहुत बड़ा मौलिक प्रश्न है जो कि समाज के सामने उपस्थित है।

अब मैं उसके हर पहलू पर बहुत सूक्ष्म रीति से विचार व्यक्त करता जाऊंगा। कहा जाता है कि यह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी पर काम करने वाली सरकार है। यह ढांचा है सरकार का। लेकिन हम इसकी करनी पर विचार करें। कौन ऐसा समझता था कि ऐसी तथा कथित सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी वाली सरकार के अन्तर्गत जो चुनाव होंगे वे निष्पक्ष होंगे। सबको समान अवसर मिलेगा। इस पहलू पर, मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं। इलैक्शन कमीशन ने बारह हजार रुपये की सीमा बांधी, लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिये और ३० या ३५ हजार रुपये की सीमा बांधी पार्लियामेंट के लिये। आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

हमारा शासक दल जिसमें मुख्यतः एक ही व्यक्ति हमारी प्रधान मंत्री हैं, हमारी प्रधान मंत्री का आज हर पहलू पर सबसे बड़ा हाथ है उनको देखते हुए खर्चा किस प्रकार होता है। पार्लियामेंट में दस-दस लाख रुपये खर्च हो जाते हैं। जैसे बिहार में मिश्रा जी के इलेक्शन में खर्च हुए और असेम्बली में चार-चार तीन-तीन लाख रुपये खर्च हो जाते हैं। तो क्या आज जो शासनारूढ़ दल है उनके लिये यह क्या विचार करने की बात नहीं है?

आज मामूली व्यक्ति चाहे वह कितना भी योग्य क्यों न हो इन साधनों से वंचित है। वह क्या समान अवसर पा रहा है। क्या उसको समान अवसर लड़ने का मिल रहा है। और दूसरी बात इतने बड़े-बड़े लोग जो अपना खर्चा इलेक्शन का दाखिल करते हैं दस-दस लाख रुपये जो खर्च करते हैं यह पैसे कहां से आते हैं या पाते हैं। क्या इसमें भी दो मत हो सकते हैं। एक प्रत्याशी अनुचित ढंग से कमा कर खर्च करता है या काले धन का उपयोग करता है जो वह महाजनों से पाता है। मैं सारे देश और प्रदेश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि काले धन को सफेद धन में करने के लिये लाखों करोड़ों के ऊपर पूंजी लग जायेगी तो आज की सामाजिक आर्थिक रचना कैसे होगी। कैसे समान अवसर मिलेगा? मान्यवर, इस पर विचार करें। क्या आज वह व्यक्ति जो समाज के कीम कहे जाते हैं ईमानदारी से अपना रिटर्न आफ एक्सपैन्स दाखिल करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने कि हमने बारह हजार रुपये कम का खर्चा किया है। यह निन्दनीय बात है। जो समाज की आंखों के सामने है। मैं फिर भी आज सब से ऊपर कहने वाले व्यक्ति जो हैं वे अपनाते हैं। मैं चाहता था कि राज्यपाल महोदय तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करूं कि प्रजातन्त्र इस प्रकार कैसे चलेगा।

आज जनता सोचने लगी है कि प्रजातन्त्र में उसी का हाथ हो सकता है जिसके पास पैसा हो और जिसके पास शक्ति हो जो शासन में हो। दूसरी बात इस शासन में हम यह कहते हैं कि जो शासनारूढ़ रहते हैं वे पद का दुरुपयोग करते हैं। प्रधान मंत्री ने हैलीकाप्टर का दुरुपयोग किया। सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग किया, सिक्योरिटी अरेन्जमेंट्स पर खर्चा हुआ लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि वे प्रधान मंत्री हैं उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होनी चाहिएं। हैलीकाप्टर का जहां तक सम्बन्ध है, चाहे वह यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे कनाडा हो, जहां-जहां यह प्रजातन्त्र और लोकतंत्र प्रणाली है वहां हम देखते हैं कि वे उनका उपयोग पार्टीज को छोड़कर करते हैं और तब सब काम करते हैं। सरकारी साधनों का उपयोग नहीं करते हैं।

हम बाई-इलेक्शन में ही देखें। मैं मिर्जापुर गया था---वहां क्या हुआ। वहां सरकारी साधनों का उपयोग हुआ। वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने चारों तरफ प्रचार किया, सारे मंत्री लोग अपने साधनों का उपयोग करके वहां जमघट बनाया और उनके विभाग के सारे लोग वहां गये हम मानते हैं कि जब हम मंत्री रहे, और हमारे समय में भी इलेक्शन रहा तो यह आरोप हम पर लगाये जा सकते हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो सब से ज्यादा शक्तिवान है, जो सरकारी पक्ष में रहते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम होता है मुझसे कहा जाता है कि आज करोड़ों रुपया बिरला आदि से कांग्रेस पार्टी ने लिया। क्या कारण है कि आज तक हम यह निर्णय नहीं ले पाये हैं कि जो हिन्डालको को हम बिलो कास्ट प्रोडक्शन पर बिजली नहीं देंगे। ऐसे अनेक मामले हमारे सामने आते हैं जिसमें निर्णय नहीं हो पाता क्योंकि यह फाइनेंस करते हैं शासन दल को। इस पर भी एक कोड आफ कन्डक्ट होना चाहिये। सरकारी तन्त्र का उपयोग तभी न होगा जब हम कुछ दिनों के लिये शासन से उतर जायं और प्रेसीडेंट और राज्यपाल का रूल हो जाय। आज प्रजातन्त्र को बचाने की सब से बड़ी आवश्यकता है जिससे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल न हो।

आज इलेक्शन को कन्डक्ट कराने की मशीनरी कौन है ? वह है इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर जनरल लोकतन्त्र के प्राण हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे देश का विश्वास आज इलेक्शन कमीशन से हिल गया। जब कांग्रेस में अन्दरूनी झगड़े हुये और सिम्बल के बटवाने की बात आई कि बैल हमारा है तो इलेक्शन कमिश्नर ने प्राइम मिनिस्टर की इच्छा देखी और इलेक्शन कमिश्नर ने वही किया जो प्राइम मिनिस्टर की इच्छा थी। इसपर आपको विचार करना होगा। हालांकि बाद में उन्होंने बैल का सिम्बल नहीं लिया और गाय-बछड़ा लिया। लेकिन जब हमने गाय के सिम्बल के लिये एप्लाई किया था तो यह कह दिया गया कि यह धार्मिक है, हम नहीं देंगे। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारा प्रजातन्त्र किधर जा रहा है और इसकी रक्षा कैसे हो जहां कि इलेक्शन कमिश्नर स्वतन्त्र नहीं है।

स्टेट एसेम्बली की तरफ आइये। चीफ इलेक्टोरल आफीसर कौन होता है ? हम इण्डिपेंडेंट की बात कहते हैं, लेकिन यह चीफ इलेक्टोरल आफीसर होता है लीगल रिमेम्बरेंसर, जिसकी यह हिम्मत नहीं कि वह जो सरकारी पावर में है उसका विरोध करे। मैं एक दृष्टान्त देता हूं। मैं आज जब एसेम्बली में अनुपस्थित था तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि स्थानीय निकायों के चुनावों को स्थगित किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि किसने रोका—चीफ इलेक्टोरल आफीसर ने ? यह अपनी राय प्रकट करने के लिये होते हैं, लेकिन यह सरकार का रुख देखते हैं। तो मैं पूछता हूं कि कहां गई स्वतंत्रता। यह कैसे लोगों के मन में विश्वास आवे कि हमारे प्रतिनिधि जो चुने जा रहे हैं वह स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं और योग्य हैं। मान्यवर, एक भयंकर संकट आज लोकतन्त्र के सामने उपस्थित है।

एक बात मैं पंडित जी से भी कहना चाहता हूं। मैं उपेक्षा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा था कि सारा पूर्वी इलाका, पहाड़ी क्षेत्र, सूखा ग्रस्त इलाकों में हैलीकोप्टर से दवा छिड़कें, लेकिन दवा नहीं छिड़की गई और आफीसर सभी सोते रहे कोई कदम नहीं उठाया। आज तिलहन की फसल नष्ट हो गई है। यह जरूरी था कि तेंदूपत्ती का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, लेकिन उसके लिये भी कोई उचित अवसर होना चाहिये जिससे कोई यह न कह सके कि दुरुपयोग हो रहा है पावर का। माना आपने नेकनियतबता से किया, लेकिन उस पर आंच आ ही जाती है। तो इस पर जरूर विचार करना चाहिए।

हमको आप समाजवाद लाने के लिये समान अवसर कैसे देंगे। आप केवल इसकी बात करते हैं या इसको करने के लिये भी चेष्टा करेंगे। ये छोटी-छोटी बातें हैं। हमारी प्रधान मंत्री हैं उनके बारे में आर्टिकिल पढ़ा। मैं कह नहीं सकता कि आज पर्सनालेंटी बिल्डिंग की पूजा होगी या नेशन बिल्डिंग की सराहना होगी। हमने देखा कि सारे देश में उनकी इच्छानुसार मुख्य मंत्री बनाये जा रहे हैं। जिसको जिस समय चाहा हटा दिया और कोई बाहर से लाकर मुख्य मंत्री बना दिया। आन्ध्र, आसाम, मध्य प्रदेश कहीं पर भी इसको ले लें। क्या हमारा अब ऐसा ही विश्वास हो गया है कि बिना डिक्टेटरशिप के हम चल ही नहीं सकते हैं, देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है या देश को हम ठीक कर ही नहीं सकते हैं ? हमारे त्रिपाठी जी मुख्य मंत्री हैं उनके बारे में भी भिन्न-भिन्न राय हैं। यहां के विधायकों ने उनको चुना है या कि प्रधान मंत्री ने उनको मुख्य मंत्री बनाया है। यह हमारा लोकतन्त्र कहां जा रहा है। आज जो दल बहुमत में है, जिसकी शक्ति है, उसकी क्या जरूरत रह जाती है। उससे कोई मतलब नहीं नहीं रहता कि चाहे ऐ मुख्य मंत्री हो अथवा बी मुख्य मंत्री हो। हमारे देश में लोकतंत्री प्रणाली है उसको हमको अपनाना है परन्तु यह जो हो रहा है उससे लोकतंत्र पनपनेवाला नहीं है।

आज हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह है डिफेक्टर्स की। शेख मुजीबुर्रहमान ने आते ही कह दिया कि यदि कोई सदस्य एक पार्टी से दूसरी में डिफेक्ट करता है तो वह सदस्य नहीं रह सकता है। कांग्रेस दल की सरकार है वह इसको प्रोत्साहित कर रही है। दल बदल बहुत ही घृणित है और इसको कानून द्वारा रोका जाना चाहिए। आदर्श भी तो कोई चीज है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी

राणा प्रताप ने अपने आदर्शों के लिये घास की रोटी खाई, गुरु गोविन्द सिंह के लड़कों को दीवाल में चुन दिया गया और राजा हरिश्चन्द्र ने इसी आदर्श के लिये अपने को बेंच दिया परन्तु सत्यनिष्ठा से कभी विचलित नहीं हुये। पूज्य महात्मा गांधी जी ने सत्यता और कर्तव्यपरायणता का जीवन पर्यन्त पालन किया। इसीलिये उन्होंने रघुपति राघव राजा राम कहा। आप एक लाख आदमियों के द्वारा चुन कर आते हैं, उनका आप पर विश्वास है और आप अपने स्वार्थ के लिये एक मिनट में इधर से उधर चले गये। यह विश्वासघात है। अभी ट्रेन में आ रहा था तो एक सज्जन कहने लगे कि हमारे साथी दल बदलू हो गये और मुझको इतनी लज्जा है कि चूहे का बिल भी नहीं मिलता कि जहां पर मैं अपना मुंह छिपा सकूं।

मनुष्य का स्वभाव है कि वह प्रलोभन पाकर उसकी ओर झुक जाता है। परन्तु इस प्रकार का प्रलोभन देने वाले सब से ज्यादा घातक और पापी हैं। वे सिद्धान्तों की हत्या करते हैं। यदि हम उधर जाते हैं तो यह प्रलोभन ही है कि जिसके कारण हमको पद, चेयरमैनशिप तथा कमेटियां मिलती हैं। मान्यवर, इस प्रकार से अनेकों मिसालें हैं। आखीर जब इतिहास लिखा जायगा तो यह भी लिखा जायगा कि अनेक दल बदलू ने लाखों लोगों को धोखा दिया, अपने सिद्धान्तों की हत्या की और पद और प्रलोभन वश दल बदल दिया। ऐसी स्थिति में क्या आप यह समझते हैं कि प्रजातंत्र में किसी को विश्वास रह जायगा। कभी नहीं विश्वास रह सकता है।

आज ढोंग वाली प्रवृत्ति कांग्रेस में है। मैं इनकी नीति का एक ही उदाहरण दूंगा। वी० आर० मोहन के प्रति इतनी दिलचस्पी वही दिखला सकता है जिसके साथ आर्थिक सम्बन्ध हो अथवा रिश्तेदारी हो। उनको खड़ा किया जाता है। आज वह सहयोगी हो रहे हैं सदस्यों को खरीदने के लिये। हमारे मेम्बर्स आते हैं और कहते हैं कि उनके पास भी अप्रोच किया गया। मैंने हंस कर टाल दिया। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वह अपोजिट पार्टीज के मेम्बर के पास जायंगे और रुपया देंगे। मान्यवर, समाजवाद कहां जा रहा है। आज इसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। जनता का लोकतंत्र में आज विश्वास नहीं रह गया है। तो आज किसी का ईमान बचने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी के तीन विंग हैं। लेजिस्लेटिव, इक्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में जन प्रतिनिधि चुन कर आता है। हमने अपने संशोधन में रक्खा है कि ३१ दिसम्बर को असेम्बली बुलाई गई है, १ जनवरी को नहीं बुलाई गई है। यह कितना निन्दनीय है कि १ जनवरी को न बुला कर असेम्बली को ३१ दिसम्बर को बुलायी गयी और उसके बाद फरवरी में प्रोरोग कर दिया कि विधायी कार्य अपने हाथ में ले सकें। आर्डीनेंस निकाला जाता है असेम्बली आने के ३ दिन पहले। क्या पहले मालूम नहीं था? यूनानिमस रेजोल्यूशन १९७० का है कि ९० दिन असेम्बली होगी। जन प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बातें सरकार के सामने रखते हैं। आप बहुमत में हैं उस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन जो पद्धति अपनाई जाय वह ठीक होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं कहता हूं कि कमेटीज को देख लीजिये। कमेटीज की कभी रिपोर्ट नहीं आती है। इन्डेपेन्डेन्स आफ जुडिशल सेक्रेटेरियट पर हमने रिपोर्ट दी थी। एक हायर जुडिशल सर्विस ले आये कि वह काबू में रहे। इन्डेपेन्डेन्स आफ जुडिशरी उनको कबूल नहीं है। उनके सेक्रेटेरियट को अधिकार देना सरकार को बर्दाश्त नहीं है। उनकी दुर्दशा है। हमारी प्रधान मंत्री ने कहा कि कमिटेड जुडिशरी चाहिये। श्री कुमार मंगलम ने अभी हाल में कहा है कि जुडिशरी कंजरवेटिव रहती है। यह मेरिट पर चुने जाते हैं इसलिये जज को कानून को देखना पड़ता है। आप सोशल नेसेसिटीज को देख कर कानून बनाइये और गड़बड़ी हो तो संशोधन कीजिये।

आज जुडिशियरी इतनी करप्ट हो गयी है। मुझे दुख होता है यह कहते हुये। मैं यह नहीं कहता कि हरेक आफिसर करप्ट है। लेकिन उनकी ईमानदारी से काम करने में दिलचस्पी नहीं है। वे किसी न किसी पोलिटिकल लीडर से अफिलियेटेड होते हैं। आज हरेक अफसर जानता है कि चापलूसी से हमारी तरक्की होगी। क्या उसका जीवन चरित्र है, हमें उस पर नहीं प्रकाश डालना है। हमें तो यह कहना है कि यह सरकार आज सो रही है। अगर इसे दिलचस्पी है किसी चीज में, तो वह चुनाव जीतने-हारने में। अब जरा इनकी कार्य-प्रणाली देख लीजिये। आज मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है। गरीब न्याय नहीं पा सकता। अगर वह किसी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, तो दो मुकदमें में हटा सकते हैं। इतना कास्टली न्याय है। आर्डनरी केसेज की संख्या ठीक याद नहीं है, करीब ६०–७० हजार केसेज वहां हाई कोर्ट में पड़े थे। अब तो शायद और बढ़ गये होंगे। तो ऐसी हमारी जुडीशियरी है।

जेलों में सन् ७० में ३६,८०४ केसेज कैदियों के थे, इसमें १४,८०४ केसेज पेंडिंग हैं। यह हमारी जुडिशियरी की हालत है। पब्लिक कहती है कि हमें इन्साफ नहीं मिलता है। जिसके पास पैसा है, उसे इन्साफ मिलता है। हमारे स्टेट मिनिस्टर जस्टिस ने कल मिर्जापुर में कहा है कि हम देखेंगे कि सर्वेयिंग फीस बढ़ जाय। मैं कहता हूं कि लिटिगेशन कम करने के बारे में क्यों नहीं कहते। यह सरकार की कितनी बदनामी है कि सरकार के ऊपर जो केसेज दायर होते हैं, उनमें ८५ प्रतिशत केसेज वह हार जाती है। सरकारी वकील कोई दिलचस्पी नहीं लेते। उनकी छानबीन करने वाला कोई नहीं है। इसके बारे में कोई नीति-निर्धारित नहीं की। इस पर भी विचार करना चाहिये।

अब जरा एक्जीक्यूटिव पर आइये। आज एक्जीक्यूटिव आफिसर सरकार के सर्वेसर्वा हैं। अंग्रेजों के जमाने में एक्जीक्यूटिव के जो नियम बने, आज वह बदले नहीं। ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफाम कमीशन न मालूम कितने बदले, किन्तु आज वह नहीं बदला। क्या कारण है ? कारण साफ है। अंग्रेजों के समय यह उनकी पावर बनाये रखने के लिये अत्यन्त आवश्यक था और आज भी यह इस सरकार की पावर बनाये रखने के लिये आवश्यक है। आज एक्जीक्यूटिव आफिसर में कोई अयोग्य नहीं है। हमारा हर मंत्री, अपने दल की बात उनसे करवाना चाहता है। इसलिये उनमें योग्यता, भ्रष्टाचार और अक्षमता फैल गयी है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र आवश्यक था।

आज ट्रांसफर खुले बाजार बिकते हैं। चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे जुडीशियल हो, चाह ट्रांसपोर्ट हो या अन्य विभाग हों, आज उनके अधिकारी या सम्बन्धित छोटे अधिकारी बिकते हैं, कोई १० हजार रुपये में कोई २० हजार रुपये में। आपने कोई इस सम्बन्ध में पालिसी निर्धारित क्यों नहीं की। सीतापुर जिले में दो डी० एम० भेजे गये एक ही समय में। जब मैं मन्त्री था, तो बांदा गया था। दो मजिस्ट्रेट थे बांदा में उस समय और दूसरा हटा नहीं। शायद बाद में फिर हट गया। तो यह ट्रांसफर के बारे में इतना गोल माल क्यों है। सरकार क्यों नहीं इस ओर कोई नीति निर्धारित करती।

आज जो ट्रांस्फर्स और पोस्टिंग होती हैं वे सभी मन्त्रियों की मर्जी पर होती हैं। अभी कल ही मुझे पता चला कि उरई या झांसी के तहसीलदार का ट्रांसफर हुआ, मगर मुख्य मन्त्री के किसी छोटे मन्त्री ने उसे रोक दिया। आज एक नहीं हजारों उदाहरण इस तरह के मौजूद हैं। फिर इस तरह से यह प्रशासन कैसे चलेगा, कैसे उसमें कुशलता आयेगी ? सिंचाई विभाग के एक के० सी० शर्मा का उदाहरण है कि मैंने जब उनसे पूछा कि आपके एरिये में फलां नलकूप कितने कमान्ड एरिया में है, उससे कितनी सिंचाई हो सकेगी, बिजली मिली या नहीं, वे कोई भी जानकारी देने में असमर्थ रहे। यह है उनकी क्षमता का नमूना।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

अब मैं करप्शन पर आता हूं । करप्शन है यह सर्व मान्य हो गया है । मान्यवर, यदि हमारे शरीर में कैन्सर हो गया है तो यह तो ठीक नहीं है कि उसका इलाज ही न किया जाय । अगर मरना भी है तो जितनी राहत मिल सके उतना अच्छा है । करप्शन ऐसा नहीं है कि नीचे ही है, वह टाप से शुरू होता है और छनते-छनते नीचे तक आ जाता है । किसी ने कहा है कि हर मिनिस्टर को अपने विभाग की एफीशिएन्सी के लिये जिम्मेदार होना चाहिये । किन्तु हमारे मिनिस्टर लोग करते क्या हैं? मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि ७५ फीसदी मिनिस्टरों के खिलाफ मुख्य मन्त्री जी के पास शिकायतें पहुंचीं और अगर पहुंची तो उन्होंने क्या कार्यवाही की? मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी जब उत्तर दें तो बतायें उन्होंने क्या कार्यवाही की । मेरे हृदय में माननीय मुख्य मन्त्री जी के लिये बड़ा आदर है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं । यहां पर लोकल सेल्फ के मिनिस्टर के खिलाफ कहा गया था मगर आपने कुछ नहीं किया ।

ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ एक रिट भी दाखिल हुई जिसमें यह इल्जाम था कि १० हजार रुपया उन्होंने मांगा, मैं यह मान भी लूं कि वह गलत था, मगर एक इल्जाम था, उसकी जांच होनी चाहिये थी । पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर के खिलाफ भी समय-समय पर कई चार्जेज लगाये गये । उन्होंने अनक्वालीफाइड इन्जीनियरों को नियुक्त कर लिया । आपकी नोटिस में सभी केसेज लाये गये मगर आपने कुछ नहीं किया । आज जनता जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं ? यह बड़ी गम्भीर बातें हैं ।

एक विद्यार्थी मेरे पास आया था, मैं उसे लेकर सूचना मन्त्री जी के पास गया, उन्होंने कहा कि मुख्य मन्त्री जी से कहिये । उन्होंने मुख्य मन्त्री जी के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया उसे सुन कर मुझे बड़ा आत्मिक क्लेश हुआ । उन्होंने अपना क्रोध प्रगट किया पंडित जी के खिलाफ । ऐसा असभ्य तथा कटु शब्दों का प्रयोग किया जो मुझे समझ में नहीं आए । आज हमारे मन्त्रि मण्डल में यह सब कुछ हो रहा है कि मन्त्रियों का परस्पर विश्वास भी नहीं है । पंडित जी की क्या यह ड्यूटी नहीं है कि सबको असहयोग करने से रोक सकें और शिकायतों के सम्बन्ध में डिक्लेयर करें कि जो शिकायतें आएंगी उनकी उचित छानबीन की जाएगी ?

अभी उधर से हमारी एक माननीय सदस्या कह रही थीं कि आर्थिक स्थिति न सम्हली तो देश में क्रान्ति हो जाएगी, लेकिन मैं उससे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि यदि लोगों को न्याय न मिला, भ्रष्टाचार की स्थिति न सुधरी तो लोग चौराहों-चौराहों पर अपना फैसला खुल कर लेंगे खूनी क्रांति होगी इसे कोई रोक नहीं पाएगा । हम जनता क प्रतिनिधि को रोकने में कोई रुचि नहीं लेंगे, हम मजबूर हो जायेंगे क्योंकि जनता ने चरम सीमा तक धैर्य धारण कर रखा है । यह पहले भी रहा है और आज भी है, लेकिन जितना इस वक्त है उतना पहले कभी नहीं रहा है । अनेक छोट-छोटे मसले इन मिनिस्टर्स के खिलाफ नित्य प्रति सामने आते रहते हैं ।

एक मिनिस्टर हैं जिनका अखबार में नाम निकला था । उन्होंने अपनी ससुराल तक सड़क बना ली है । ससुराल बड़ी प्रिय चीज होती है जिसके पास है नहीं, वह क्या जाने । आप सड़क बनावें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रयोग के लिये पब्लिक मनी का दुरुपयोग न करें । चौधरी चरण सिंह ने अपने मुख्य मन्त्रित्व काल में एक पब्लिक मेन इंक्वायरी आर्डिनन्स निकाला था जिसमें यह व्यवस्था थी कि मिनिस्टीरियल लेवेल के व्यक्तियों के खिलाफ भी कारगर जांच हो । उन्होंने प्रयास किया था कि पब्लिक लाइफ नीट और क्लीन हो । मान्यवर, यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि उनक हटन क बाद वह आर्डिनेन्स अभी बिल की शक्ल में क्यों नहीं आया ? इसक लिय चाह जो भी सरकार जिम्मेदार रही हो । क्या उसमें यह दोष था कि आप सब झुण्ड के झुण्ड उसमें शामिल हो जाते ? एक भी आदमी स्वच्छ शासन का न निकलता ?

आप एक बार भ्रष्टाचार मिटाने में तन मन और धन से जुट जाएं, दृढ़ प्रतिज्ञा करके जुट जाए, भले ही इस प्रयास में प्रजातन्त्र चला जाए, लेकिन भ्रष्टाचार के बल पर रुका हुआ प्रजातन्त्र हम नहीं चाहिये । आज हमें, रेलों आदि पर जनता के सामने अपने को एम० एल० ए० बताने म शर्म लगती है, क्योंकि इनका जीवन लज्जाजनक है । हम लोग दलबदलू के नाम से अवसर वादी और स्वार्थवादी के नाम से बदनाम हो गये हैं । एक मसल ही चल पड़ा है--"यह तो ऐसे शर्मा गये जैसे दल बदलू शरमा जाते हैं ।" इसलिये हमारा सुझाव है कि अपने यहां भी एक आयोग बनाया जाए, एक बाडी बनाई जाए, जिसका काम केवल इंक्वायरी करना हो । जो पब्लिक मैन के बारे में पूछे चाहे वह एम० एल० ए० हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा नगरपालिका क पदाधिकारी हों, उसे देखना चाहिये कि उनकी करनी क्या है और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाया करे । हम स्वच्छता की ओर बढ़ें । यह ठीक है कि यह कार्य एक दम से नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो हो सकता है ।

(इस समय १ बज कर ५ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुए ।)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एक मौलिक बात है । एक बिजिलेंश कमीशन बना हुआ है । उसके बारे में बड़ी विडम्बना यह है कि जब सरकार बदलती है तो वह अपने माफिक आदमी को डाइरेक्टर बना देती है । मैं जानना चाहता हूं कि आज तक उस कमीशन ने कितनी रिपोर्टें दीं जो सदन के सामने विचारार्थ आईं । १९६५ में यह कायम हुआ था, तब से हमारे सामने कोई रिपोर्ट उसकी नहीं आई । उनसे मिला जाए तो वे कहते हैं कि साहब हमारी पालिसी धुलित पड़ गई है, इतना राजनैतिक दबाव है, इतना इन्टरफियरेन्स है कि हमारा कारोबार और हमारा विजिलेंश कमीशन बकार है । किसी ने कभी पूछा कि विजिलेंश कमीशन में कितने केस आये । मैंने एक सवाल पूछा था कि कितने केस आये, कितनो पर कार्य-वाही हुई, कितने-कितने दिन से पेंडिंग हैं । वह रिजेक्ट हो गया । किसी ने पूछा, क्यों किसी की दिलचस्पी नहीं है । जब सरकार को दिलचस्पी नहीं है तो किसको दिलचस्पी हो सकती है? आखिर कौन सी मशीनरी है जो करप्शन को दूर करेगी ? यह किस का कर्तव्य है? मैंने चौधरी चरण सिंह से बात की । वह नाराज हो गये । कहने लगे कि अपोजीशन वाले मेरी बात सुनते नहीं, बोलने से क्या फायदा ? मैंने कहा कि हम लोग सुनेंगे । भिन्न-भिन्न विचार होते हैं । हो सकता है कि सरकारी पक्ष के विचार सही हों या आपके विचार सही हों । मेरे मन में बड़ी अन्यमनस्कता थी, बोलने पर कोई सुनवाई नहीं होती । आज विरोधी पक्ष वाले इस लिये बात नहीं कहते कि सत्य बात कहने में भी डर लगता है कि हमारी बात सुनी नहीं जायगी । दूसरी बात मैंने मान्यवर, आप से कह दी कि बहुत जबरदस्त क्राइसिस आफ कैरेक्टर है ।

एक बात और कहना चाहता था । यह भी मैंने पढ़ा कि लखनऊ के अगलबगल ब्यूरो-क्रेसी के ७० फार्म ऐसे हैं जिनमें काला धन सफेद धन किया जाता है । पता नहीं नैनीताल, किच्छा, लखीमपुर में और कितने बड़े फार्म्स हैं । मैं फार्म्स करने का विरोधी नहीं । सरकार क्यों आंखें मूंदती है । किसी ने प्रश्न किया कि मिनिस्टर अपनी जायदाद सामने लाएं, कि उनक पास कितनी जायदाद है । माननीय मुख्य मन्त्री या किसी मिनिस्टर ने जवाब दिया कि हाउस में डिस्क्लोज करने का विचार नहीं है । मैं आपके द्वारा सारे प्रान्त से, अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन सी खुसूसियत है चार दिन का मिनिस्टर अपनी जायदाद नहीं डिस्क्लोज कर सकता है । हम मजबूर करते हैं बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेसी के लोगों को कि वह अपनी जायदाद बताएं, यह जायदाद कहां से प्राप्त की, क्या जवाब है ? मामूली आदमी इतने आग बढ़ गये हैं इसलिये कि उन पर कोई रोक नहीं है । काला धन सफेद करने की नयी विधि निकाली गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

कितना समय और लेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

१५ मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

१० मिनट ले लीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

२० मिनट कहता तो १५ मिनट दे देते। मैं यह कह रहा था, एक दूसरा ढांचा लोकल बाडीज का है। लोकल बाडीज के बारे में यह कहना चाहता था कि लोकल बाडीज को बड़े आराम से सुला दिया। पंचायत चुनाव और दूसरे चुनाव जब-जब सुविधा पड़ी रखते गये। मुझ इस बात का बड़ा क्लेश है कि जब कोई भी सरकार आती है, जैसे कांग्रेस की सरकार आयी और दूसरी पार्टी की लोकल बाडी है उसको सुपरसीड कर दिया। मैं समझता था कि माननीय धर्मदत्त जी बड़े निष्पक्ष हैं लेकिन उन्होंने अपनी निष्पक्षता की हत्या कर डाली। जौनपुर की म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड कर दिया। रुद्रपुर के बारे में मैंने कहा टेलीफोन पर।

मन्त्रियों की टेलीफोन की बड़ी अजीब हालत है। मैं एक तरमीम पेश करना चाहता हूं, कि एक-एक टेलीफोन मन्त्रियों के गुसलखाने में लगवा दिया जाय क्यों कि आज भी जवाब दिया जाता है कि मन्त्री जी गुसलखाने में हैं। हम रोक नहीं सकते, वहीं से जवाब दिया करें। सुना है कि पंत जी गुसलखाने में पढ़ा करते थे। हमारे लोगों के हित में है। सेक्रेटरी लोग तो सुनते नहीं हैं। सेक्रेटरी लोगों को वहीं टेलीफोन पर सुनाई देता है। कौन बोल रहा है? उत्तर मिला माधव प्रसाद त्रिपाठी। कह दिया नहीं हैं, बाहर गये हैं। यह उदासीनता जन प्रतिनिधियों के साथ क्यों है?

लोकल बाडीज के बारे में जो कानून अंग्रेजों के जमाने में बना था आज भी वही है। थोड़ा बहुत तरमीम हुआ होगा। आपने क्यों उसका ढांचा नहीं बदला? एक आध अपवाद को छोड़कर सारी म्युनिसिपैलिटीज आज बदबू कर रही हैं। हमने उनको फाइनेन्शियल इंडिपेंडेंस कहां दी? हमने उनको यह अधिकार कहां दिया कि जो मोटर वेहिकल्स टैक्स मिलता है, सिनेमाज से टैक्स मिलता है अथवा अमुक प्रकार का टैक्स मिलता है उसका इतना हिस्सा हम उनके डेवलपमेंट पर भी खर्च करेंगे। जो लैंड रेवेन्यू आपको मिलता है उसको शहर में स्कूटर फैक्टरी बनाने में न खर्च करके गांव की उन्नति में खर्च करेंगे। यह बात आज कहां देखने में आती है? कारण क्या है? पंजे से जो निकल जायेंगी।

इसी प्रकार आपने निगम बनाये। एफिशियेंसी आयेगी। विकास होगा, स्पीड से काम होगा लेकिन बुन्देलखंड की हालत आप देखें। कम से कम वह नमूना नहीं होना चाहिये। जनहित में आपने निगम बनाये, उसका परफारमेंस शीघ्रातिशीघ्र हमारे सामने आना चाहिये था लकिन निगम का नाम ले कर आपने अपने सरसे बवाल टाल दिया और अपने आदमी उनमें खपा दिये। यह उचित नहीं है। अपने आदमी योग्य हों तो जरूर खपाइये लेकिन जिस उद्देश्य से निगम बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिये थी। संविद सरकार में भी निगम बने थ लकिन आपने जैसा आंवले का मुरब्बा बनता है, उनका मुरब्बा बना दिया। इस प्रकार लोकल बाडीज के बारे में आप की पालिसी ठीक नहीं है

सामाजिक सेवाओं की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। लोग पत्ते चाट कर फेंक देते ह तो नौजवान, स्त्री तथा बच्चे उन पत्तों को चाटने लगते हैं। आप भिक्षा निवारण कानून क्यों नहीं लाये? क्या यह सोशल सर्विस नहीं है? महात्मा गांधी कहते थे गांव की ओर बढ़ो लेकिन आप नगर की ओर चले। ६१ के सेन्सेस के अनुसार गांव की आज स्थिति यह है कि ८ करोड़ ३७ लाख मकान सरकारी फीगर्स के अनुसार सारे देश में हमको चाहिये; जिसमें ७ करोड़ १८ लाख मकान ग्रामीण क्षत्रों को चाहिये और एक करोड़ नौ लाख अरबन

क्षेत्रों को चाहिये। अब तो यह संख्या और बढ़ गई होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया है। अपने घर तो इन्होंने बनाये ही होंगे। पहले कुछ और ही दिखाई देते हैं किन्तु जब इसमें आते हैं तो रंग बदल जाता है। मान्यवर, ग्रामीण सोशल सर्विसेज को ही देख लीजिये इसमें स सरकार ने क्या प्रगति की है और क्या इन्तजाम आपने किया है? इन २३ वर्षों में एक वर्ष में एक आदमी को आपने एक रुपया दिया है यह क्या दिवालियेपन की बात है। सारे प्रदेश की बागडोर आपके हाथों में है।

दूसरी बात यह है कि करोड़ों रुपया आप स्टील प्लान्ट में लगा देते हैं। मान्यवर, इस स्टील प्लांट में कोई ग्रामीण दिलचस्पी नहीं रखता है क्योंकि उसके पास तो पीने तक के लिये पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसा गन्दा पानी कुछ जगहों पर लोग पीते हैं जिससे जोंक लग जाती है, लोग बीमार हो जाते हैं फलस्वरूप मौत का शिकार होना पड़ता है केवल स्वच्छ पानी के न मिलने से। मान्यवर, इनके आंकड़ों के अनुसार २४, ८८९ गांव ऐसे हैं जिनमें ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। क्या यही समाज सेवा आप कर रहे हैं? मान्यवर, एक गाना गाया जाता था, मैं शेर तो नहीं जानता हूं किन्तु कहा जाता है कि "जो सुख है बेकारी में, सो सुना नाहि अमीरी में"। वही मन्त्र यह सरकार फूंकती चली आ रही है। रोज पैंतरे बदले जाते हैं किन्तु अभी तक ग्रामों में पीने के पानी तक की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। १५ रुपया भी एक आदमी की नहीं है तो कैसे प्रदेश का भला हो सकता है। योजनाओं के ऊपर योजनायें आप बनाते चले जा रहे हैं किन्तु एक-चौथाई भी खर्च नहीं कर पाते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में ही देख लीजिये। इन २३ वर्षों में जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कालेज और यूनिवर्सिटीज हैं वहां आप केवल २१ प्रतिशत शिक्षा ही दे पाते हैं। आप कहते हैं प्राइमरी स्कूलों को अपने हाथों में ले लिया है और जूनियर स्कूलों को लेने का आप विचार कर रहे ह, ठीक है किन्तु मैं पूछता हूं कि आपने इन २३ वर्षों में क्या-क्या किया है? आप की कथनी और करनी में क्यों अन्तर है? माननीय नारायण दत्त जी के पिछले बजट अभिभाषण और इस अभिभाषण में मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखाई देता। वही कथनी आप की पिछले बजटों में भी थीं। आप तो केवल नारों के आधार पर चल रहे हैं।

मान्यवर, दो पहलू हैं। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने चालाकी से यह कह दिया कि यह संतोष का विषय है कि प्रदेश में इस वर्ष आमतौर पर व्यवस्था शांत और सामान्य रही। जिस प्रदेश में प्रति दो घंटे के अन्दर एक हत्या हो क्या उसकी व्यवस्था को शांत और सामान्य कहा जा सकता है? मान्यवर, मेरे पास आंकड़े हैं सन् १९६९-७० के मुकाबले १९७१ में हर प्रकार के जुर्म बढ़े ह और सबसे अधिक किडनैपिंग हुई हैं। मैंने मान्यवर, इस किडनैपिंग के सिलसिले में नियम ५१ के अन्तर्गत आप के पास भेजा है। आप को मालूम होगा कि झांसी और जालौन में रोज किडनैपिंग हो रही है।

पहले तो यह था कि सरकार ही खाली बदला करती थी किन्तु अब तो सरकार के साथ-साथ किडनैपिंग का ढंग भी बदलन लगा है। वहां पर यह किया जाता है कि तुम हमको वोट दोगे या नहीं। फलां आदमी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चयरमैनशिप के लिये खड़ा हो रहा है उसे तुम वोट दोगे या नहीं, इस पर किडनैपिंग हो रही है। एक-एक रोज में ६–६ डकैतियां आज हो रही हैं। पुलिस की लाठी अंधेरे में चल रही है। आप चोरी और डकैती को रोक नहीं पाये हैं, कत्ल को नहीं रोक पाये हैं। ला एन्ड आर्डर की दुर्दशा हो रही है। सारा देश इस पहलू पर कराह रहा है।

मान्यवर, मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार सन् ७१ में ४,६५७ डकैतियां और चोरी, ६७६० राहजनी, ३५०५ हत्यायें, ३,४८० दंगे और अन्य अपराध ४,८९४ हुए। इससे उनके अभिभाषण की स्टबिलिटी इक्सपोज हो जाती है। हमारे महामहिम राज्यपाल ने इतनी

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

भी कृपा नहीं की कि कम से कम ला ऐन्ड आर्डर की पोजीशन पर हमें सत्य बतला दें। हम कैसे कह दें कि असत्य बोलते हैं, यही कह सकते हैं कि सत्य बोलने का कष्ट किये होते तो बड़ी कृपा होती।

दूसरी बात यह है कि हरित क्रांति की बड़ी बात होती है। उसके बाद अब सफेद क्रांति लाना चाहते हैं। उसकी मिसाल ले लीजिये गोरखपुर दुग्ध योजना की कि कौन-कौन व्यक्तियों को अप्वाइंट किया और क्या परिणाम निकला, कहां गया रुपया ? सिवाय उस गुसलखाने में टलीफोन होने के बाकी चीजों के लिये यही कहूंगा कि पब्लिक मनी के लिये अपने मन में दर्द रखिये। ठीक है, आपने श्वेत क्रांति लाने की चेष्टा की लेकिन याद रखिये कि गलती न दोहराइये। आप की दुग्ध क्रांति आप के गरीबों तक नहीं पहुंच पायी। आज भी उनको फर्टीलाइजर और सस्ता पानी नहीं मिलता।

एक ही प्रमाण देता हूं। कल कल्पनाथ सिंह जी ने कहा था कि कितने आदमी मर गये आपके परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जो आपरेशन वेसेक्टामी के हुए। क्या कारण है कि लोग आज वेसेक्टामी कराते हैं। जिसके बीबी नहीं, जो बेचलर है, जिसके अन्दर जनन शक्ति नहीं है, बूढ़ा हो गया ७० वर्ष का वह आदमी क्यों वेसेक्टामी कराता है ? यह अकथनीय और असहनीय स्थिति है कि वह भोजन के लिये यह कराता है। वह दोनों वक्त भोजन चाहता है। क्या इससे बड़ी दुर्दशा जो आपके २५ वर्ष के शासन में हुई और नहीं हो सकती है ? आकांक्षाएं हैं, जो अपना शौर्य रखते हैं, प्रेरणा चाहते हैं काम करने की वे अपने सारे शरीर के तत्व को, शौर्य को नष्ट कर देते हैं केवल दो रोटी के नाते। आप की हरित क्रांति कहां देहातों में पहुंची ! आपने सब्जबाग दिखाये उनको कि तुमको जमीन देंगे, कुछ नहीं दिया। वेसेक्टामी करा करके जो मिला उसका आधा दलालों ने लिया। ऐसा ही कंसालिडेशन में हुआ और एक इसमें। कहां गया आप का लेबर फोर्स ? कहां गया कैश प्रोग्राम ?

जीवन-यापन के लिये कोई साधन मिल जाय तो २५ वर्ष का जवान कभी अपने को बधिय नहीं कराता। यह निहायत निन्दनीय बात है। क्वालिटी बढ़ाइये, इसकी आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन क्वालिटी बढ़ाने की ओर कोई चिन्तन नहीं है, आबादी के लिये है कि इट शुड बी रिड्यूस्ड टु दि मिनिमम। इससे बढ़कर आप की असमर्थता और अकर्मण्यता का क्या प्रमाण होगा कि हम योजना सही नहीं बना सकते ? हम तो खैर, दूसरी विचार धारा के हैं। हमें कहना नहीं चाहिये, लेकिन हिन्दुओं से कहते रहें वेसेक्टामी के लिये। मैं तो कहता हूं उनसे कि वेसेक्टामी नहीं करानी चाहिये। मेरी आत्मा रोती है कि ३० वर्ष के बाद क्या स्थिति होगी। मेरी कोई प्रिजुडिस नहीं है। यह तो एक इंटरनेशनल कांस्पीरेसी है। एक विशेष समाज के लोग ही वेसेक्टामी कराते रहें तो दूसरे लोग तो ३० साल बाद ऊंचे से ऊंचे उठ जायेंगे और उनका क्या होगा? कितना बड़ा नुक्सान होगा। भले ही मुझे कंजरवेटिव एलीमेंट कह लें जैसे कि जजेज को कंजरवेटिव कह करके जूता लगा देते हैं। मैं भले ही पिछड़ा हो जाऊं लेकिन अपने हृदय की भावना को अवश्य व्यक्त करूंगा उस जन समाज के नाते जिसका कि मैं अंग हूं।

मैं दावे से कहता हूं कि प्लानिंग में आधे से ज्यादा दुरुपयोग होता है। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, यह बहुत गंभीर विषय है। यह नेशनल प्राब्लम है। अगर इस पर नेशनल ला अप्लीकेबिल हो तो वह बनाईये वरना हम किसी सुविधा के मुस्तहक नहीं होंगे।...(लाल बत्ती होने पर) ५ मिनट में तय करूंगा।

लास्ट बात यह है कि...आपने लाल बत्ती जला दी। एक पालिसी की बात है। आपने एग्रीकल्चर के बारे में, कैश क्राप के बारे में कोई इम्प्रूवमेण्ट नहीं किया और गेहूं और धान के बारे में बड़ा बड़ा ढिम-ढिम बजाया। कुछ नहीं किया आपने कैश क्राप के बारे में।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी शुगर पालिसी के द्वारा बड़ी भारी गन्दगी फैला दी है । चीनी के बिजनेस मैगनेट्स से इन्होंने करोड़ों रुपया लिया जिसने यह चीज पेदा कर दी कि चीनी की इतनी कीमत बढ़ा दी । लेकिन गन्नें का वही भाव है । इसके लिये हिन्दुस्तान का समाज आप को कभी क्षमा नहीं करेगा । लेकिन यह बात है कि यहां का समाज भूल बड़ी जल्दी जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि आज २७ लाख किसानों के परिवार इस पर निर्भर करते हैं । इस वर्ष पार साल के बनिस्बत चीनी कम पैदा हुई है । इस साल शुगरकेन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। यह किस की देन है? यह इन्हीं की देन है । यह हमारे प्रदेश की बिगेस्ट इंडस्ट्री है । इसको इन्होंने नष्ट कर दिया है । आपने बार-बार यही कहा कि आज शूगर को नेशनलाइज करेंगे, कल करेंगे । इससे बड़ी भारी बंगलिंग हुई हैं। कहीं यह मन्त्र न आजाये कि मौज करो गरीबी में कोई हर्ज नहीं है । आपन मुझ इतना ज्यादा समय दिया इसके लिये मैं आप का बड़ा आभारी हूं ।

*श्री मुन्शी लाल चमार (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । सर्व प्रथम अभी-अभी हमारे भाई जनसंघ के माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी मिर्जापुर जिले में हुए चुनाव के सम्बन्ध में वेहिकिल्स और गाड़ियों के सम्बन्ध में बोल रहे थे,मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि जनसंघ के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे थे और बी० के० डी० के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे थे उनको गाड़ियों की कमी नहीं थी । उनकी भी हजारों गाड़ियां चल रही थीं । मैं स्वयं वहां पर पदल गया था और १०—१५ दिन गांव-गांव में घूमा हूं और हर जगह मैंने देखा है ।

यह तो चुनाव की चर्चा है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ईश्वर से त्रुटि हो जाती है । जैसे मैं काला कलूटा हूं, कोई गोरा होता है कोई छोटा होता है और कोई बड़ा होता इसलिये यह चर्चा चला करती है कि जो त्रुटि रह जाय उसको ठीक करने का प्रयास किया जाय । इससे हम न आगे बढ़ सकते हैं और वोट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इस अभिभाषण को अच्छी तरह से पढ़ा है । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस अभिभाषण में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हरिजनों का १८ प्रतिशत का कोटा पूरा किया जायगा या नहीं । यह कहीं नहीं दिखाया गया है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता जो मेहनत की कमाई करती है और गाढ़े पसीने की कमाई करती है उससे खरीदने का भाव तो आपने निर्धारित कर दिया है । लेकिन जिन्होंने गल्ला खरीद कर अपनी तिजोरियों में रख लिया है वे भी ज्यादा मुनाफा न ले सकें । इधर इन्होंने ७२-७४ रुपये क्विंटल के हिसाब से गल्ला खरीदा है तो मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे एक अध्यादेश निकाल कर इन पूंजीपतियों द्वारा खरीदा हुआ गल्ला तीन महीने के बाद जो वे १०० रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचते हैं, उसकी कीमत निर्धारित कर दें कि जिस भाव पर उन्होंने गल्ला खरीदा है उससे एक आध रुपया मुनाफा लेकर बेच सकेगा ।

सारे साल काश्तकार जो कमाते हैं वह दूसरों के घरों में चला जाता है और उस पैदावार का जो कि वे करते हैं उन्हें नहीं के बराबर मिलता है । मैंने इस प्रदेश के लगभग ३६ जिलों का दौरा किया है । सौभाग्य से मैं भी कुछ दिन मन्त्री रहा हूं। इस प्रदेश के फतेहपुर, बांदा, बहराइच, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़ तथा बलिया जिलों में बड़े लोग मजदूरों को आज भी ५० पैसे प्रति दिन मजदूरी दे रहे हैं । इस देश में ८० प्रतिशत लोग मजदूर और खेतिहर हैं । आप सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसके घर में ५ प्राणी खाने वाले हों वह ५० पैसे प्रति दिन में कैसे गुजारा कर सकता है ? इस प्रकार एक प्राणी के हिस्से में तो केवल १० पैसे प्रति दिन ही पड़े । उसी जनता के चुने हुए हमारे एम० पीज० आत हैं जो कि बड़े-बड़े आदमियों के खरीदते हुए हैं । ये लोग तो १०-१० हजार रुपये प्रति मास में गुजारा करें और गरीब आदमी १० पैसे प्रति रोज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुन्शीलाल चमार]

गुजारा करे, यह अनुचित है। समाजवाद लाने के लिये कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है समाजवाद पर तो हम चल ही रहे हैं। आप यह तय कर दें कि इससे कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। आपके माध्यम से मैं वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इसी बजट सत्र में वे यह अध्यादेश ले आवें कि इससे कम मजदूरी किसी मजदूर को नहीं दी जाएगी। जब यह अध्यादेश आ जाएगा तो ५–१० पैसे प्रति रोज के हिसाब से बढ़ कर एक आदमी के परिवार के लिये ३–४ रु० मिलने लगेंगे।

मान्यवर, मैं शीत गृहों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह कहा गया है कि ८ रु० प्रति क्विंटल से आलू रखने का अधिक भाव नहीं रहेगा और ८ रु० का रेट कर दिया गया है। मेरी जानकारी में यह है कि काश्तकारों ने १६ रु०, १५ रु० और १२ रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू रखा है। मेरी आप को यह सलाह है कि आप इस सम्बन्ध में जांच करायें और एक कानून बनाएं। अच्छा तो यह होगा कि आप एक कमेटी का गठन कर दें जो कि इस विषय में पूरी जांच कर ले।

इस बजट भाषण में बहुत सारी बातें बताई गई हैं मगर उर्दू का कहीं जिक्र नहीं है। हम बहुत अलाप करते हैं कि हरिजन और मुसलमान भाइयों के लिये यह कर रहे हैं, परन्तु मुझे दुःख है कि राज्यपाल महोदय के अधिभाषण में उर्दू के लिये कहीं एक शब्द भी नहीं है। इतना ही नहीं, इसमें संस्कृत, जो कि हमारी प्राचीन भाषा है, भी छोड़ दी गई है। उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है।

हमारे प्रदेश की राजधानी में हरिजन निदेशालय है। सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से कहिये, उस कार्यालय में मुझे जाने का मौका मिला। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर बेचारे गरीब लोग देहरादून से १०–१० दिन से आए हुए थे। मैंने कहा कि इन्होंने दरख्वास्त रजिस्टर्ड लेटर से भेजी हैं। आप रजिस्टर्ड लेटर को मना नहीं कर सकते हैं। जो आदमी लखनऊ में १०–१० दिन पड़ा रहे तो उसका १००–१५० रुपया तो खाने में ही चला जाता है। हरिजन निदेशालय में बाबू लोग रजिस्टर्ड लेटर्स को भी मना कर देते हैं और मुझ जैसे व्यक्ति से मना कर देते हैं, पता नहीं और इन लोगों के साथ तो क्या करेंगे ?

इस बजट भाषण में लोक सेवा आयोग द्वारा चुने हुए अभ्यर्थियों का कोटा पूरा करने के लिये एक बात भी नहीं कही गई है। हरिजनों और विमुक्त जातियों के लिये कोटा निर्धारित है। अगर २० जगह होती हैं और १०० एप्लीकेशन्स आती हैं तो हरिजनों को अनसुटेबिल कह कर उस कोटे को दूसरे लोगों से पूरा कर देते हैं। अच्छे-अच्छे लोग जो फर्स्ट क्लास हैं और आई० ए० एस० के हैं, वे भी अनसुटेबिल हैं।

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह भी कहीं नहीं कहा गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी जगह रिजर्व होती हैं उन्हें पूरा करेंगे। अब एक बात मैं प्री मेडिकल टेस्ट के बारे में कहना चाहता हूं। हम १८ फीसदी कोटा पूरा करने की बात कहते हैं लेकिन वहां हमने ६ प्रतिशत भी नहीं रखा है तो १८ फीसदी कोटा कैसे पूरा करेंगे। प्री मेडिकल टेस्ट के लिये भी इसमें कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, आज हम समाजवाद की चर्चा करते हैं। उस गरीब जनता ने जिसने स्टेट गवर्नमेन्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का नक्शा बदल दिया है उसके लिये हमें सोचना पड़ेगा। मैं वित्त मन्त्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कि एक अध्यादेश लागू कर देना चाहिये जिससे हमारी खेतिहर मजदूर जनता भी आगे बढ़ सके। आज उनका बहुत शोषण होता है। जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है, इसमें न लेना है न देना है। लेकिन मेरा निवेदन है कि एक अध्यादेश इस सत्र में लागू कर देना चाहिये उन खेतिहर मजदूरों के लिये जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। जिन मजदूरों ने साल भर हल चलाया और कुछ धान बोयी उन पर अभी तक फर्टीलाइजर या तकावी का पैसा बाकी है। उसको चुकाने के लिये उन्हें अपना खेत बेचना पड़ता है।

अब जून जुलाई आ रही है जिसमें ब्याह शादी करने होंगे। लड़की की शादी करने के लिये उसको ६० रु० कुंतल में अपना गल्ला बेचना पड़ेगा। मेहनत वह करता है लेकिन उसको अपनी मेहनत का पूरा मुआविजा नहीं मिलता। जब तक हम उनके प्रति उदारता नहीं बरतेंगे तब तक समाजबाद नहीं आ सकता।

गांव में आप का एक चौकीदार रहता है जो कि पुलिस का ही एक अंग है। उसे दस रुपया तनख्वाह मिलती है और दूसरी तरफ आई० जी० की तनख्वाह को ले लें। आप देखें कितनी बड़ी विषमता है दोनों के वेतन में। इसी तरह से हमारे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक हैं। जिनके द्वारा पढ़ाये हुए आज हम यहां कुर्सी पर बैठे हैं, विधायक बने हैं और प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वे हमें शिक्षा दीक्षा देते हैं लेकिन उनकी आर्थिक दशा कितनी खराब है। यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है। उनका वेतन हम विधायकों से किसी भी मायने में कम नहीं होना चाहिये।

जहां तक प्रशासन की बात है, अपोजीशन ने बहुत कुछ कह दिया। लेकिन उनके साथ मुझे भी मन्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरा ४०९ रु० का टी० ए० बिल बना जबकि दूसरे मन्त्रियों के २२ हजार, २३ हजार के टी० ए० बिल बने। समाजबाद के मायने हैं कि कोठियों में न रहें, पुलिस गार्ड न लें। किसान का बेटा जो हल चलाने वाला है उसके हाथ में बागडोर होगी तो समाजवाद आ ही जायेगा। जो केवल समाजवाद की बात किया करते थे उनका तो जनता ने सफाया कर दिया है। चुनाव की चर्चा यहां नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह तो बजट भाषण चल रहा है इसलिये हमको उसमें जो त्रुटियां हों उन्हीं पर प्रकाश डालना चाहिये।

पिछली विधान सभा में मैंने एक प्रश्न किया था कि प्रदेश में कितने उप पुलिस अधीक्षक हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है। तो उत्तर दिया गया था कि ४७५ उप पुलिस अधीक्षकों की संख्या है जिनमें कवल २२ हरिजन हैं। तो सब से पहले उप पुलिस अधीक्षकों में हरिजनों का कोटा पूरा करना चाहिये। रेवन्यू में आधा प्रतिशत भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। उसको पूरा करने के लिये आप के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा। वैसे तो हरिजनों का कोटा पूरा करते-करते वर्षों हो गये। केवल कागज पर पूरा करने लिये के बात कह दी जाती है। जिस वक्त चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे और वीरेन्द्र वर्मा जी गृह मन्त्री थे तो मेरठ में ३९ थाने थे जिनके सभी इन्चार्ज जाट थे। डेढ़-डेढ़ साल की सर्विस के जाट इन्चार्ज बना दिये गये थे और २०-२० साल की सर्विस के हरिजन एस० आई० ही रह गये। समाजवाद कहती तो सभी पार्टियां हैं लेकिन किया कुछ नहीं। हमने बहुत कुछ किया है और आगे करने जा रहे हैं।

एक बात और है। हमारे मन्त्री महोदय कह दिया करते हैं या फाइल पर लिख दिया करते हैं कि इसको कर दिया जाय। फाइल पढ़ा भी नहीं। मजबूर हो कर अफसर उस पर जजमेन्ट ले लेते हैं। ऐसी फाइलों को देखने के लिये एक आयोग गठित किया जाय जो देखे कि उनमें क्या है।

इन शब्दों के साथ मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

गरीबी किसानों या मजदूरों की दूर हुई या नहीं लेकिन दल बदल से हमारे माननीय सदस्य की गरीबी दूर हो गयी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया है। पिछले दो दिन से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर मैंने माननीय सदस्यों की बातें सुनीं। उसमें अधिकतर चर्चा माननीय इन्दिरा गांधी, भारत कि प्रधान मंत्री की सुनने को मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी जी की चर्चा असेम्बली में न की जाय। यह हरि कीर्तन सुनते-सुनते जी ऊब गया हूं। यह कहा गया कि १९७० में हम चुनाव जीते हैं, हर सूबे में चुनाव जीते हैं, उपचुनाव में हर सीट जीती है, यह ठीक है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं सरकार से कि १९७० में जो समाजवाद की देवी पैदा हुई थीं इस देश में जिन्होंने अलाउद्दीन का चिराग लेकर समाज की हर कमी को दूर करने का एक इरादा लिया और विश्वास दिलाया था कि हम समाजवाद लायेंगे और अपना वादा पूरा करेंगे लेकिन पिछले सत्र से अब तक हम ने समाजवाद लाने की बात तो दूर रही उस रास्ते की तरफ हम उन का कोई कदम भी उठते नहीं देख पा रहे हैं।

कहा गया कि बेकारी दूर करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है और कहा गया कि यहां अमन और शांति है और कहा गया है कि खाद्यान्नों के सम्बन्ध में हम आत्मनिर्भर हो गये और हम विदेशों से खाद्य नहीं मंगायेंगे लेकिन वास्तव में परिस्थिति कुछ और ही है। माननीय खाद्य मन्त्री जी प्रश्न के उत्तर में वक्तव्य दे रहे थे और उन्होंने अपनी विवशता जाहिर की कि उन्होंने भारत सरकार और खाद्य मन्त्री केन्द्र को बहुत से पत्र भेजे और कहा कि यहां पर चीनी की बहुत कमी है और उसका प्रदेशीय कोटा बढ़ाया जाय लेकिन दिल्ली की सरकार बहरी है और वह सुन नहीं सकती है। वह समाजवादी सरकार की समाजवादी देवी दिल्ली में बैठी हैं, उन को प्रदेश के सारे संसद सदस्यों ने झकझोरा और प्रदेश की सरकार ने हर तरह से लिखा लेकिन प्रदेश का चीनी का कोटा नहीं बढ़ाया गया। आज यहां चीनी बाजार में ४ रुपये और ५ रुपये किलो भी नहीं मिलती। यह समाजवादी सरकार है और यह चीनी की हालत है।

कहा जाता है कि हम आत्म निर्भर हैं लेकिन जब से रेडियो पर खाद्य निगम की तरफ से खाद्य मन्त्री ने कहा है कि हमारे भंडार खाद्य सामग्री से भरे पड़े हैं और गेहूं की कमी नहीं होगी' जिस दिन रेडियो पर यह चर्चा आई उसके दूसरे ही दिन ८० रुपये क्विंटल वाला गेहूं १२५ रुपये क्विंटल हो गया और आज भी गेहूं का भाव फसल के समय में बढ़ा हुआ है। यह स्वाभाविक है कि फसल तैयार है किसान उसे काटेगा, माढ़ेगा और उसको बाजार में लायेगा तो भाव गिरेगा और चूंकि किसान के घर से गल्ला सरकार के और पूंजीपतियों के गोदामों में आयेगा इसलिये भी फसल आने पर भाव गिरेगा लेकिन जब से रेडियो पर यह चर्चा आई है कि बहुत सा गल्ला हम रखे हुए हैं गल्ला सस्ता नहीं हुआ और कोई राहत जनता को यह खाद्य के मामले में नहीं दे सके। यह चीनी भी सस्ती नहीं कर सके।

हमें बड़ी तकलीफ है और श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने भी कहा और चौधरी साहब ने भी कहा कि हम भाषण नहीं देना चाहते लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज नैतिकता का इतना ह्रास हो चुका है कि उसका बयान नहीं। हम यहां सवा लाख जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं लेकिन तकलीफ होती है जब हम देखते हैं कि वह सरकार जो समाजवाद का ढिंढोरा पीटती है जो गरीबों और मजलूमों की सहायता का नारा बुलन्द करती है वह सरकार अगर संसद में असेम्बली के मेम्बरों के प्रतिनिधि के लिये एक सरमायेदार और केपिटलिस्ट को रखती है तो हमें और हर व्यक्ति को भारी तकलीफ होने लगती है।

इस कांग्रेस के आज श्री वी० आर० मोहन आठवें उम्मीदवार हैं। कौन नहीं जानता कि वह बड़ सरमायेदार हैं और इस देश में ही नहीं वरन सारी दुनिया में उनकी शराब की खपत है। बड़े-बड़ उनके ठेके हैं और क्या यह सही नहीं है कि बड़े-बड़े ठकदार लखनऊ के शहर में

उनके लिये घूम रहे हैं ? यह समाजवादी सरकार है और श्री वी० आर० मोहन के जरिये समाजवाद आने वाला है, मान कर वह श्री अर्जुन अरोड़ा या श्री मोहन लाल गौतम से आने वाला नहीं है । वह आने वाला है श्री वीर बहादुर सिंह से जो जिन्दगी भर कभी खद्दर नहीं पहना । वह हमारे जिले और हमारी कांस्टीट्यूएंसी के ही रहने वाले हैं, जो जिन्दगी भर कम्युनिस्ट रहे और आज भी कम्युनिस्ट हैं । आने वाले हैं वी० आर० मोहन, अर्जुन अरोरा आने वाले नहीं हैं क्योंकि उन्होंने सोशलिस्ट फोरम कायम किया है और इसलिये गाहे बगाहे इन्दिरा गांधी की नीतियों के बारे में कुछ अपनी बातें कह दी हैं ।

क्या यह सही नहीं है कि उनका चुनाव असेम्बली से नहीं होगा, वह दिल्ली से हुआ है । सदस्य ही नहीं मुख्य मन्त्रियों तक का चुनाव दिल्ली से होता है । क्या सुखाड़िया को मुख्य मन्त्री के स्थान से हटा कर राज्य पाल नहीं बनाया गया, श्यामाचरण शुक्ला को नहीं हटाया गया और श्यामाचरण शुक्ला को असेम्बली का टिकट पाने के लिये घुटने टेक ही देने पड़े । आज हमारे मुख्य मन्त्री के बारे में भी बहुत सी बातें कही जा रही हैं । बड़े भय के साथ देखा जा रहा है दिल्ली की देवी न जाने कब क्या कर दें, कब उसकी कृपा या अकृपा हो जाय । आज विन्ध्याचल की दुर्गा की आराधना उतनी नहीं जितनी दिल्ली की देवी की है । सरकार पक्ष के विधायकों के मुंह से जितनी भी बातें होती हैं उनमें आधी बातें इन्दिरा गांधी की होती हैं । इन्दिरा गांधी के भय से हिम्मत नहीं है कि कोई सही बात भी कह सके ।

क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को जो गन्ना किसानों द्वारा दिया जाता है उसका भाव सरकार ने ८ रुपया से १० रुपया क्विंटल तक रखा । यह क्या समाजवादी सरकार ने भाव निश्चित किया था? जिस गन्ने को चैत, बैशाख और जेठ की दुपहरी में किसान अपने खून को सुखा कर पालता है और जब उसका फल मिलने को होता है तो सरकार उस गन्ने का दाम मुकर्रर करती है ८ रुपया १० रुपया, क्विंटल, जब कि उसकी पुहिया ९ रुपया क्विंटल बिकती है । यह कैसा समाजवाद है मान्यवर ?

उत्तर प्रदेश के बुनकरों का अभी हाल ही में यहां पर प्रदर्शन हुआ था । इस्तफा हुसैन साहब उनके अलम बरदार अपने को कहते थे । हम भी वहां बैठे थे और श्री राजनाराण भी वहां थे । बोलने वालों की तरतीब से ऐसा लगता था कि मानों वह इन्डीकेट वालों की सभा हो । कहा कि हम एल० एन० मिश्रा से कह देंगे, इन्द्रा गांधी से कह देंगे ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मित्र के मंत्रित्वकाल में 5 रुपया मन लकड़ी और ७.३१ रुपया मन गन्ने का भाव नहीं था ?

श्री रामबिलास पांडेय—

मान्यवर, उन्होंने कहा कि हम सब करा देंगे । सूत मारकेट से गायब हो गया है, रंग का भाव बढ़ गया है, हम उसको सस्ता करा देंगे । हमको तथा राजनारायण जी को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया, इस डर से कि कहीं ये लोग बुनकरों के सामने हकीकत को न रख दें । इस्तफा हुसैन साहब एम० एल० सी० से हटने वाले हैं उनको तो इन्दिरा गांधी को इस समय यह दिखाना है कि बुनकरों का एक मात्र नेता मैं ही हूं । अब तो इन्दिरा गांधी का कीर्तन सुनते-सुनते तबियत ऊब गयी है । मान्यवर गांधी और जवाहरलाल जिन्दाबाद का नारा लगाया जाना बन्द हो गया या उनकी जगह इस देवी न अपनी ही पूजा कराने का सामान किया है । वह अपने पिता जवाहर लाल जी की महत्ता भी नहीं चाहती । आज गांधी और जवाहरलाल को बिलकुल अलहदा ही कर दिया गया है ।

[श्री राम बिलास पांडेय]

गांधी, जवाहर की आस्था मिटायी जा रही है। भले ही आपके सिर के ऊपर गांधी जी की तस्वीर लगा दी गयी हो, मान्यवर। आज इन्दिरा गांधी, श्री चौहाण साहब को किसी भी क्षण कुर्सी से हटा सकती हैं, श्री जगजीवन राम को किसी भी दिन हटा सकती हैं।

मुख्य मंत्रियों के सिलसिले में आपने देखा है? पोलिटिकल पेंशन को भी ५ सौ रुपया करने जा रही हैं। उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है जो उनके आदेश का पालन कर सकें। पंडित जी भी किसी दिन अपने स्वाभिमान के कारण अलग कर दिए जा सकते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर करने के लिए माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं भी जिक्र नहीं है। उन्होंने भी इन्दिरा गांधी जी का ही राग अलापा है। प्रिवी पर्स और बैंकों के राष्ट्रीय करण के नाम पर ही इन्होंने चुनाव जीता है। माननीय कामराज, पाटिल आदि को बदनाम करके यह कहा गया कि इन्होने हमारे बाप को कैद कर रखा था जो समाजवाद को लाने में रोड़ा अडते रहे हैं।

समाजवाद की देवी वह रोशनी लेकर आयी कि आज गरीब किसानों के घर में जो मिट्टी तेल का टिमटिमाता दीपक है, वह भी नहीं जल पायेगा। मिट्टी के तेल पर टैक्स लगाया गया है। मिट्टी के तेल को ही गरीब किसान देहात में जलाते हैं। अल्यूमिनियम पर टैक्स लगा है। इसे भी देश का गरीब ही इस्तेमाल करता है। खाद पर टैक्स लगाया है। साथ ही खाद की कमी जहां अपने देश में थी, किसानों में हाहाकार मचा था, वहां दूसरी ओर बंगला देश को खाद भेजना कहां तक उचित था। गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री के नजदीक होने पर भी पड़ोसी जिले खाद नहीं पा सके। समाजवाद का नारा देकर चुनाव जीते गये हैं। अब इनका दिमाग खराब हो चुका है। एसेम्बलीज के बाई इलेक्शन तथा अन्य राज्यों के चुनाव जीत गये हैं बंगला देश के नाम पर। मान्यवर, भावनाओं में देश बहने वाला है, मान्यवर, २५ रुपये प्रति किलो चीनी भी खरीदी जा सकती है यदि कोई सामयिक भावात्मक नारा दे दिया जाय।

जहां तक देश की बेरोजगारी का प्रश्न है इसमें भी कोई प्रगति नहीं हो पायी है। क्या यह आज सही नहीं है कि एम० ए०, बी० ए०, और एम० एस० सी० बी० एस० सी० आदि डिप्लोमा धारी लड़के ट्रेनों में डकैती नहीं डाल रहे हैं? क्या कारण है उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं? लाखों की तादाद में लड़के बेकार हैं। ट्रेन के स्लीपर्स में जो डकैती पड़ी, क्या उसमें यूनीवर्सिटी के लड़के नहीं थे? सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के नाम ३ रुपया रोज के हिसाब से खांचा लेकर मिट्टी लेकर सड़क पर गिराने वाला काम दिया है। यह काम उन डिप्लोमा प्राप्त लड़कों को दिया है। नतीजा यह है कि वे डकैती डाल रहे हैं। हरदोई में से जबरदस्ती घर से निकालकर एक छात्रा को जीप पर बैठा लिया गया। एक अध्यापिका स्कूल जा रही थी उसको जबरदस्ती उठा कर बिठा लिया गया। दोनों का पता नहीं है। न केवल ट्रेन की डकैती ही है न यही अपहरण है, रोड डकैतियां और चोरियां हो रही हैं। अन्त में मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यदि आप बी०आर० मोहन से समाजवाद की आशा करते हैं? यदि आप आशा करते हैं कि सरमायादारों को बिरला को सस्ती बिजली देकर समाजवाद ले आयेंगे तो समाजवाद हरगिज आने वाला नहीं है। इन धोखाधड़ी के नारों पर यह सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। समाजवाद आयेगा जनता, यहां की आपको मजबूर करेगी और नया प्रतिनिधित्व देकर समाजवाद लायेगी।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा है कि हमको आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है। माननीय रियासत हुसेन ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसकी ताईद करने के लिये श्रीमन्, मैं खड़ा हूं। सबसे पहले श्रीमान् जी मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं :—

रखूं गालिब मुझे इस तर्कनिवाज माफी,
आज कुछ दर्द है दिल में सेवा उठा है।

श्रीमन्, कल ही से चर्चा हो रही है। अभी हमारे लायक दोस्त कह कर चले गये। कल शिवदास जी बोले। हर लोग बोले। कुछ दलबदलू का सवाल आया। हर मिसाल पर इन्दिरा गांधी का सवाल उठाया गया। सब कहते गये कि इन्दिरा गांधी की चर्चा न की जाय पर तमाम चर्चाओं में, हर भाषण में, एक एक लाइन में इन्दिरा गांधी ही नजर आ रही हैं। जैसे देहात में मसल है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं जिनको बीमारी होती है उनके लिये कहा जाता है कि इनको भूत सता रहा है, यह कहा जाता है। आज हमारे मुखालिफ भाइयों की भी यही हालत है। इन्दिरा गांधी इतनी तपी हुई हैं उनको सारे भूत की तरह कह रहे हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो इन्दिरा गांधी की बातें की हैं मेरा खयाल है कि बीस साल हो चुके आजादी हुए। आजादी से पहले की तारीख उठा कर देखें आजादी की लड़ाई में जितने भी खान्दान रहे हैं, आप कहते हैं कि नाम न लिया जाय, पर मैं कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा यह साबित करता है, इन्दिरा गांधी जिस पर हिन्दुस्तान का सेहरा है, उसके खानदान को देखिये। आप जानते ही हैं। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं, मेरा ख्याल है, चाहे इस पक्ष के लोग हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों, शायद कोई ऐसे लोग नहीं है जो इन्दिरा गांधी को श्रेय न दें। उसके बाप जवाहरलाल को देखिये। उनके पहले उनके बाप मोतीलाल नेहरू को देखिये। कौन सा ऐसा खानदान है जिसने इतनी बड़ी कुरबानी की हो। कौन सा ऐसा आदमी है जो कह सकता हो कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का सवाल आया। मोतीलाल की हालत को देखिये। हर आदमी उस वक्त बोल नहीं सकता था उस जमाने में, जबान नहीं खोल सकता था। लेकिन मोतीलाल जी की देन है, गांधी जी की रहनुमाई थी। जिन्होंने सारे हिन्दुस्तान को रोशनी दी। मोतीलाल के बाद जवाहरलाल नुमायां हुए जिन्होंने सारे हिन्दुस्तान को रोशनी दी। जवाहरलाल के बाद इन्दिरा गांधी जिसको आप कहते हैं कि उनका नाम न लिया जाय। क्या मोतीलाल के खान्दान की वे नहीं हैं?

मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मोतीलाल जी और जवाहरलाल जी न होते तो आजादी न मिलती। उन्होंने जो कुरबानी दी देश की आजादी के लिये, आज देश का बच्चा-बच्चा जानता है। आज 25 साल हो गये देश को आजाद हुये इन लोगों को चिल्लाते हुये कि गरीबी हटायेंगे, लेकिन नतीजा यह है कि इनसे कुछ न हुआ। दलबदलुओं के लिये कहा कि तो मैं इस सम्बन्ध में साफ बता देना चाहता हूं कि इस प्रथा को चौधरी चरण सिंह जी ने चलाया। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, जो बड़े आदर्शवादी हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं, नीतिवादी हैं, तो जब चौधरी चरण सिंह उनके पास आये तो उन्होंने उनको अपने यहां से भगा क्यों नहीं कर कि मैं अपनी नीति के खिलाफ कोई बात नहीं करता। लेकिन उन्होंने उनको मुख्य मंत्री बनाया। उनकी यहां सरकार चली, टी० एन० सिंह की सरकार चली। लेकिन इन्दिरा गांधी ने इतना होने के बावजूद भी चरण सिंह जी को उन्होंने ताकत दी। लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ, कुकर्म हुये, अत्याचार हुये, मैं उसके विषय में नहीं कहना चाहता यह सबको जाहिर है।

आज इन्दिरा गांधी ने देश के सामने एक नक्शा रखा जिसको आचार्य नरेन्द्र देव, डा० राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ने रखा कि समाजवाद आना चाहिये। मुझे वह दिन याद है जब मैं भी आजादी की लड़ाई का एक सिपाही था। मैंने भी लड़ाई लड़ी है। यह लोग हमारे भाई जो गरीबी हटाओ की बात करते हैं, आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब देश

[श्री राजित राम पांडेय]

में हाहाकार मच गया और निजलिंगप्पा की रहनुमाई में कांग्रेस बहुमत न बना सकी उसकी तो इन्दिरा गांधी ने मुल्क के सामने वह बात रखी जो आचार्य नरेन्द्रदेव, जय प्रकाश नारायण और डा० राममनोहर लोहिया जी ने रखी कि राष्ट्रीयकरण किया जाय, गरीबी हटाई जाय और समाज-वाद लाया जाय। हिन्दुस्तान की जनता ने यह समझा कि यह हमारी सच्ची हमदर्द हैं। उन्होंने मुरार जी को हटाया और सारे विरोधी लोगों से कहा कि लड़ाई लड़ो गरीबी के खिलाफ और जनता इसका फैसला करेगी कि वह आप की बात मानती है या मेरी।

आप जानते हैं, मान्यवर, विरोधी कहते थे कि 'इन्दिरा हटाओ' और इन्दिरा जी कहती थीं 'गरीबी हटाओ'। जनता के सामने तथा दलबदलुओं के सामने यह सवाल आया कि इन्दिरा हटाओ 'वाली बात मानी जाय या 'गरीबी हटाओ' वाली बात। हमने सोचा कि जो लोग गरीब हैं, जो हमें वोट देकर यहां भेजते हैं, उनकी बात माननी चाहिये जिसे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले और गरीब लोगों को सुख-सुविधा मिले। हमने इन्दिरा जी को चुना और उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया और आज वह अरबन सीलिंग की भी बात कहती हैं कि वह अरबन सीलिंग करेंगी।

हमने सोचा कि 'इन्दिरा हटाओ' कहने से हमको कुछ मिलेगा नहीं बल्कि हमको 'गरीबी हटाओ' कहने से मिलेगा। चुनाव हुये। पार्लियामेंट के जो चुनाव हुये उस समय विरोधी पक्ष की सरकार थी। यहां के मंत्री मोटरों पर जाकर कहते थे कि इन्दिरा को हटाओ और उनको वोट दो। क्या हुआ? उनको क्या मिला। आप यू० पी० को ही ले लें? यहां पर जो पार्लियामेंट के चुनाव हुये उसमें से कितनी सीटें विरोधी पक्ष का मिलीं? आप ने एक भी सीट पाई? इन्दिरा गांधी को तो आपने समाजवाद का विरोधी बताया लेकिन जनता ने उनको ही पसन्द किया। उनकी इतनी बड़ी विजय हुई और आपके मुंह में कालिख लग गई। मैं तो कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। इतिहास इस बात को साबित कर देगा। अभी तक के जो नेता रहे हैं उन्होंने सदा शहर का ही पक्ष लिया है लेकिन इन्दिरा गांधी ने देहात का साथ दिया है। उन्होंने देहात का और देहाती जनता के भले की बात सोची है। हमारे देश के देहातों में गरीब वर्ग है और उसी गरीब की बात इन्दिरा गांधी ने कही है। आज इन्दिरा गांधी पूंजीपति और सरमायेदारों की और अधिक सोचने के लिये नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने संविधान को भी बदल दिया है। अब यह नहीं हो सकता कि आप कोठीवाले हैं तो आप को कोई देखनेवाला नहीं है। इन्दिरा गांधी ने अरबन सीलिंग की घोषणा की है।

मान्यवर, यह तो मैंने इसलिये कहा कि हमारे विरोधी पक्ष वालों के सर पर इन्दिरा गांधी का भूत चढ़ा है। उनको इन्दिरा गांधी की हर एक बात की बुराई ही दिखाई दे रही है। उनके कार्यों और अच्छाइयों की तरफ उन्होंने कभी विचार नहीं किया।

मान्यवर, मैं अपने यहां के मिनिस्टरों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्दिरा गांधी ने विरोधी पक्ष को समाप्त कर दिया उसी तरह से यदि मिनिस्टर भी लापरवाह रहे तो इन्दिरा गांधी उनको भी छोड़ने वाली नहीं हैं। इन्दिरा गांधी की नजर हर एक एम० एल० ए०, हर एक मिनिस्टर और हर आदमी पर है। उनके पास हर आदमी की रिपोर्ट मौजूद है। वे चाहे इस तरफ के एम० एल० ए० हों या उस तरफ के हों या मिनिस्टर हों। अब आप यह नहीं कर सकते कि मिनिस्ट्री में होने से हम बेवकूफ बना देंगे। २२ सालों तक हमको बहुत बेवकूफ बनाया गया। इन्दिरा गांधी ने समाजवाद का नारा दिया है और अगर अब कोई मिनिस्टर ठीक नहीं रहत तो मैं यह बता दूं कि उनकी मिनिस्ट्री चलन वाली नहीं है।

आज आप देखें कि जब मिनिस्टरों के यहां जब कोई एम० एल० ए० जाता है तो वे एक कागज दे देते हैं लेकिन उसके कोई भी मतलब नहीं होते। वे हमको मूर्ख बनाते हैं। आज इन्दिरा गांधी केवल गरीबी से ही नहीं लड़ रही हैं वरन् वह इस पर भी नजर रख रही हैं कि समाजवादी नीति के मार्ग में कौन रोड़ा अड़ा रहा है। हमारे यहां नौकरशाही २२ साल से हुकूमत कर रही है। उससे भी लड़ना है। आज आपको देखना होगा कि जो बजट आया है जिसको हमारे वित्त मंत्री तिवारी जी ने पेश किया है। वह एक समाजवादी रहे हैं। यह जो बिजली के बारे में बजट लाये हैं उसको देखकर तकलीफ हुई है। मिनिमम गारन्टी तो खत्म हो गई लेकिन ३ रु० प्रति हार्स पावर बढ़ा दिया। जब वह किसानों की बात करते हैं और ऐसा करते है तो इसको देख कर तकलीफ होती है। शायद आप यह सोचते हों कि किसान बड़ा मालदार है और उस पर और अधिक लादा जा सकता है।

यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज १०० बीघे का काश्तकार भी उतना खुशहाल नहीं है जितना कि शहर का रहने वाला मामूली दुकानदार है। आज बजट में तिवारी जी को नीति निर्धारित करनी होगी। राज्यपाल के भाषण में यह नहीं आई। आपको दाम नीति बनानी पड़ेगी। आज संड साहब नहीं हैं। वह कहते हैं कि इम्प्लाईज की तनख्वाह बढ़नी चाहिये। इससे महंगाई बढ़ेगी। दाम नीति बनाकर ही महंगाई को रोक सकते हैं। एक आदमी को आप ५००० रुपया देते हैं और दूसरे को १०० रुपया देते हैं। १०० रुपये से कम तनख्वाह नहीं होना चाहिये और ५०० रुपये से अधिक तनख्वाह नहीं होना चाहिये। तभी समाजवादी सरकार होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो बंगाल में अहिया की सरकार खतम हो गई। जनता माफ करने वाली नहीं है। अगर हालत ठीक न हुई तो क्रान्ति होगी और एक एक एम० एल० ए० को गोली मार दी जावेगी। जनता को २० साल तक गुमराह किया गया है और आज उसकी दशा खराब है। किसानों को राहत दीजिये और पानी, बिजली और खाद की दर कम कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

समाप्त कीजिये।

श्री राजित राम पांडेय—

शिक्षा में खराबी है। हम गुलामी में पढ़े थे तो उस समय आज से अच्छी पढ़ाई थी शिक्षा में परिवर्तन करना होगा। इन्टरमीडिएट तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जान। चाहिये। हमारे यहां पानी की बड़ी शिकायत है। ट्यूबवेल लगवा दिये जायं। मेरा इलाका सूखा का इलाका है। आप जानते हैं कि इलाहाबाद बड़ा गरीब इलाका है। वहां पर कोई रोजगार भी नहीं है। इसलिये जवराडीह, वीरापुर उर्फ कसौंधन, पतलोल, बनकटल मोहम्मदाबाद, सुनबरसा, बाहरपुर, बिझौली जवराडीह धाटू पकलोल और सराय वख्स में ट्यूबवेल की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के भाषण की ताईद करता हूं।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं गवर्नर महोदय के भाषण पर जो कल्पनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव पेश किया है उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे दोस्त इन्दिरा गांधी का नाम ले रहे थे और बहुत नाराज थे। इसमें कोई शक नहीं है कि २४ साल के बाद तारीख में ऐसी चीज आई है जो हैरतअंगेज है। जो पार्लियामेंट के चुनाव हुय और उसके बाद जो हुआ उसके लिये शब्द नहीं है।

हमारी वजीर आजम, इन्दिरा गांधी ने एक नये मुल्क जिसका नाम बंगला देश है बनाया है लेकिन उसके बाद जो नकशा पेश किया है उसस सर झुक जाता है। हमसे सवाल किया जाता है कि हमने मैनीफस्टो को देख कर वोट दिया था लेकिन अब हम अपने मुकाम पर रह भी सकेंगे या नहीं। हम पार्लियामेंट क इलक्शन क बाद दल बदल न करते तो ठीक था।

[श्री शफीक अहमद खां]

रोज जब हम अखबारों में देखते हैं तो देखते हैं कि फलां आदमी चला गया। यह जो दलबदल इतनी तेजी से हो रहे हैं, मैं यकीन नहीं कर पाता कि ये क्यों हो रहे हैं। मैं अब किसी क बारे में यह नहीं कह सकता कि ३१ तारीख की शाम तक अपनी जगह पर रहेंगे या नहीं।

मान्यवर, यह एक तारीख लिखी जा रही है जिसका हमारे आगे आने वाली नस्लों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जब हम किसी से रिश्वत और घूसखोरी की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि पहले अपना मुंह तो आइने में देखो। आप कहां हैं, कहां चले जायंगे? आज जो हमारे हिन्दुस्तान का मुकाम था, वह अपने ईमानदारी के मुकाम पर नहीं रहा। माननीय गवर्नर महोदय ने जो ऐड्रेस दिया है, उसको मैंने गौर से पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से किसी भी आदमी को अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर करने के लिये अपने खाना, पानी और आबोहवा को साफ सुथरा रखना चाहिये, उसी तरह से किसी प्रदेश या मुल्क की जिन्दगी के लिये और अच्छे काम के लिये साफ-सुथरे और पाक ऐडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। आज यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है किन्तु अपने वसूलों का पालन नहीं कर रही है।

श्री रियासत हुसेन ने कहा कि इस सरकार को ८ महीने होने जा रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं आज १२ महीने होने जा रहे हैं लेकिन इस सरकार ने कोई काम समाजवाद का नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि करेप्शन इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। मिसाल के लिये मैं बताता हूं कि थाने पर हमला किया जाता है, आज बहू-बेटियों की इज्जत लूटी जातीहै, लोग जानसे मार दिये जाते हैं, बड़े-बड़े नेता मार दिये जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं होता है। मैं अपने जिले की बात बताता हूं। खून के आंसू बहाने पड़ते हैं। हमारे यहां बरेली जिले के ब्लाक आलमपुर जाफराबाद के बी० डी० ओ० साहब ४८ हजार रुपये कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के बरेली में रखना चाहते थे। कलेक्टर साहब ने कहा डी० पी० ओ० के यहां रख दो। डी० पी० ओ० ने अपने जिला परिषद् के खजाने के अन्दर रखवा दिये। जब सुबह हुई और ताला खोला गया तो खजांची साहब कहते हैं कि नोट नहीं है। ४८ हजार क्या ४८ पैसे भी नहीं बचे। न जाने कहां चले गये। मैंने जब सवाल किया कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई तो बताया गया कि मामला ज्यों का त्यों पड़ा है, और अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई।

एक बात मैं भूलगया था। यह हमारी सियासी, यह हमारी बेईमानी हमने क्यों पैदा की, यह कहां से आई? आप माफ करेंगे, मैं यह वाकया सुना रहा हूं। हमारे सदर-जमहूरियत के इलेक्शन में कितना गोलमाल हुआ। इसके बारे में इन्दिरा गांधी का नाम भी सुना गया। जब हम इतने बड़े-बड़े नेता में ऐसी बात देखते हैं कि कोई परवाह सियासी जिन्दगी की नहीं है, तो दूसरों की क्या बात करें। इसकी क्या वजूहात हैं, यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

मैंने बड़े गौर से गवर्नर साहब के एड्रेस को पढ़ा मगर उसमें उर्दू के बारे में कोई मुझे बात दिखाई नहीं दी। तालिब इल्मों को केवल दो रुपया दिया जाता है। बहुत पूछने पर यह बताया गया कि यह दो रुपये एक विद्यार्थी को एक साल में मिलता है। आप जरा गौर करें इस दो रुपये से क्या हो सकता है। बताया यह गया कि यह दो रुपया किताबों के लिये दिया जाता है। दो रुपये में जरा सोचिये कि कौन सी किताब आ सकती है। ढिंढोरा बड़ा पीटा जाता है कि हम उर्दू के लिये यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, मगर दरअसल हो कुछ नहीं हो रहा है। मैंने यह पूछा कि कितने कालिज व स्कूल उर्दू पढ़ाने वाले हैं? कुछ पता नहीं चला।

अब मुलाजमत में देख लीजिये। किसी भी मोहकमा को ले लीजिये इस ९ करोड़ की आबादी में अकलियत के १५ प्रतिशत हम लोग है, मगर हम लोग मुलाजमत म उस प्रतिशत से नहीं हैं। चाह एम० एल० एज० को ल लीजिय, चाह मिनिस्टरों की तादाद को ले लीजिय,

हम लोग काफी कम मिलेंगे। इस समाजवादी सरकार में हमारा कोई मुकाम नहीं है। समाजवाद का तो केवल ढोंग रचा गया है।

काश्तकारों की बड़ी बात की जाती है। आज उनकी फसल पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, खाद पर टैक्स लगा दिया है, मिट्टी के तेल पर टैक्स लगा दिया है। बड़े बड़े उद्योगों के लिये तो विभाग खुले हुए हैं, कारपोरेशन्स हैं, पर किसान की पैदा की हुई जो चीजें हैं गन्ना है, गेहूं है, चना है, जौ है, उसकी क्या कीमत उसको मिले इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसके काम आने वाली चीजों पर ड्यूटी पर ड्यूटी आप बढ़ाते चले जा रहे हैं

यही नहीं, मैं तो यह कहूंगा शुगर केन पालिसी भारत सरकार की बिल्कुल फेल हो गयी है। यह सरकार भी किसानों को गन्ने का सही दाम नहीं दिलवा पायी है। काश्तकारों की बड़ी हिमायती यह सरकार बनती है। ७ रुपये ३७ पैसे में हमारा गन्ना लिया।

जनवरी में हमारे कमलापति त्रिपाठी ने सेठों को बुला कर उनसे कह दिया कि और कुछ तो इनको दे दो और उन्होंने खैरात समझ कर उनके लिए कुछ कर दिया और हमारे जिले को १० रुपये, पूर्वी वालों को उससे कम और साढ़े ११ रुपये पश्चिम वालों को दिला दिए। यह उपेक्षा और अन्याय बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। वक्त आ गया है कि हम समझ लेंगे। आज जनता वायदों और नारों के बल पर पल रही है, नारे और वायदों में रियात बही जा रही है या लेकिन यह धोखा अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। अब जुल्म और सितम का प्याला लबरेज हो चुका है। तरकीब तकल्लुफ लाख करो फितरत नहीं छुपती ऐ अकबर, जो मिट्टी है वह मिट्टी है जो सोना है वह सोना है। असलियत कभी छिप नहीं सकती है कागज के फूलों से जो मिट्टी है वह मिट्टी रहेगा और जो सोना है वह सोना रहेगा। आपके बार बार चिल्लाने से उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)--

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। माननीय रियासत हुसेन ने जो राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति अपना धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज दो रोज से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। इधर के सदस्य चाहे हों चाहे उधर के हर एक सदस्य एक ही विषय पर बोला--प्रधान मंत्री जी ने यह किया या वह डिक्टेटर हो रही हैं। इन्हीं बातों पर इस सदन के सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। २४ वर्षों से देश में गरीब जनता की कोई आवाज सुनी नहीं जाती थी, लेकिन साल भर से--

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है, आप सरकार की दशा देख लें।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री दलसिंगार यादव--

हमारे देश में राजनैतिक चेतना गांव-गांव में फैल गई है और वे समझने लगे हैं कि समाजवाद क्या है? यह कौन ला रहा है। मैं तो हमेशा ग्रामों में घूमता रहता हूं, आज छोटे से लेकर बूढ़ा तक समझता है कि इस देश का कल्याण यदि होने वाला है, देश का भविष्य यदि उज्ज्वल होने वाला है तो वह इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ही होने वाला है। हमारे साथी ने दल बदल की परिभाषा बताई लेकिन वास्तविक परिभाषा में उन्हें बताना चाहता हूं। मैं सोशलिस्ट पार्टी से जरूर रहा हूं, लेकिन जब मुझ से कहा गया कि आप चन्द्रभानु गुप्त को वोट दीजिए, उसी दिन---६ फरवरी से मैंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैंने नीतियों को समझकर दल बदल किया है।

[श्री दलसिंगार यादव]

जैसे राजनारायण सिंह को कहेंगे कि समाजवादी हैं लेकिन समाजवाद के पैर में वह कुल्हाड़ा मारते हैं। हमारे दोस्त चिल्लाते हैं समाजवादी, समाजवादी। हमको मत बतलाइये। मैं बचपन से सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य रहा हूं। मैं जानता हूं कि राजनारायण सिंह ने इस देश में समाजवाद को जो धक्का लगाया है उतना बड़ा धक्का देश के अन्दर किसी ने नहीं लगाया होगा। (व्यवधान) मुझे चौधरी चरण सिंह की याद आ गयी। चौधरी साहब वोट मांगने गये थे। चौधरी साहब ने कहा कि राजनारायण राक्षस है, वह मांस खाता है, मुर्गा खाता है, चौधरी साहब कहते हैं कि इन्दिरा गांधी समाजवादी हैं। आप क्या चिल्लाते हैं? मैं भी सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य रहा हूं और आज भी सोशलिस्ट पार्टी की नीतियों का परिचालन कर रहा हूं। मैं जिस वक्त सोशलिस्ट पार्टी से नयी कांग्रेस में आया था उस वक्त विधान परिषद् का चुनाव होने जा रहा था। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था, विधान परिषद् का चुनाव हो रहा था।

मेरे साथी भाभी भाई खड़े हैं। मैंने जिले में सबसे ज्यादा वोट दिलवाए। मैंने कह दिया कि मैं सही हूं या सोशलिस्ट पार्टी के लोग सही हैं, यह देख लें। ९० प्रधानों ने मेरे कहने से वोट दिया। इसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। पार्लियामेंट के चुनाव में आजमगढ़ जिले में जहां से कांग्रेस के महामंत्री, चन्द्रजीत यादव खड़े हुए थे, मुझे पता है सारे हिन्दुस्तान की ताकत, उत्तर प्रदेश की जितनी प्रतिक्रियावादी ताकतें थीं उन्होंने चन्द्रजीत यादव को हराने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मेरे क्षेत्र में चाहे यादव हों, हर वर्ग के लोग, बड़े लोग टोटली खिलाफ थे इन्दिरा गांधी के, लेकिन वहां का गरीब तबका जिनको समाजवाद में विश्वास था उसने चन्द्रजीत यादव को इतने वोट दिये, वहां कांग्रेस संगठन, जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी के सारे लोगों को मिलाकर किसी को दस हजार, किसी को पांच हजार और किसी को दो हजार वोट मिले। लेकिन चन्द्रजीत यादव को केवल मेरे क्षेत्र में २६ हजार वोट मिले। वहां की जनता कितनी समाजवादी विचारों के साथ रही है। मेरे जिले में बाबू विश्राम राय इतने अच्छे नेता हैं, सारा जिला जानता है, बहुत सत्य हैं, महान् हैं, लेकिन उस जमाने में उनका जो गठबन्धन हो गया जनसंघ से, कांग्रेस संगठन से। लोग पूछने लगे कि विश्राम राय उनके साथ कैसे चले गये जिनकी नीतियों का लोग विरोध करते थे। क्या मामला है? यह लोग कहते थे। हमारे साथी कहते हैं कि इंदिरा गांधी तानाशाही हुकूमत करने की ओर जा रही हैं। इंदिरा गांधी आई० सी० एस० तथा पी० सी० एस० अधिकारियों को सत्ता सौंप रही हैं जो निराधार साबित हुआ।

श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

बी० आर० मोहन जौन शराब की बोतलें चलावति हैं, नोट चलावति हैं, वे समाजवाद चलइ हैं।

श्री दलसिंगार यादव—

मान्यवर, मैं श्री बी० आर० मोहन को समाजवादी मान् सकता हूं। माननीय राजनारायण को समाजवादी नहीं मान सकता हूं।

श्री सन्तूराम (जिला बस्ती)—

समाजवाद नहीं अवसर वाद। बड़े-बड़े समाजवादी लोग आकर लोगों को खरीद रहे हैं और आज समाजवाद का नारा लगाया जाता है।

श्री भगेलू सिंह—

आज समाजवाद का नारा लगाया जाता है जब कि झोपड़ी में रहने वाले—गरीब किसान को कोई पूछने वाला नहीं है।

श्री दलसिंगार यादव—

हम यह मानते हैं कि हमारे साथी लखनऊ में खरीदे जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री दल सिंगार यादव---

लेकिन मेरे सामने बैठने वाले उस काम में भी असफल हो रहे हैं। लोग उधर से भाग रहे हैं। पता नहीं कौन खरीदा जा रहा है। जब तक वह उनका समर्थन करते थे तब तक मोहन समाजवादी थे लेकिन आज वे समाजवादी नहीं रहे क्योंकि वे उनके साथ नहीं हैं और एक कमेटी में जो मैसूर गयी थी, उसमें सुरेन्द्र विक्रम जी मेरे साथ थे। जब एक वोटर से मैंने पूछा कि वोट किसको दोगे तो उसने कहा कि इन्दिरा माई को वोट दूंगा। उसने कहा कि वीरेन्द्र पाटिल अच्छा आदमी है लेकिन वह सिंडिकट हो गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

यह बात बिल्कुल सही है। उसने कहा कि वीरेन्द्र पाटिल बहुत अच्छा आदमी है लेकिन प्रधान मंत्री नहीं चाहती हैं कि अच्छे आदमियों को रखा जाय।

श्री दल सिंगार यादव---

उसने यह नहीं कहा था। उसने यही कहा था कि वीरेन्द्र पाटिल को हम अच्छा आदमी समझते हैं लेकिन वह सिंडिकेटी हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य को बड़ा कलक है।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह---

जब माननीय सदस्य ने पहले एक बार दलबदल किया था तो कौंसिल हाउस के सामने श्री राजनारायण ने जब स्पीच की थी और उनके साथ उन्होंने क्या-क्या कहा था?

श्री दलसिंगार यादव---

मैंने श्री राजनारायण के सामने कभी कुछ नहीं कहा। कल्पनाथ सिंह जी को याद होगा, मुझे याद नहीं है। मैंने यह जरूर कहा था कि मैं सिंडिकेट के साथ नहीं जा सकता। जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं वहां सड़क तथा सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। फैजाबाद से लेकर घोसी क्षेत्र में पचासों मील तक में कोई अस्पताल नहीं है। अगर द्वारा में कोई आदमी बीमार पड़ जाय तो २० वर्ग मील में कोई वहां अस्पताल नहीं है। ३५ मील दूर चल कर अस्पताल पड़ता है। जहां वहां के गरीब लोग जाकर दवा-दारू कराते हैं।

जब बाढ़ आ जाती है तो २४-२५ मील की दूरी पर एक द्वारी घाट बांध बना हुआ है जिससे होकर लोग आते जाते हैं। वहां पर कोई संचार का साधन नहीं है और जो हैं भी तो वे बाढ़ के समय में टूट जाते हैं। स्वराज्य मिले हुए आज २४ वर्ष हो गये किन्तु कोई भी एक बड़ा अधिकारी आज तक उस इलाके में नहीं गया है कि आखिर उसमें क्या प्रगति हो रही है, वहां के लोग कैसे हैं? वहां पर इतनी गरीब जनता है कि आज भी ८५ से ९० प्रतिशत लोग शर्बत पीकर अपना जीवन बसर करते हैं। एक वक्त का खाना खाते हैं। वह एक ऐसा इलाका है जो कि गोबर से अनाज निकाल कर भी अपना पेट भरते हैं। इतनी अशिक्षा वहां पर है कि केवल १५ प्रतिशत लोग ही पढ़े लिखे होंगे। स्कूलों की समुचित व्यवस्था नहीं है। जिला परिषद् के जो स्कूल हैं भी वे किसी खलिहान में या किसी पेड़ के नीचे लगते हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से निवदन करूंगा कि इस पिछड़े हुये इलाके में उनका ध्यान जाना चाहिए।

[श्री दलसिंगार यादव]

मान्यवर, राज्यपाल महोदय की स्पीच को मैंने पढ़ा है उसमें उन्होंने अच्छे सुझाव दिये हैं। उनके सुझाव समाजवादी ह . . .

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री दल सिंगार यादव--

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के सम्बन्ध में संकेत किया गया है किन्तु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजमगढ़ जिले का नाम उसमें नहीं आया है जब कि वह जिला उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है। वहां पर इतनी गरीबी है कि मैं समझता हूं वह उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है किन्तु इसकी चर्चा उनके अभिभाषण में नहीं हुई है। कम से कम आजमगढ़ जिले में कोई लघु उद्योग स्थापित करना चाहिए। खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वह बहुत ही कमजोर है। हमारे अधिकारी जो हैं, वे मनमाना कर रहे हैं। अगर हम किसी बात के बारे में मंत्री जी को लिखते हैं तो हमारे अधिकारी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं।

अभी हमारे जिले में एक क्रैश प्रोग्राम बना था किन्तु हमने देखा कि वहां पर हमारे भूतपूर्व जिलाधीश महोदय ने ऐसी जगह पर उस प्रोग्राम को रखा है कि जो पिछड़ा हुआ इलाका नहीं था तथा जो पिछड़ा इलाका था उसको छुआ तक नहीं है जब कि सरकार की यह मंशा है कि उस क्षेत्र में क्रैश प्रोग्राम शुरू किये जायेंगे जो कि पिछड़े हुये हों, जहां गरीबी हो, जहां सड़कें न बनी हों किन्तु हमारे जो भूतपूर्व जिलाधीश सक्सेना जी थे उन्होंने मनमाने ढंग से जहां चाहे इस क्रैश प्रोग्राम को लागू करवाया।

हमारी सरकार के पहले की सिंडीकेट की सरकार थी मिली-जुली। हमारे बहुत से साथी कह रहे थे कि इंदिरा गांधी की सरकार पावर में है लेकिन उस जमाने में लेखपाल लोग तक जाकर और चकबन्दी विभाग के लोगों पर प्रभाव डालते थे और उन पर जोर डाला जाता था कि वोट दिलवाओ हम तुम्हारा ट्रांसफर रुकवा देंगे। प्रभुनारायण सिंह के जमाने में बहुत से ट्रांसफर रोके गये। कहा गया कांग्रेस के विरुद्ध हमें वोट दिलवाओ तो ट्रांसफर रुकवाओ। लेकिन जनता ने इतना कड़ा उनको जवाब दिया कि शायद अब लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैं दो मिनट और चाहता हूं।

मान्यवर, आजमगढ़ जिले में इधर काम शुरू किया गया टेस्ट वर्क में। अभी करीब १ महीने से, मार्च में शुरू किया गया है, जहां पर मिट्टी पड़ रही है सड़कों पर। वह काम अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं एक मील काम हुआ, कहीं दो मील। लेकिन अब काम बन्द होने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कार्य जो शुरू हुआ है उसको जारी रखा जाय।

*श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के बजट अभिभाषण के संबंध में रियासत हुसैन साहब का जो धन्यवाद प्रस्ताव है, उसके विरोध में विरोधी दल के नेता का संशोधन का जो प्रस्ताव है उसके समर्थन में मुझे बहस करना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन् सब से पहले एक बात हम सब लोगों को सोच लेना चाहिए कि बजट भाषण को पढ़ने और सुनने का मौका लगा होगा और जितने संशोधन एजेंडे में हैं उनको हर विधायकों को पढ़ने का अवसर मिला है। मैं तो साफ बता देना चाहता हूं कि दोनों के पढ़ने से आपके सामने जो समस्याएं हैं क्या आप नहीं सोचते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है? हर क्षेत्र से विधायक लोग चुन कर आये हैं चाहे वह सरकारी दल में बैठे हों चाहे विरोधी दल में चाहे वे मंत्री हों अपने पूरे क्षेत्र की सारी बातों की भरपूर जानकारी रखते। लेकिन मैं साफ बता देना चाहता हूं, कि क्या क्षेत्र की ८० प्रतिशत जनता जिसके पास कि आमदनी का जरिया नहीं है, आज भर पेट भोजन नहीं मिलता है, पहिनने को कपड़ा नहीं मिलता है, रहने के लिये मकान नहीं है यह हालत है। यही नहीं, अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए उनके पास इन्तजाम नहीं है।

मैं तो साफ यह कह देना चाहता हूं कि जितने विधायक लोग बैठे हैं कुछ नहीं तो एक तिहाई ऐसे हैं जिनके घर में पूरे परिवार को भर-पेट भोजन नहीं मिलता है--चाहे वे सरकारी दल में बैठे हों चाहे विरोधी दल में। उनके घर की स्त्रियों को भर-पेट भोजन नहीं, पहिनने को कपड़ा नहीं है, बच्चे की पढ़ाई-लिखाई के लिए इन्तजाम नहीं है। ईमानदारी से सब को सोचना पड़ेगा कि जब विधायक चुन कर नहीं आये होंगे तो विधायकों में कितने ऐसे हैं कि उनको भर-पेट भोजन नहीं मिला होगा। एक २४-२५ वर्ष की कांग्रेस सरकार का, इंदिरा जी की सरकार का, उनके पिता पं० जवाहरलाल जी की सरकार का यह कारनामा है यह, इसको कौन नहीं जानता है? यहां पर जितने लोग बैठे हैं, यह बात विधान सभा में आने पर नहीं भूल जानी चाहिए। सारे क्षेत्र की समस्या को आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि भर-पेट भोजन कैसे मिलेगा? पहिनने को कपड़ा कैसे मिलेगा? रहने के लिए मकान कैसे बनेगा? बच्चे की पढ़ाई-लिखाई कैसे होगी और बीमार पड़ेंगे तो दवा का इन्तजाम कैसे होगा?

मान्यवर, इसके लिये आमदनी की जरूरत होती है। फिर सोचना पड़ेगा कि आमदनी कैसे होती है। उस पर गौर करना पड़ेगा। आमदनी का सब से पहला जरिया खेती है, दूसरा नौकरी और तीसरा उद्योग धन्धे हैं। वाह रे हमारे मुल्क की २५ वर्ष की सरकार और सत्तारूढ़ कांग्रेसी सरकार इसने गौर क्यों नहीं फरमाया? क्यों नहीं कानून बनाया कि जिसके पास जमीन ज्यादा है उसको कम करनी होगी। सीमा बांधनी होगी। जैसा कि डाक्टर लोहिया साहब कहा करते थे कि जमीन की सीमा बांधो। एक तरफ तो सोचा नहीं कि जिसके पास साढ़े बारह एकड़ जमीन है वह और ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है। लेकिन हाय रे मुल्क के पूंजीपतियो, ज्यादा जमीन रखने वालो तुम्हारे हाथ में यह सरकार खेलती है।

आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे मुल्क के उद्योगपति बिड़ला के पास ४५ हजार एकड़ जमीन है। यह क्या समाजवाद ला सकते हैं जब कि उद्योगपतियों के पास इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं। यह बर्दाश्त के बाहर बात है। माननीय कमलापति त्रिपाठी मुख्य मंत्री जी का यह मशहूर मामला है कि मिर्जापुर में सतिया कांड हुआ था। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जमीन की सीमा बांधनी चाहिये। लेकिन यह कांग्रेसी सरकार, इंदिरा जी की सरकार का क्या हाल है? वही कि चोर से कहा जाय कि तू चोरी कर और शाह से कहा जाय कि तेरे घर में सेंध लगेगी। यह बहुत दिनों से कह रहे हैं कि जमीन की सीमा बांधी जायेगी। इससे इन्होंने बड़े बड़े आदमियों को सजग कर दिया है और सारे प्रदेश के लोगों ने अपने परिवार वालों के नाम तथा अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन के बयनामे कर दिये हैं। जब इस तरह से इस सरकार ने छूट पहले से दे रखी है तो यह क्या जमीन की सीमा बांधेगी। फिर भी इस अभिभाषण के अनुसार जमीन की सीमा साढ़े बारह एकड़ बांधी है। जब आमदनी का जरिया खेती है तो ज्यादा जमीन वालों की जमीन को कम करके भूमिहीन तथा कम जमीन वालों में जमीन का वितरण करना चाहिये।

[श्री भाभी यादव]

अगर जमीन से आमदनी नहीं बढ़ सकती है तो सोचना पड़ेगा कि नौकरी से कैसे आमदनी बढ़ सकती है। इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। बड़े-बड़े फार्म वाले हैं उनके पास हजारों नौकर हैं, एक बड़ा उद्योगपति है उसके पास हजारों नौकर हैं, एक बड़ा अफसर है जिसके पास ५० नौकर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी किस को मिलना चाहिये। उसको चाहिये जिसको नौकरी की जरूरत हो। पहले नौकरी करने वालों के बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिये। लेकिन हाय रे कांग्रेसी सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लड़कों को, अफसरों के लड़कों को सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन एक ही योग्यता रखने वाले मामूली आदमी के लड़कों को नौकरी मिलना मुश्किल है क्योंकि जो गरीब है वह पैसा देगा नहीं, रिश्वत देगा नहीं और रोब रुआब उसके पास है नहीं, उसके पास तो फटे पुराने कपड़े हैं। बस यही उसके पास है। आप इंदिरा गांधी जी को कहते हो। क्या इन्दिरा गांधी ने कोई नई बात कर दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी चर्चा करते हो। यह छिपी हुई बात नहीं है। गांधी जी ने चाहते हुए भी भूल कर दी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधान मंत्री बना दिया और सरदार पटेल को प्रधान मंत्री नहीं बनाया। हमने सरदार पटेल को देखा, डा० राजेन्द्र प्रसाद को देखा और डा० राधाकृष्णन को देखा। सबसे बड़ी विरोधी बात जो गरीबों के लिए हुई वह यह कि प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए।

आप इन्दिरा गांधी की बात करते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद, अगर इन्दिरा गांधी लायक रही होतीं तो उनको ही प्रधान मंत्री बनाया गया होता और लालबहादुर शास्त्री को प्रधान मंत्री न बनाया जाता। मैं आपसे यह कहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी राजनीति में सबसे पीछे रही हैं। जो नाटक हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। नौकरी में आप देखें। आमदनी और खर्चे में, जिस प्रकार है से कि डा० लोहिया कहा करते थे सीमा बांधनी चाहिए थी। आमदनी में १० गुने से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। किसी को भी तनख्वाह १५० रु० माहवार से कम नहीं होनी चाहिए और बड़े से बड़े आफिसर की तनख्वाह १,५०० रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाय रे इन्दिरा गांधी का समाजवाद, यह कुछ नहीं हुआ। इन्दिरा गांधी के ऊपर २५,००० रु० रोज खर्च होते हैं। आप क्या बात करते हैं?

यही नहीं, गरीब आदमी जिसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उसको आप कोई लाइसेंस नहीं दे सकते हैं और उसको उद्योग के लिए सहायता नहीं कर सकते हैं। आप उनके लड़के को लाइसेंस दे सकते हैं। उनके लड़के बड़े लायक हैं जो मोटर बनाने का लाइसेंस उनको दिया। यहां कितने विधायक हैं जो यदि विधायक न रहे तो अपना पेट भर सकेंगे, अपने बच्चों का पेट भर सकेंगे और अपने परिवार वालों का पेट भर सकेंगे? आप गरीब जनता की बात करते हो, मैं तो यहां बैठने वालों की बात करता हूं। आप दल बदलू एम० एल० एज० का मामला समझते हो। इस सरकार ने जमीन की सीमा बांधी और न तनख्वाह की सीमा बांधी। इन्होंने तो पूंजीपतियों की आमदनी को बढ़ाया और छोटे-छोटे उद्योगों को नहीं बढ़ाया। यहां पहले विरोधी दल खचाखच भरा हुआ था।

मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उधर इतना बड़ा दल था लेकिन लोगों ने लालचवश दल बदल कर दिया। क्या कभी कांग्रेस दल में किसी गरीब को टिकट मिला है? क्या आप समझते हैं कि आप को टिकट मिल जाएगा? टिकट केवल पूंजीपतियों को मिलेगा, जैसा कि आप राज्य सभा के चुनाव के लिए देख रहे हो। आप इसको आसान समझ रहे हैं कि दल बदल दिया और कांग्रेस दल का टिकट मिल जाएगा। स्वार्थवश आप की पूजा हो रही है। जहां स्वार्थ खत्म हुआ वहां आप को पूछने वाला कोई नहीं है। कुछ रोब रुआब वाले दल बदलुओं की तो कीमत हो जाएगी लेकिन गरीबों के बच्चों, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान, चाहे बड़ी जाति के हों, चाहे छोटी जाति के हों, सारे गरीब लोगों का एक ही हाल होता है।

(इस समय ३ बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और इसके साथ-साथ कर देना चाहता हूं कि बंगला देश की बड़ी चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण में की गयी है और इन्दिरा जी को शाबाशी दी गयी है। लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर बंगला देश की लड़ाई हुई क्यों ? बंगला देश की जनता ने अपनी लड़ाई का जोखिम क्यों उठाया। एक बात साफ बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में सत्ता थी। पूर्वी पाकिस्तान में एक आदमी की सालाना आमदनी साढ़े तीन सौ रुपया थी और पश्चिमी पाकिस्तान में साढ़े सात सौ रुपया थी। इन दोनों में इतनी नाबराबरी थी और झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। लेकिन कौन सुने ?

जब हाथ में सत्ता आ जाती है तो लोग मारे घमंड के चूर हो जाते हैं, जैसे कि आज मंत्री लोगों का नक्शा है। कितने मंत्रियों को देखा। जब मंत्री थे तो सुनते नहीं थे। लेकिन जब मंत्री पद से हटे तो वही कहावत लागू होती है कि 'तावा फे बानर बनोगे'। अहिया, भुट्टो और पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े-बड़े ओहदों पर काम करनेवालों ने पूर्वी पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं की लेकिन जनता की आवाज को सुनकर वहां के नेता शेख मुजीबुर्रहमान ने अगुवाई की। (लाल बत्ती होने पर)।

मान्यवर, हमें तो अभी थोड़ा समय ही हुआ, है बोलते हुए, पांच मिनट और दीजिये। शेख मुजीबुर्रहमान की अगुवाई में बंगला देश की जनता संगठित हुई और उसने पश्चिमी पाकिस्तान की फौज और पुलिस का मुकाबला किया। हम जिस जिले आजमगढ़ के रहने वाले हैं वहां की भी स्थिति दयनीय है। वहां प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी १७८ रु० है लेकिन दिल्ली और बम्बई की डेढ़ हजार रुपया है। मैं साफ बता देना चाहता हूं कि हम जो पूर्वी जिले के पिछड़े लोग हैं और जहां इतनी नाबराबरी की आमदनी है, बंगला देश की तरह से इस इन्दिरा गांधी सरकार के सामने बगावत करेंगे। इसके पीछे चाहे जेल जाना पड़े, फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े लेकिन हमारे पूर्वी जिले के लोग फैसला लिये हैं कि बगैर इसके हमारी गरीबी नहीं मिटेगी। पूर्वी जिले की जनता बंगला देश की जनता से सबक ले रही है। नेता लोग जो गरीबों के हमदर्द हैं वे शेख मुजीबुर्रहमान से सबक ले रहे हैं। मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अहिया, भुट्टो मत बनो नहीं तो मुकाबला होगा।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे यहां आमदनी और खर्चे की सीमा को, जैसा डा० लोहिया कहा करते थे, बांधने का कोई तजकरा नहीं है। मनमाने भाव हैं। महंगाई इतनी बढ़ गयी है कि लोहे तक की कीमत दुगनी हो गयी। मिट्टी के तेल की बाबत अखबार में पढ़ा था कि ६ पैसे बढ़ा था तो चार पैसे कर दिया थोड़ी दो पैसे घटा दिया। घटा किसमें से दिये जो बढ़ाये थे उसमें से। मैं पूछना चाहता हूं यह कहां का नाटक है।

मैं दल बदलुओं को कह रहा हूं, ऐ दलबदलुओ जरा होशियार रहो। जनता जानती है कि तुम इधर से उधर और उधर से इधर हुए हो। आज आपके जो दाम लग रहे हैं वह सिर्फ इसलिये लग रहे हैं कि इस समय तुमने अपनी एक हैसियत बना ली है। जब वह हैसियत छिन जायगी लोग आपको कुछ न पूछेंगे। आप की ईमानदारी तो यह थी कि अगर आपने दल बदला था तो पहले इस सीट से इस्तीफा देते और फिर जनता से चुनकर आते। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मैंने समझा कि किसी दूसरी पार्टी के उसूल अच्छे हैं और मुझे उस पार्टी में जाकर जनता की सेवा करनी चाहिये तो मैं पहले उस पार्टी से स्तीफा दूंगा, उसके बाद दूसरी पार्टी से चुनकर आऊंगा। आपको यह ईमानदारी का पाठ आचार्य नरेन्द्र देव और डाक्टर लोहिया से सीखना चाहिये।

[श्री भाभी यादव]

हमने आपका बजट भाषण देखा। बड़े बड़े अच्छे लच्छेदार वाक्य उसमें लिखे हुए हैं। जैसे वाक्य पहले लिखे जाते थे उनसे भी अच्छे वाक्य उसमें लिखे हुए हैं। अगर उसमें केवल आप यह लिख देते कि अब हमारी कथनी और करनी में अन्तर न होगा, वही काफी था। इसका सबक आपको डाक्टर लोहिया से सीखना होगा।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

संविद की सरकार ने क्या किया था ?

श्री भाभी यादव—

दल बदलुओं की वजह से संविद को मौका ही नहीं मिल पाया।

(व्यवधान)

श्री प्यारेलाल—

राजनारायण जी ने कौन से पूंजीपति को छोड़ दिया। आप भी पहले एस० एस० पी० के थे फिर एस० पी० के हो गये।

श्री भाभी यादव—

जो भी दलबदलू बोलते हैं उनमें अगर हिम्मत हो तो पहले अपनी सीट से इस्तीफा दे दें फिर दल बदल कर यहां आयें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। हमारे नेता माननीय रामसेवक यादव कहा करते हैं कि सारी जनता की हिम्मत नहीं पड़ी, राजा की हिम्मत नहीं पड़ी और सब झूठी बात को सही कहने लगे। लेकिन बच्चे ने उसको गलत साबित कर दिया। सत्तारूढ़ लोगों आपको भी उस बच्चे की तरह से ईमानदार बनना चाहिये कहीं ऐसा न हो कि मंत्रीपने के घमंड में रहकर गलत मुहर लगा दो। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यहां पर एक शेर याद आ गया। वह उर्दू का है लेकिन इस सरकार ने इसमें उर्दू का कोई जिक्र नहीं किया है। चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों, जो भी ईमानदार होगा वह हमारी बात को मान लेगा लेकिन जो ईमानदारी से बहुत दूर है, पूंजीवादी हैं, समाजवादी नहीं हैं, वह इसके अर्थ को भी उल्टा ही समझेगा। एक उर्दू की किताब है—आयने अदब। उसमें एक सबक था 'असरारे कामरानी' उस शायरी को पढ़ने के बाद मैं दो तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

बस शेर के साथ ही समाप्त कर दें।

श्री भाभी यादव—

"अगर कामरानी के ख्वाहां हो तुम
तो मेरी सुनो क्योंकि इनसां हो तुम
इरादा करो जब किसी काम का
न लो भूल कर नाम आराम का
कि पुख्ता इरादा बड़ी चीज है
न जिसमें यह वस्फ वह हीज है ?
दिखाओ जमाने को वह इनहिमाक
कि हर चश्म बीना को हो जिसकी ताक
रियाजत करो और मेहनत करो
इसी में जियो तुम इसी म मरो
गर मेहनती पा गये खिताब
तो जर से बन जाओगे आफताब

मगर एक नुक्ता और भी है
नहीं सरासर काबिले गौर है
न करना कभी वक्त को रायगां
कि रहना नहीं है हमेशा यहां
बकौले हसन कोई पाता नहीं
गया वक्त फिर हाथ आता नहीं
लिया काम मरदानगी से अगर
समझ लो यही है कजाओ कदर
बशर क्या फरिश्ते फड़क जायंगे
पहाड़ों के पत्थर सरक जायंगे।"

अब इस शायरी के बाद मैं क्या सबके दिल को किरकिरा करूं। अब लम्बी बात न कह कर मैं प्रेमपूर्वक जो संशोधन इस प्रस्ताव पर आया है उसका समर्थन करता हूं और जो धन्यवाद का प्रस्ताव भाई रियासत जी ने रखा है उसका विरोध करता हूं। इसमें किसी का दोष नहीं है बहुत सोच समझ कर मजबूरन हमें इसका विरोध करना पड़ रहा है। यही कह कर मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रियासत हुसेन के धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। सदन में बार-बार दलबदलुओं की बात आती है। गवर्नर के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर भाषण हो रहे हैं और उसमें बार-बार दलबदलुओं की बात की जाती है। अगर ऐसा है तो उधर के बैठने वालों को मैं आप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कांग्रेस को छोड़ा और चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस को छोड़ा और वह मुख्य मंत्री बने और सरकार बनायी तो क्या उन्होंने दल नहीं बदला। यह तो आस्था का प्रश्न है, आस्था होना चाहिये समाजवाद में और आस्था होना चाहिये कर्मों में। अगर किसी की नीतियां अच्छी हैं तो जनता उसको पसन्द करेगी और आप का देश में सम्मान होगा, आप माने जायंगे। मैं किसी की भी तारीफ नहीं करना चाहता। हाउस में बार बार इन्दिरा महारानी का नाम आता है उधर के लोग उनका नाम सुन कर चौंक जाते हैं, न जाने उन को उनके नाम में ऐसा कौन सा विष लगता है जो वह उन का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। हाल के चुनाव में उन्होंने अपना असर और इन्दिरा जी का असर देख लिया। आप के समस्त शासन में क्या हुआ और आपने इन्दिरा जी के नये समाजवाद के कार्यों को देखा, उन्होंने देश के लिये एक नया समाजवाद का ढांचा तैयार किया है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय सदस्य का ढांचा चौधरी साहब ने तैयार किया और फिर वह उधर चले गये। इन्दिरा जी के शासन में तो आप विधायक भी नहीं हो सकते थे।

(व्यवधान)

श्री हरनारायण—

जब देश म चरम सीमा तक भ्रष्टाचार पहुंच गया और बड़े बड़े नेताओं ने देश की जनता को अब गुमराह कर दिया और पूंजीपतियों ने देश की जनता का खून चूस लिया और गरीब-गरीब होता जा रहा था ऐसे वक्त में इन्दिरा जी ने देश को सम्हाला है। उन्होंने नारा दिया है समाजवाद का, गरीबी मिटाने का और यह एलान करदिया है इन शासकीय लोगों के लिए कि ३साल में काम न हुआ तो जनता, जिस तरह से इन लोगों को ठुकराया है, उन लोगों को भी ठुकरा देगी।

अब मैं मान्यवर, अपने क्षेत्र की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में सारी बातें कही नहीं गयी हैं। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जबान मेरी बात उनकी, उनकी महफिल सवांरता हूं, चिराग मेरा है, रात उनकी।

[श्री हरनारायण]

मेरे इलाके में सिंचाई विभाग की बड़ी दुर्दशा है। हरदोई में १३ मील से २१ मील पर ५ हजार आदमियों को १० हजार एकड़ जमीन जलमग्न रहती है। ६ लाख ५० हजार रुपये शासन द्वारा उस काम के लिए रखा गया है लेकिन अभी तक धन पास नहीं हुआ है। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उसको पास करायें। इसके अतिरिक्त वहां पर नहरों की योजना है। एक माधव टांडा और दूसरी है कैंच टांडा। उस बारे में कुछ कार्यवाही भी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस कार्य को भी देखें। मेरे क्षेत्र में सिंचाई के समुचित साधन न होने के कारण फसलें इतनी खराब हैं कि काश्तकार परेशान रहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि उनकी परेशानी को दूर करने के लिए सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए ट्यूबवेल और नहरों की व्यवस्था की जाय।

हमारे काश्तकारों को जो लोन दिया जाता है, उसमें उनके लिए ट्यूबवेल में लगाने के लिए पंपिंग सेट्स दिए जाते हैं परन्तु खेद का विषय है कि लैंड डेलपमेंट बैंक के जो मनेजर हैं, वे लोग काश्तकारों को मजबूर करते हैं कि वे ३,२०० रुपये का सेट लें जो कि उनको बाजार में २,६०० रुपये में प्राप्त हो जाता है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और काश्तकारों की इस असुविधा को दूर करायें जिससे किसानों को कर्जा मिल सके और उसका वे सही उपयोग कर सकें।

दूसरी बात हमारा जिला पीलीभीत बहुत पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है। वहां पर न सिंचाई के साधन हैं न उद्योग हैं, न नहरें हैं और न वहां पर बिजली है। बड़े खेद का विषय है और मैं अपने माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जो पिछड़ा हुआ जिला है, उसकी ओर ध्यान दें। हमारे जिले में कोई उद्योग अधिकारी तक नहीं है। इसकी बराबर मांग करते हुए महीने हो गये हैं लेकिन माननीय विभव जी कहते हैं कि मामला वित्त विभाग में गया हुआ है और कभी नियुक्ति विभाग को रेफर किया गया है। इस प्रकार से टाल रहे हैं। जब वहां पर उद्योग अधिकारी ही नहीं होगा, तो वहां पर किस प्रकार से उद्योग तरक्की करेंगे। तो इस प्रकार की ढिलाई को दूर किया जाय।

इस प्रदेश में समाजवादी सरकार कार्य कर रही है परन्तु खेद है कि भ्रष्टाचार का पूरी तरह से निवारण नहीं हो सका है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें कड़े कदम उठाने होंगे। हमारे मंत्री मंडल को यह चेतावनी होनी चाहिए कि यहां से अगर कोई रुपया नीचे के स्तर पर जाता है, ग्रामीण जनता को जाता है, और अगर उसका बटवारा यदि सही नहीं होता है, बीच में बट जाता है, तो पूरा लाभ नहीं हो पाता है। न तो इससे सरकार के आंकड़े ठीक हो पाते हैं और न तो काश्तकार को रुपया मिल पाता है।

शहरों में आज तरक्की हो रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े दफ्तर बन रहे हैं। जिस क्षेत्र से हम लोग चुन कर आते हैं, सारे विधायकगण ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उन्हें भली प्रकार मालूम है कि गांव के मकानात झोपड़ियों में आग लगती है तो इधर से उधर तक स्वाहा हो जाते हैं। पिछले वर्ष वर्षा हुई थी। वर्षा में गांवों में १२ हजार मकानात गिर गये। राजकीय सहायता मिली, वित्तीय सहायता दी गई लेकिन वह बहुत ही कम। किसी को पचास रुपये और किसी को पच्चीस रुपये किसी को सौ रुपये और वह भी सही नहीं मिल पाई।

मैं सरकार से दूसरी बात निवेदन करूंगा कि वह गांवों की ओर देखे। गांव की गरीब जनता की ओर देखे। जो ७५ या ७६ परसेंट गांवों में रहती है और जिसने आपको यहां पर भेजा है। उनके आवास के लिये प्रबन्ध होना चाहिये। मैं अपने माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आवास-विकास परिषद् जिला पीलीभीत में भी उसका विस्तार होना चाहिये।

आवास विकास परिषद् के लिये कई बार प्रार्थना की गई लेकिन हमारे जिले में उसका कोई कार्य नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देकर उस ओर कदम उठायें।

इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में जीपों और वेहिकिलों का सरकारी तौर पर दुरुपयोग हो रहा है। इसका नियंत्रण होना चाहिये। सरकारी कर्मचारी अपने प्राइवेट कामों में उनको लगा रहा है। मैं अपनी सरकार से इस बात के लिये निवेदन करूंगा कि इसके लिये वह पूरी तरह से देखभाल करे जिससे हमारे देश का धन क्षति से बच सके। इस समय हरित क्रान्ति की बात राज्यपाल के अभिभाषण में कही गई थी। हम अपने मंत्री महोदयों से इस बात का निवेदन करेंगे कि हमारे प्रदेश में खाद की बहुत जरूरत है। पानी और खाद इन दो चीजों से ही हरी क्रान्ति आती है। परन्तु अब रबी की फसल में हमारे काश्तकारों को खाद नहीं मिल सकी। यही कारण है कि किसान इस बार बहुत ही परेशान रहा है। तो हम निवेदन करेंगे कि सरकार खाद का विशेष प्रबन्ध करे जिससे कि हमारे किसानों को लाभ हो सके। जब उनको खाद मिलेगा पानी मिलेगा तब वे अच्छी उपज उपजायेंगे और अन्न उपजने के बाद वह बाजार में आयेगा और उससे सब लाभान्वित होंगे और हमारे किसानों की तरक्की होगी। इसलिये हम मंत्रिमंडल से निवेदन करेंगे कि वह खाद के लिये विशेष कार्यवाही करेंगे।

अब मैं आपके सामने कुछ थोड़े से विस्थापितों की बात कहना चाहता हूं। बंगाली परिवार जो नौ-नौ दस-दस सालों से पूरे प्रदेश में बसाये गये हैं उन लोगों को खेती दी गई बैल दिये गये लेकिन पानी का उन लोगों के लिये कोई प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं किया गया। अगर पानी उनके खेतों को मिल जाता तो वे बंगाली परिवार जिन्हें हम मछली पकड़ने वाला कहते हैं वे अपने बच्चों की भी परिवरिश करते और देश की तरक्की भी करते। उनके लिये सरकार को पानी के साधनों की व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ पिछली सारदा नदी के सैलाब से रामनगर और हजारा आदि गांव बह गये उनके बसाने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। आपकी सूचना के लिये कहना चाहता हूं, उन लोगों के लिये आठ हजार रुपये प्रतिमाह रक्खा गया है जो उनको दिया जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार उन लोगों को जमीन दे दे तथा जो आठ हजार रुपया बटता है वह न बांट कर जमीन से पैदावार कराई जाय और जिससे देश की तरक्की हो। हम सरकार से इसका निवेदन करेंगे कि उन परिवारों के लिये जमीन देवें। साथ ही साथ खीरी लखीमपुर तथा पीलीभीत में उपनिवेशन की योजना चल रही है। १० साल से वहां पर काश्तकार खेती करते हैं और लगान देते हैं। लेकिन डेढ़ दो साल से बराबर यह मांग की जा रही है कि उनको सीरदारी राइट्स दिये जायं। परन्तु अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। उनको सीरदारी राइट्स अगर मिल जायं तो वह भी कर्जा लेकर पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और खेती की उन्नति कर सकते हैं। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान देकर उनको सीरदारी राइट्स दिलाये जायं।

सबसे विशेष महत्व की बात जो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, वैसे उनको अधिकार हो या न हो, वह यह है कि पिछले साल किसानों का गल्ला सड़ गया और उन्होंने जो ड्योढ़ा दर जमींदारों से लिया था, तो गल्ला सड़ जाने के कारण उन्होंने ड्योढ़ा वसूल नहीं किया। अब वे जमींदार इस साल उस ड्योढ़े का ड्योढ़ा वसूल करने जा रहे हैं। मैं अपनी सरकार से इस बात का निवेदन करता हूं कि कोई ऐसा कानून बना दें जिससे उन किसानों से उस ड्योढ़ा का ड्योढ़ा वसूल न हो सके। अगर ऐसा होगा तो किसान बरबाद हो जायेगा क्योंकि पिछले साल गल्ला सड़ गया था और इस साल उससे ड्योढ़े का ड्योढ़ा वसूल किया गया तो वह पूरी तरह बरबाद हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं रियासत भाई के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आज कई दिन से बहस हो रहा है और कितने ही माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। आज हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या अन एम्पलायमेंट यानि बेरोजगारी की है और उससे भी शीघ्रता से हल किये जाने वाली समस्या है महंगाई। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जिस रफ्तार से गरीबी हटाने का नारा लग रहा है, उन दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। यदि कुछ लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, तो उसके मुकाबले महंगाई बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ हमारे जो फूडग्रेन्स हैं, अन्न के दाम हैं और जो औद्योगिक उत्पादन की वस्तुएं हैं, उनके दाम में कोई पैरिटी नहीं है और न कोई मुकाबला, जिसके कारण किसान वर्ग जो सबसे अधिक संख्या में हमारे देश में तो है ही, प्रदेश में बहुत भारी संख्या में है, उसकी आर्थिक समस्याओं के समाधान का कोई स्वरूप नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई का एक उदाहरण इस बात से मिलता है कि विधान सभा में रामगंगा परियोजना के विषय में प्रश्न पूछा गया था तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस योजना पर शुरू में लागत ७५ करोड़ रुपये की आंकी गई थी, यह एस्टीमेट बना था। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक अरब रुपया हुआ फिर १०९ करोड़ और अब यह बताया गया है कि १२९ करोड़ रुपया उसमें लगेगा और मूल्य वृद्धि का कारण यह बताया गया कि महंगाई इसके अलावा लोहे के दाम, सीमेंट के दाम और उन सभी वस्तुओं के दामों में वृद्धि जिनसे निर्माण कार्य होता है, कारण बताया गया। दूसरा कारण था इनएफिसिएन्सी का। लेकिन सबसे मुख्य कारण महंगाई का था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में महंगाई को रोकने के उपायों पर जिसकी आज प्रमुख आवश्यकता है न तो कोई उल्लेख किया गया है और न तो समस्या के समाधान की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है कि सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है।

दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान के सारे पर्वतीय जिले चाहे वे काश्मीर हो, चाहे हिमांचल प्रदेश हो, मेघालय हो या फिर दूसरा प्रदेश हो वे सभी पहाड़ी यूनिट्स बन गये हैं। छोटे-छोटे स्टेट्स ने प्रगति कर ली है परन्तु दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के जो पर्वतीय जिले हैं वे आज उतनी प्रगति नहीं कर पाये हैं। सन् १९६७ में एक मीटिंग हुई थी जिसमें पर्वतीय विकास परिषद् को बनाने की बात थी। वह बना भी लेकिन वह आज भी बिल्कुल ही मुर्दा हालत में पड़ी है। साल में एक मीटिंग हो जाती है। मन्त्री जी बजट बना देते हैं और हम लोग यस सर कह कर उसको पास कर देते हैं। अभी पिछले दिनों यह घोषणा की गई थी कि एक अलग से पर्वतीय विकास विभाग बनाया जायगा जो सभी चीजों का समन्वय कर सकेगा। योजना के अनुरूप वहां पर कार्य संचालित करवा सकेगा। अभी आज सबेरे ही मुख्य मन्त्री जी ने यह बताया कि एक राज्य मन्त्री को उसका कार्य सौंपा गया है परन्तु यह नहीं बताया कि इस पर किस प्रकार से कार्य किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से और सामाजिक स्थिति के हिसाब से हमारे उत्तर प्रदेश की प्लानिंग जो है, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि पहाड़ों पर कोई काम हुआ ही नहीं है, या उस पर कुछ व्यय ही नहीं किया गया है, लेकिन वहां के हिसाब से जो उसका लाभ मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया है, जो उत्पादन होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है। हिमांचल प्रदेश को देख लें। वहां पर ५० से ६० प्रतिशत रुपया रोड्स कम्युनिकेशन पर व्यय किया गया है। यहां पर तो यह हो रहा है कि जिस प्रकार से आपने मैदानी भाग के लिये रख दिया उसी प्रकार से पहाड़ों के लिये भी रख दिया। वहां पर अगर वर्षा हो जाय तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को आ ही नहीं सकते हैं। जो रुपया दिया भी गया और जिसके बारे में मैंने बराबर कहा कि इस धन को वहां पर खर्च किया जाय, पहाड़ों के लिये प्लानिंग अलग होनी चाहिये पर वह नहीं हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने ६ ट्रैक्टर्स मैनपुरी को दिये तो ६ चमोली को भी दे दिये । आपको यह तो देखना ही है कि उन ट्रैक्टर्स का कहां पर उपयोग हो सकता है । हमारे अधिकारी और अधिकांश मन्त्री यह भी नहीं जानते हैं कि फलां स्थान कहां और कैसा है । यहां पर पुस्तकों तक में इन जिलों के बारे में गलत सूचना दे दी जाती है । शिवानन्द नौटियाल, मेहरबान सिंह और चन्द्र मोहन सिंह नेगी को पौड़ी और गढ़वाल दो जिलों का मान कर दिखाया है । शासन को इसकी जानकारी मालूम होता है कि नहीं है । इसका कारण यह है क बहुत से मन्त्रियों ने अभी भी बहुत से इलाकों को नहीं देखा है और जब देखा नहीं है तो न्याय कैसे मिल सकता है ।

अभी दो साल पूर्व सन् ६८ में जब यहां पर राष्ट्रपति शासन था उस समय श्री राज्यपाल बी० गोपाल रेड्डी ने पहाड़ों के विकास के लिये कहा था । इतने दिन बीत गये हैं लेकिन उस दिशा में अभी तक कोई काय नहीं किया गया है । कोई रीजनल आफिसेज नहीं खोले गये हैं । जब बार बार कहा तो एक आध भेजने की बात की जाती है लेकिन वह भी दबे हुए मन से माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस ओर उल्लेख होना चाहये था ।

यह सरकार यह नारा लगायी है कि गरीबों को उठाना चाहते हैं और पिछड़े जिलों को उठाना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हर बजट भाषण में, हर राज्यपाल अभिभाषण में यह बार बार दुहाई दी जाती है कि बुन्देलखण्ड के ४ जिले, पूर्वी उ० प्र० के १५ जिले और पहाड़ के ८ जिलों के लिये ज्यादा रुपया रक्खा जाता है । लेकिन आप चौथी पंचवर्षीय योजना को उठा कर देखिये । उत्तर प्रदेश में ५४ जिले हैं और बुन्देलखण्ट के ४ जिले, पूर्वी उत्तर प्रदेश के १५ जिले और पहाड़ के ८ जिले मिलाकर २७ जिले होते हैं जोकि पूरे जिलों का आधा है । प्रदेश के बजट का आधा भाग इन २७ जिलों पर व्यय नहीं किया जाता है । हमें तोड़ मोड़ कर समझा दिया जाता है कि इन पर ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है । बाकी २७ जिलों को जो रुपया मिलता है वह बहुत अधिक । इसकी जानकारी मैं माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं, वह कर लें ।

इसके साथ ही कई और बातें हैं । जैसे कि हमारा वनों से बहुत ताल्लुक है और हर जिले में ५० से ६० प्रतिशत फारेस्ट्स हैं । १४ प्रतिशत कृषि की भूमि है । सारा इलाका जंगलों से ढका हुआ है । हमारा रोजमर्रा का काम उनसे पड़ता है । लेकिन आज यह दिक्कत होती है कि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से हमको हमारे डिग्री कालेज के लिये कोटद्वारा में जमीन नहीं मिल रही है । वहां क्लासेस भी चलने लगे हैं लेकिन जमीन का पता नहीं है । सरकार १८, १८ एकड़ महेश योगी और कलाशानन्द को जमीन देती है लेकिन जहां गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे उनके लिये जमीन का इंतजाम नहीं है ।

मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कन्जरवेटर शिवालिक सर्किल से मिला था तो उन्होंने कहा था कि अगर डिग्री कालज बन गया तो हमारे फारेस्ट रेस्ट हाउस का क्या होगा ? इस तरह का दृष्टिकोण शासन और उसके अधिकारी अपनाते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है । कोई भी सरकार रही हो । कुछ बुराई इधर से की गई है और कुछ बुराई उधर से की गई है । सरकार की नीति और उसूल न पहले गलत थे और न अब गलत हैं लेकिन उनका पालन कहां हो रहा है । उधर के सदस्यों ने कहा है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोगों के काम नहीं होते हैं । यह भी शिकायत है कि जो रुपया दिया जाता है वह सही खर्च नहीं होता है । अक्सर जो रुपया मिलता है वह साल भर के बाद लैप्स हो जाता है । प्रदेशीय स्तर पर और जिला स्तर पर शासन को जो रुपया मिलता है वह खर्च होना चाहिये और आप को तो स्टेबुल गवर्नमन्ट है इसमें इफीशन्सी आनी चाहिये । जो आपको पैसा मिले उसको खर्च करने की जरूरत है ।

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी]

आज सुबह श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी कह रहे थे तो तकलीफ हो रही थी लेकिन यह सही है कि हमारी सरकार चरित्र हनन के स्कूल खोल रही है और दिल्ली से प्रोफेसर्स बुलाये जाते हैं जिससे लोगों को डीमोरेलाइज किया जा सके। आप हमारा आर्थिक निर्माण कर रहे हैं लेकिन जब चरित्र बिगड़ जावेगा तो क्या रह जावेगा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा शासन से अपील करना चाहता हूं कि शासन का यह भी दायित्व होता है कि चरित्र निर्माण हो। तो जब यूनिवर्सिटीज का बिल आये तो इनके एम्स एण्ड आबजेक्ट में रख दिया जाय कि चरित्र निर्माण करना भी यूनिवर्सिटीज का काम होगा। दारुलसफा के किनारे नारे लगाये जा रहे थे कि 'सावधान रहें विधायकों के खरीदारों से'। यह शर्म की चीज है। यह नहीं होना चाहिये। हमारी आने वाली पीढ़ियां जब इन बातों को सुनेंगी तो उन पर क्या असर पड़ेगा।

इसके बाद अब पहाड़ों पर सड़कों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी सड़कों में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन पर पुल नहीं है और बरसात के दिनों में छोटे-छोटे बच्चों को काफी घूम कर अपने स्कूल आदि जाना पड़ता है। मैं उनके लिये रेल की बात नहीं कहता हूं मोटर की बात नहीं करता, हवाई जहाज की बात नहीं करता। उनके लिये ये कम से कम पुल बनवा दिये जाये, जो गरीबों के काम में आते हैं। पौड़ी-गढ़वाल में कम से कम १०० पुलों की मांग है लेकिन ३-४ साल से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सड़कें बन गयीं। लेकिन उनसे कुछ लोगों का फायदा हुआ। गरीब लोगों के हित का विशेष ध्यान होना चाहिये।

केश प्रोग्राम में छोटी-छोटी स्कीमें लें। जिस वर्ग का आप नारा लगाते हैं, अगर ऐसा करेंगे, तो उनका हित होगा।

इसके अलावा आज ब्रिटिश जमाने का वही पुराना तरीका चला आ रहा है। फारेस्ट डिपार्टमेन्ट में कंजर वेटर होता है वह डी० एफ० ओ० के ऊपर होता है। वह जिस दिन दौरे पर जाते हैं, तो पूरी ट्रक उनके साथ जाती है। पहले ब्रिटिश जमाने में हुआ करता था जब कि तम्बू आदि ट्रक में जाते थे। वही परम्परा आज भी चल रही है। तो यह सुपरफ्लुअस खर्च सरकार क्यों कम नहीं करती है।

मुझे यह भी पता चला है कि जिन दफ्तरों में बिजली के पंखे लग गये हैं, वहां आज भी हाथ से चलने वाले पंखों के लिये पंखा कुली का पद दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि आज शासन की मजबूत व्यवस्था है। आज इन बातों की ओर ध्यान दिया जाय और फिजूलखर्ची की जो पुरानी परम्पराएं हैं, उनको हटाया जाय और जहां खर्चे की आवश्यकता है, उसे बढ़ाया जाय और उसका सही स्तेमाल किया जाय। मान्यवर, मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे काम, हमारा आचरण और हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिये कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का चरित्र निर्माण हो और हमारे आर्थिक विकास के लिये जो भी सम्भव साधन हैं, उनका सही उपयोग हो। यह सब कुछ आयेगा, आप और हम लोगों के करने से। इसमें कोई दल की बात नहीं है। यह सब सोचने का विषय है। इस पर विचार होना चाहिये। मुझे दुःख है कि बहुत सी मुख्य बातों को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में छोड़ दिया गया है।

जहां तक अस्पतालों का सवाल है, हमारे जिलें में अस्पतालों की बहुत कमी है। किन्तु जो भी हैं, उनमें डाक्टर और कम्पाउण्डर का पता नहीं रहता है। मकान है, दिया है और सभी प्रबन्ध है, किन्तु उनको देखने वाला कोई नहीं है और मरीज बिना देखरेख पड़े रहते हैं।

इस तरह से बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं जिनको यदि सुन्दर ढंग से व्यवस्थित किया जाय तो हम अपने मौजूदा बजट से अपने सीमित साधनों द्वारा ही गरीबों की तमाम मुसीबतों को दूर कर सकते हैं।

*श्री रामपाल सिंह (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप सब जानते हैं इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कृषि के विकास के लिये बहुत सी बातें कही गयी हैं, मुझे उसकी प्रसन्नता है मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी करनी बाकी हैं। पिछले वर्ष मौसम की खराबी के कारण लाखों मन गल्ला सड़ गया। आज जरूरत इस बात की है कि किसानों को आधुनिक उपकरण जैसे थ्रेशर आदि उपरकण हैं वह दिये जायें। जब खेती की तरक्की होगी तभी प्रदेश का विकास होगा। आप सीलिंग ला रहे हैं यह बड़ी अच्छी बात है। देहात के साथ-साथ शहरी सम्पत्ति की भी सीलिंग होना चाहिये क्योंकि शहरों में जहां एक तरफ लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं, दूसरी ओर करोड़पति लोग भी हैं जिनके बंगले हैं, कार हैं, नौकर हैं, हर तरह का आराम है।

जहां तक देहात की सीलिंग का प्रश्न है, आप १८ या बीस एकड़ की सीलिंग अगर लायें तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा यह देखना चाहिये। ४–६ वर्षों के बाद जिस किसान के ४–६ बच्चे होंगे तो एक बच्चे के पास दो तीन एकड़ जमीन यदि हो गई तो उस जमीन में वह कोई भी आधुनिक उपकरण नहीं लगा सकगा जिसका प्रभाव खेती की तरक्की पर अवश्य पड़ेगा। इसलिये कोई कदम उठाने से पूर्व आप को यह भी सोच लेना चाहिये कि उसका उलटा प्रभाव खेती की उपज पर न पड़े।

एग्रो इन्डिस्ट्रियल कारपोरेशन के द्वारा जो जगह-जगह सर्विस स्टेशन्स कायम किये गये हैं वे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। हर १०–१५ गांव क बीच आप को सर्विस स्टेशन कायम करना चाहिये।

किसानों को मिलने वाला लोन का तरीका भी ठीक नहीं है। कामर्शियल बैंक उनको पर्याप्त मात्रा में लोन नहीं दे पा रही है। इसलिये उनको लोन लैंड डेवलपमेन्ट बैंक से मिलता है। किसान को जो कर्जा मिलता है वह बड़ी मुसीबत से और काफी दौड़ने भागने पर मिलता है। फिर जो चेक देते हैं वह कम्पनी के नाम काट देते हैं। कई मिसाल ऐसी हैं कि जहां कम्पनी वाले चेक लेकर भाग गये, रुपया काश्तकारों को नहीं मिला और बाद में वह रुपया किसानों से ही किश्तों में वसूल होता रहा। इसलिये आप सीधा सीधा चेक किसान को ही दीजिये ओपिन मार्केट से जब सामान खरीदेगा तो उसे सामान भी सस्ता मिल जायगा। इसलिये इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

खाद पर जो टैक्स लगा है वह माफ होना चाहिये। प्रदेश की सरकार को चाहिये कि वह केन्द्र से कहे कि इस टैक्स को माफ किया जाय। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र आया है एक विलेज निधि कायम की गई है। विलेज डेवलपमेन्ट फण्ड स्थापित किया गया है, यह किसी भी प्रदेश या देश की तरक्की के लिये आवश्यक है। देश की तरक्की के लिये सड़कें और बिजली आदि आवश्यक हैं और इन सबके लिये धन चाहिये। लेकिन कुछ ऐसी मदें हैं सवा छः एकड़ तक का लगान माफ किया गया है। इस सम्बन्ध में लोगों में आशंका है। हमारे पश्चिम में लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी जमीन तो नहीं चली जाएगी। इससे १२–१३ करोड़ रुपये के आय की आपको हानि हुई है और दूसरी तरफ लोगों को परेशानी है, शंकाग्रस्त हैं कि कहीं उनकी जमीन न चली जाए। इसलिये अच्छा हो कि उसे फिर चालू करके उससे प्राप्त धनराशि से ग्राम विकास निधि कायम कर ली जाए। हमारा विचार है कि यदि इस विषय पर जनमत लिया जाय तो लोग इसी पक्ष में होंगे कि सवा छः एकड़ जोतों के लगान माफी की आवश्यकता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामपाल सिंह]

शहरों में जो व्यापार होता है, लेन-देन और क्रय-विक्रय होता है उसके लिये दो प्रकार के खाते नं० १ और दो रखे जाते हैं। अधिकांश काम बोगस होता है और इससे टैक्सों की भारी चोरी होती है। इसके फलस्वरूप सरकार को मुश्किल से १० प्रतिशत टैक्स मिल पाता है और ९० परसेन्ट टैक्स चोरों और पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है। आप ग्राम निधि के साथ-साथ अर्बन निधि भी कायम कर सकते हैं। इससे बड़ा फायदा हो सकता है।

जूनियर स्कूल तक की शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का जो सवाल है वह एक बहुत अच्छी बात है। अब तक जिला परिषदों का सारा समय अध्यापकों के ट्रांसफर करने और तत्सम्बन्धी कार्यवाही करने में ही बीत जाता था और सारे के सारे अन्य कार्य कृषि और सोशल वेल्फयर के काम यों ही पड़े रह जाते थे। यह मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी, इसको करने के लिये सरकार धन्य वाद की पात्र है। लेकिन इसे सावधानी से करना चाहिये। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिला परिषद् के अध्यक्ष जिन दोषों के लिये बदनाम थे, जिला परिषदों डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथों में चले जाने से डिस्ट्रिक्स मैजिस्ट्रेट में भी उनसे अछूत नहीं रहे हैं। आज भी उनमें बड़ा गोल-माल है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के ट्रांसफर आदि की भी समस्या है। उन्हें अच्छा वेतन दिया जाए और उन्हें अपने दर से बहुत दूर न पोस्ट किया जाए जिससे वे अल्पवेतन भोगी अपना जीवन-यापन ठीक से कर पाएं।

ट्रांसपोर्ट का जो बस परमिट का मामला था, इसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त था। मैं इसे कहना नहीं चाहता था कि इसके अन्दर कमिश्नर तक जो आर० टी० ए० में थे वे भी इन्वाल्वड हैं। आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी तक इस भ्रष्टाचार में डूब हुए थे। अब यह भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है।

अंग्रेजी शराब के लाइसेन्स की बात कही जाती है, उसकी भी बहुत दिनों से मांग है, उसका फ्री सेल होना चाहिये। नेता लोग इसके लिये बदनाम हैं कि उनका काम ही क्या, बस बस परमिट और शराब का लाइसेन्स ले लिया कमाने खाने का सहारा हो गया। इसलिये सरकार को कदम उठाना चाहिये और वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करना चाहिये।

हरिजनों का जहां तक सवाल है, उनके बच्चों के लिये वजीफा और फीस माफी की जो सुविधा है वह ठीक है, लेकिन बाकी जो उनको मिलने वाले ग्रान्ट्स हैं जैसे मकान या सिलाई मशीन के लिये या अन्य प्रकार के, उसमें बड़ी बेईमानी है और मैं समझता हूं आधा तिहाई लोग बीच में खा जाते हैं, चाहे कर्मचारी हों या दूसरे लोग हों वह ग्रांट इस तरह से देकर उद्योग धंधा खोल दिया जाय। भले ही उसमें हरिजन भाइयों को मुलाजमत में रखा जाय, तो सुन्दर बात होगी।

बिल्डिंग साइट्स के लिये एक अध्यादेश निकला था कि हरिजनों को जहां गांवों में रहने की कठिनाई है, उनको जमीन दी जा सके। उसके लिये कोई गांव भूमि व्यवस्था जांच समिति भी बनाने का उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में है। उसका भी कोई प्रैक्टिलकल फायदा नहीं हुआ है। सरकार उसको देखे। उसको अच्छी तरह से क्रियान्वित करे। कमेटी तो गठित हो गयी है। मन्त्री जी स्वयं जाकर देखें और मन्त्री की हैसियत से नहीं एक आर्डिनरी आदमी की हैसियत से सीक्रेट दौरा करें तो हरिजनों को को जो दिक्कतें हैं उससे अधिक असलियत मालूम हो सकेगी।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं। हमें इस बात को दुख से स्वीकार करना चाहिये कि मैजिस्ट्रटों, क्लास वन आफिसर्स और दूसरे अधिकारियों का बहुत होगा तो दूसरी जगह तब्दील कर दिया जायगा और कुछ होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार की ओर सभी का ध्यान जाना चाहिय, सभी का उसको मिटाने में सहयोग मिलना चाहिय। भ्रष्टाचार अधिकारियों को ऐसा सजा दी जाय कि दूसरे लोगों को बढ़ावा न मिले।

अन्त में, ब्रिज कारपोरेशन के जरिये से बिजनौर जिले को मुजफ्फरनगर को जोड़ने के लिये, जिससे गढ़वाल को भी फायदा पहुंचेगा, और बिजनौर को भी फायदा पहुंचेगा, जो एक करोड़ रुपया का सुझाव दिया है, निकट भविष्य में जो बनाने वाले हैं, उसके लिये मैं बहुत आभारी हूं जो ब्रिज कारपोरेशन के जरिये से एक पुल बनाएंगे। इन चन्द शब्दों के साथ में रियासत भाई के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित किया है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् जी, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पहले पाकिस्तान के साथ संग्राम और बंगाल देश के अभ्युदय की चर्चा करने के बाद पहली बात उन्होंने खेती की लिखी है। किसानों को खेती की उपज का ठीक दाम देने की व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है। उनका कहना है कि यह जो गल्ले की खरीद होती है उसके पीछे दो उद्देश्य हैं एक तो ठीक दाम पर गल्ला खाने को मिल सके। दूसरे किसानों को अपनी उपज का ठीक दाम दिलाया जा सके। और उनको शोषण से बचाया जा सके जिससे उनका खेती की उपज बढ़ाने में उत्साह बना रहे।

मेरा कहना है कि राज्यपाल महोदय ने यह बात कहते हुए उस बात पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया। इस सरकार की नीति सचमुच किसान विरोधी है और गवर्नर साहब उसके खिलाफ कहना चाहते हैं। किसान की उपज का क्या मूल्य हो इसके बारे में हर साल सरकार की यह कोशिश होती है कि दाम कुछ न कुछ गिर जाय। दाम जो निर्धारित करना चाहते हैं उसके लिये कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। अगर वैज्ञानिक आधार होता तो इस तरह से हर साल उसका मूल्य घटाने का प्रयास न होता। सन् ७०-७१ में ७२ से ७६ रुपये तक पर क्विंटल गेहूं के दाम रखे गये थे। ७१-७२ में सरकार उसे कम करना चाहती थी लेकिन बहुत प्रयास के बाद सरकार इस बात के लिये राजी हो गयी और पिछले साल वाले ही दाम रह गये। उस साल एग्रिकल्चर प्राइस कमीशन ने जो सिफारिश की है उसके अनुसार सरकार गल्ले का दाम कम करेगी और ६६ रुपये क्विंटल पर लेगी। मैं कहता हूं कि इसके लिये आधार क्या है? क्या इसी तरह से मानमानी की जायगी। और चीजों के दाम नियत करने में उनका खर्चा देखा जाता, कास्ट प्राइस देखी जाती है लेकिन वह नियम गल्ले के साथ नहीं बरता जाता। गल्ले का मूल्य निर्धारित करने में गल्ले की पैदावार पर जो खर्चा होता है उसको क्यों नहीं सरकार ध्यान में रखती और अगर ध्यान में रखती तो फिर गल्ले का दाम हर साल कम करने की कोशिश न की जाती।

आप देखेंगे कि इस साल केन्द्रीय सरकार ने एक तरफ विद्युत् चालित जो हमारे पंपिंग सेट्स हैं उन पर टैक्स लगा दिया। फर्टीलाइजर पर पहले से ही केन्द्र की सरकार का टक्स लगा हुआ था, उस पर ५ फीसदी और बढ़ा दिया और नीति सरकार की यह है कि किसान का उत्साह गल्लेकी पैदावार बढ़ाने में कम न होने पाये तब भी भूमि विकास कर १० करोड़ रुपये यह सरकार लगा रही है। इससे उत्साह कम होगा या बढ़ेगा? खेती की उपज के अलावा जितनी अन्य चीजें प्रयोग की जाती हैं खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिये उन सब पर दाम बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। लोहे तथा सीमेंट के दाम बराबर बढ़ रहे हैं। इधर मिट्टी के तेल के दाम भी बढ़ा दिये गये और किसान अपनी जिन्दगी की रोजाना की जरूरियात की जितनी चीजें खरीदता है उन सबके दाम बढ़ गये हैं। मसाले के दाम बढ़े, बीड़ी सिगरेट के दाम भी बढ़े। प्राइस इंडेक्स बढ़ता है तो सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा लेकिन किसान का क्या होगा? अब अगर किसान की पैदावार का जो खर्चा बढ़ रहा है उसको दृष्टि में रख कर गल्ले के दाम निर्धारित किये जायें तो उसको संतोष हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं सोचा जाता है और गल्ले के दाम हर साल कम करने के प्रयास किये जाते हैं। इससे किसान कैसे उत्साहित होगा

[श्री जयराम वर्मा]
अपनी उपज बढ़ाने क लिये । आज जरूरत इस बात की है कि किसान को प्रोत्साहन मिलना चाहिय, हमारे देश में गल्ले की कमी किसी तरह नहीं रहनी चाहिये, जितनी भी देश को गल्ले की जरूरत है वह सब हम पदा करें और हमारा देश किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहे ।

राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि लड़ाई के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर आ गयी है । विदेशों के ऊपर जो निर्भर है वह कम की जाय । क्या इसी तरह से निर्भरता कम की जायगी अगर किसान को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ? उसका जोश काथम नहीं रहेगा पदावार बढ़ाने में तो मामला क्या हो ? मामला बिगड़ जायगा ।

माननीय रियासत हुसन साहब कह रहे थे कि पिछले साल जो पैदावार हुई थी उससे इस साल पैदावार बढ़ रही है । पिछले साल कुल १९३ लाख टन की पैदावार हुई थी । किन्तु मैं कहता हूं कि पैदावार इस साल बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है । १९३ लाख टन से इस साल पदावार कम हो जायगी । उसका कारण जाहिर है कि पिछले साल किसानों के ऊपर ऐसी दवी आपत्ति आई जिसको कि किसान कभी याद भी नहीं कर सकता था । जब रबी की फसल कट कर खलिहानों म पहुंची तो बारिश शुरू हो गई और ज्यादातर किसान अपनी फसल के अनाज को घर नहीं ले जा के वह खलिहान में ही पड़ी सड़ती ही रह गई । उनका अनाज भीग गया और किसान को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा । कुछ तो भीगा हुआ गल्ला ही अपने घर ले गये ।

एक परेशानी तो उनके ऊपर थी ही कि जो उनका गल्ला पैदा हुआ था वह उसे घर नहीं ले जा सके और दूसरी आपत्ति उनके सामने यह आई कि सरकार ने उनके गल्ले का दाम ७२ रु० से ७६ रुपया मुकर्रर कर दिया । उससे किसान की हालत बहुत ही दयनीय हो गई । जब वह अपने अनाज को बाजार में सरकारी खरीद की दुकान पर बेचने के लिये गया तो उससे कह दिया गया कि तुम्हारा गल्ला खरीदने के लायक नहीं है तो बेचारा किसान कहां जाय, कहां उस गसले को बाजार में रखे, वह क्यों करे । मजबूर होकर उसे उस गल्ले को सस्ते दाम पर बेचना पड़ा । जिससे गल्ले का जो उसको ७४ रुपया मिलना चाहिय था उसका उसे केवल ६० रुपया मिला । तब इन व्यापारियों ने इस ६० रुपये में लिये हुए गेहूं को ७४-७६ रु० के हिसाब से बेचा । इस तरह से व्यापारियों और एजटों की साजिस थी । उसे न्याय नहीं मिला, उसकी बरबादी हुई ।

इस सम्बन्ध में इतनी कोशिशें की गई कि किसान की रक्षा की जाय ताकि उसको उसके गल्ले का उचित मूल्य मिल सके और उसे सही दाम दिलाये जा सकें किन्तु सरकार उनको ठीक दाम दिलाने में असफल रही । किसान का दिल दहल जाता है जब वह देखता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है । उसको तकलीफ होती है । इस विषय में राज्यपाल महोदय को इन किसानों को आश्वस्त करना चाहिये था कि हमारी सरकारी मशीनरी ऐसी होगी कि जो दाम मुकर्रर किये जायेंगे उसी के अनुसार उनको उसका मूल्य मिलेगा । ऐसा आश्वासन राज्यपाल महोदय को देना चाहिये था जो कि नहीं दिया गया । किसान सोचता है कि इस साल गल्ले की खरीद होगी और उसके गल्ले का दाम घटने वाला है तो उसके दिल में डर पैदा होगी । इस साल गेहूं और धान उन जगहों पर अच्छा हो सकता है जहां पर कि बाढ़ न आई हो ।

किन्तु गेहूं और धान की केवल पैदावार से ही काम चलने वाला नहीं है । यदि इसी तरह से किसान के साथ बरताव किया गया तो उसका उत्साह और जोश पैदावार बढ़ाने में कम हो जायगा फलस्वरूप गल्ले की पैदावार बढ़ने से जो हम उम्मीद करते हैं कि हम उसमें आत्मनिर्भर हो जायेंगे, हम किसी क सामने हाथ नहीं फैलायेंगे. वह नहीं हो सकता है । इसलिये इस बात को देखना चाहिय कि किसान का उत्साह कम न होने पाए और इस प्रदेशीय सरकार को कन्द्रीय

सरकार से मांग करनी चाहिये कि जो गल्ले के दाम घटाने की बात सोच रहे हैं उसके साथ ही उनके खर्चे के बारे में भी विचार कर लेना चाहिये और यह निश्चित कर लेना चाहिये कि गेहूं का दाम क्या रखा जाय। जिससे किसान की गरीबी दूर हो। यह इसलिये कहना पड़ा कि पिछले साल गन्ने की कीमत कम की गयी। बहुत कोशिश की गयी कि कीमत न घटे। किसान मजबूर हो गया कि जिस गन्ने के पैदा करने से उसको कोई लाभ नहीं होता तो अपनी जरूरत भर का पैदा करेंगे। उसका परिणाम इस साल यह हो गया कि गन्ने की फसल कम हुई, रकबा घट गया, पैदावार घट गयी और परेशानी पैदा हो गयी। राज्यपाल जी ने कहा कि उसको उचित दाम दिलाने की कोशिश है तो सचमुच उचित मूल्य दिलाया जाना चाहिये, इससे उसको जोश रहे, लफ्जों से काम नहीं चलने वाला है।

एक ज्यादती और होती है कि सान से गन्ना खरीद लिया गया और गन्ने की कीमत के आधार पर शकर के दाम मुकर्रर हो गये। लेकिन उसके बाद फिर चीनी का दाम बढ़ता है, सरकार उसको रोकती नहीं। इसी साल शकर का दाम इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ३ रुपये से ऊपर, ४ रुपया तक पहुंच गया है। तो यह मुनाफा किसको होता है। मेहनत करता है किसान, उसको कुछ नहीं मिलता और सारा मुनाफा व्यापारी को जाता जो केवल खरीद करके बेच रहा है। इस मुनाफे में किसान का हिस्सा होना चाहिये। या अगर वही दाम उचित हो तो उसी हिसाब से जो दाम हो उसी पर सरकार उपभोक्ता को दे और शकर के दाम बढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिये, लेकिन बढ़ रहा है। कोई फिक्र नहीं है। इससे किसान के दिल में आशंका पैदा हो रही है कि आखिर उसके साथ यह अन्याय क्यों है? वह सोचता है कि जो संगठित तबके हैं वे अपनी बात करा लेते हैं, उनकी आवाज सरकार तक पहुंच जाती है, हम संगठित नहीं हैं इसलिये हमारी आवाज नहीं पहुंचती जबकि हमारी तादाद ७८ फीसदी है।

इसके माने यह नहीं है कि उपभोक्ता को ज्यादा दाम देने पड़ें, वह महंगी चीज खरीदे। सबके साथ न्याय होना चाहिये। अगर गल्ले का दाम कम होता है तो जितनी चीजें किसान खरीदता है उसी निस्बत से उनके दाम कम होने चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह जो चीजें खरीदता है वह महंगी होती जा रही हैं। यह अन्याय बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। जब किसान का कोई सहारा नहीं होगा तो उसको और इन्तजाम करना होगा। उपभोक्ता को आप सस्ते दामों पर दीजिये और ३० परसेन्ट जो ओवर हेड चार्जेज लेते हैं वह न कीजिये या जो और रियायत करना चाहते हों वह कीजिये। आखिर जब बाहर से गल्ला मंगाने में इतना खर्चा सरकार का होता था, अगर इस देश में सब चीजें पूरी होती हैं तो उसके लिये सरकार को कुछ खर्चा करना पड़े तो क्या दिक्कत है सरकार को इसमें क्या एतराज होना चाहिये।

एक बात है कि खेती कितनी ही अच्छी हो जाय और उसकी ज्यादा पैदावार से यह देश धनी हो जाय यह कभी संभव नहीं है। खेती से खाने पीने का इंतजाम हो सकता है। लेकिन अगर देश को खुशहाल बनाना है, देश को समृद्धशाली बनाना है तो देश म उद्योग धंधे बढ़ाने चाहिये। खेती पर कम लोग निर्भर हों। यह ऐसा पेशा है जिसमें सब से कम आमदनी होती है। जिस देश में कम आमदनी करने वाले पेशे में ज्यादा लोग होंगे वह देश गरीब होगा। हमारे देश में खेती करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिये यह गरीब जिनमें खेती करने वालों की संख्या कम है वे देश अमीर हैं। किसी देश की गरीबी और अमीरी यह देखकर बताई जा सकती है कि इस देश में खेती करने वाले लोग कितने हैं। यह इसकी पहचान है।

हमारे देश में यह करना होगा कि कम आमदनी वाले पेशे को कम लोग करें। इधर उधर दूसरी तरफ लोग जायं। उधर जायं जिधर ज्यादा आमदनी हो। अगर गांव-गांव में बिजली हो जाये, अच्छी सड़कें हो जायं और उद्योग-धंधे खुल जायं तो देश की आमदनी ज्यादा हो जायगी। यह जरूरी नहीं कि सरकार ही उद्योग-धंधे खोले बल्कि जिसके पास पैसा है वह खोल लगा और जब उसकी आमदनी ज्यादा होगी तो लोग खुशी से उधर जाना चाहेंगे। हमारे

[श्री जयराम वर्मा]

देश की अपार जनसंख्या है इसको बड़े-बड़े उद्योग धंधों से काम नहीं दिया जा सकता है। सबको काम खेती से नहीं दिया जा सकता है, फैक्टरी से नहीं दिया जा सकता है, फैक्टरी में काम के घंटे कम करने से सबको काम नहीं दिया जा सकता है बल्कि छोटे उद्योग धंधे खोलने होंगे और बड़ी तादाद में खोलने होंगे। हमारे देश में पैसे की कमी है इसलिये उद्योग धंधों में पैसे का उपयोग इस तरह से होना चाहिये कि धन की फी इकाई से ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। यह सिद्धांत तभी ठीक होगा जब देश में छोटे छोटे उद्योग धन्धे खोले जायं। जितना रुपया एक बड़े कारखाने में लगता है उतना ही अगर छोटे-छोटे उद्योगों में लगाया जाय तो उनकी ज्यादा पैदावार होगी और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। बड़े कारखाने की बनिस्बत कई गुना ज्यादा होगा।

टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी ने कपड़े के मामले में अध्ययन किया था कि अगर कपड़ा हैंड-लूम से बनाया जाय जितना मिलों में बनता है तो जितने आदमी मिलों में लगे हुए हैं उससे बीस गुने आदमियों को काम मिलेगा। टेक्सटाइल उद्योग में इस समय ९ लाख आदमी लगे हुए हैं तो हैंडलूम से बनाने पर १८,००,००० लोग काम में लग जायेंगे और पावर लूम से पांच गुनों को काम मिलेगा। एक्सपर्टस की यही राय है कि छोटे उद्योग धंधों से ज्यादा आदमियों को काम मिलता है और पैदावार भी ज्यादा होती है जो बेकारी को दूर करने का नारा है वह काम नारे से होने वाला नहीं है। वह काम तब होगा जब उसके लिये लगातार मेहनत की जायगी। पक्का निश्चय करके ही वह काम हो सकता है और उसके लिये एक ही रास्ता है जो गांधी जी ने बताया है--छोटे उद्योग-धन्धे।

हमारे देश में जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या हो वहां पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाए इसके कि छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को बहुत बड़ी तादाद में पनपाएं। छोटे-छोटे उद्योग धन्धों से ही लोगों को काम मिल सकता है वरना जो बेकारी है वह बनी रहेगी। जो कुछ गांधी जी ने कहा था उसकी तरफ हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। गांधी जी की बात तो कहते रहे, गांधी जी का नारा तो लगाते रहे मगर गांधी जी की बातों में विश्वास नहीं किया और उनकी बातों को भुला दिया। बजाए छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को पनपाने के बड़े-बड़े मिलों और बड़ी-बड़ी चीजों की तरफ ध्यान गया। परिणाम यह हुआ कि आजाद होने के बाद भी बेकारी की समस्या बराबर विकराल होती गई और बेकारों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है।

बेकारों की संख्या बराबर बढ़ती ही जाएगी अगर छोटे उद्योग धन्धों को पनपाने का काम हाथ में नहीं लिया गया और उनको पनपाने की कोशिश नहीं की गई तथा इस बात की कोशिश नहीं की गई कि अधिक से अधिक लोग काम में लगें। जब किसान यह देखेगा कि छोटे उद्योगधन्धों में ज्यादा आमदनी होती है तो वह खेती को छोड़ेगा और उद्योग धन्धों में लगेगा। छोटे-छोटे उद्योग धन्धे गांवों में लगेंगे और तब गांवों के लोगों को कलकत्ता और बम्बई नहीं जाना होगा। जो झगड़ा खेती का है वह भी तब नहीं रहेगा।

आज सोचा जा रहा है कि खेती की जमीन कैसे निकले और जो लोग भूमिहीन हैं उनको काम पर कैसे लगाया जाए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह तो करना ही पड़ेगा। जो हदबन्दी का कानून है उसमें तरमीम करके बाद उसको नीचे ला कर जमीन निकालनी होगी और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देनी होगी। लेकिन यह मुस्तकिल हल नहीं है, यह तो एक अस्थायी हल है। मुस्तकिल हल और असली हल तो यही है कि छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे पनपें। अगर छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे कायम हो जायं तो यह जो खेती का झगड़ा है वह झगड़ा अपने आप बन्द हो जाए। जब लोग ज्यादा आदमी के पेशों में लग जायेंगे तो लोग खेती को छोड़ कर उद्योग धन्धों में लग जाएंगे। तब जमीन उन लोगों के पास चली जाएगी जो सचमुच खेती करना चाहते हैं, अपने हाथ से खेती करना चाहते हैं और जिन्हें खेती

करने में रस आता है । जो खेती में रहेंगे उनकी जमीन भी ज्यादा हो जाएगी, इसलिये उनकी हालत में सुधार हो जाएगा । खेती की हालत कितनी ही अच्छी हो जाए लेकिन वह दूसरे पेशों का मुकाबला नहीं कर सकती । उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका में जहां एक किसान के पास ५,००० और ६,००० एकड़ भूमि है वहां पर भी वह यह महसूस करता है कि जितना रुपया खेती में लगता है अगर उतना दूसरे पेशे में लगाया होता तो उससे आमदनी ज्यादा हो सकती थी । वहां पर भी किसान असन्तुष्ट है और वह धीरे-धीरे अपनी खेती छोड़ रहा है । हमारे देश में तो बहुत छोटी खेती है और इतनी छोटी जोत वाले हैं कि वह किसी दूसरे पेशे का मुकाबिला नहीं कर सकते। मेरा कहना यह है कि सरकार ने छोटे उद्योग-धन्धों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने इस समस्या के मूल हल को पकड़ने की कोशिश नहीं की ।

कपड़े का उद्योग-धन्धा हमारे सूबे में सबसे पुराना है और सबसे महत्वपूर्ण उद्योग-धन्धा है । इस उद्योग धन्धे में ३० लाख लोग लगे हुए हैं । पाकिस्तान से लड़ाई खत्म हो जाने के बाद इन बुनकरों पर मुसीबत आ गयी । सूत का दाम बढ़ना शुरू हो गया और उसके दाम बेतहासा बढ़ गये हैं । कपड़े का दाम नहीं बढ़ा, सूत का दाम बढ़ गया है । बुनकरों के लिये जिन्दगी गुजारना मुश्किल हो गया है । उनका काम ठप्प हो गया है । ठीक दाम पर उन्हें सूत नहीं मिल रहा है । पूंजीपति उनकी बेबसी का फायदा उठा रहे हैं । ये तीस लाख बुनकर बेकार और परेशान हैं । उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखलाई दे रहा है । उन्होंने जगह-जगह अपनी मीटिंग की, आन्दोलन किये और यहां भी आये । हाउस में भी एक प्रश्न उठाया गया जिस पर काफी चर्चा हुई ।

मैं तो उस दिन यहां नहीं था लेकिन हमारे मन्त्री जी ने उस पर कुछ नहीं कहा और इधर-उधर की ही कहते रहे । इतना जरूरी मसला और सरकार उस पर ध्यान न दे तो इसके क्या मायने हैं । एक तरफ पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ ये गरीब लोग हैं । आखिर सरकार को क्या करना चाहिये । पूंजीपतियों की हमदर्दी करनी चाहिये या उन गरीब लोगों की जो बेकार हो गये हैं । सिवाय इसके कुछ नहीं हो रहा है कि यह सरकार कह देती है कि केन्द्रीय सरकार जाने और केन्द्रीय सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जाने । एक मीटिंग यहां हुई जिसमें वित्त मन्त्री जी पहुंच गये । अब मैं क्या कहूं । अगर कोई काम न करना हो तो कह दो कि कमीशन मुकर्रर कर देंगे । कमीशन मुकर्रर करेंगे, वह अध्ययन करेगा और फिर कभी अपनी रिपोर्ट देगा, तब तक तो ये लोग खत्म हो जायेंगे ।

मेरी कांस्टीटुएन्सी का हैडक्वार्टर भी बुनकरों का है । मैंने कहा कि क्या बात है । मुझे बतलाया गया कि पूंजीपति लोग कहते हैं कि हमने चन्दा दिया है चुनाव में तो उसे वसूल कहां से करें, इसी तरह से वसूल करेंगे । एक खबर यह उड़ गयी कि चार हजार गांठ बुनकरों को मिल जायगी तो इस पर पूंजीपति लोगों का कहना था कि अगर मान लीजिये इतनी गांठें मिल भी गयीं तो भी तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होगी। जो जरूरत बाकी रहेगी उतना हमसे खरीदोगे और हम उसमें इसका बदला निकाल लेंगे । आज बुनकर बहुत परेशान है । मैं तो पंडित जी से कहूंगा कि इस मसले की तरफ ध्यान दें । यह मसला ऐसा नहीं है जिसको आसानी से टाला जा सके । तीस लाख बुनकरों का मसला है । उनका हल जल्दी निकाला जाना चाहिये ।

(लाल बत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, क्या मेरा समय करीब है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका आधा घंटा हो गया है ।

[श्री जयराम वर्मा]

कुछ और समय दे दिया जाय। मैं कह रहा था कि इस समस्या का हल शीघ्र निकालना चाहिये और उसका तरीका यह है कि या तो उन्हें उसकी जरूरत भर सूत उनसे दिलवाया जाय या फिर जो सूत बनाने वाली मिलें हैं उनका राष्ट्रीयकरण करें। ३० लाख बुनकरों की जिन्दगी का सवाल है। उनको ठीक दाम पर सूत दिलाया जाय।

जितने सूत की उनकी जरूरत है उतना सूत पैदा करने की व्यवस्था की जाय। वे गरीब है उनको रुपया बैंक से, आसानी से कम सूद पर दिलाने की व्यवस्था की जाय। हैन्डलूम और पावर लूम दोनों के लिए यह प्रयत्न किया जाय। वे जो समान बनाये उसके लिए मार्केटिंग का प्रबन्ध किया जाय। इसी प्रकार से उनके मसलों को हल किया जा सकता है और उसके लिए सरकार का ध्यान छोटे उद्योगों की ओर जाना चाहिये।

श्रीमान् जी लोक सभा के चुनाव के समय बेकारी और गरीबी को दूर करने की बात बहुत जोरों से की गयी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एक वर्ष हो गया, बेकारी और गरीबी को दूर करने के लिये क्या इन्तजाम किया गया है, बोझ लोगों के ऊपर और ज्यादा ही बढ़ गया है। इससे काम चलने वाला नहीं है। जहां बैलेट फेअर नहीं होता, वहां तो लोग दूसरा रास्ता अपनाते ही हैं लेकिन अगर बैलेट फेअर हो और उसके परिणामस्वरूप जिनके हाथ में इन्तजाम आया वह अगर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं तो लोगों को फिर बैलेट पर किस प्रकार से विश्वास रह जायगा। वह एक दूसरा ही रास्ता ढूंढने लगेंगे। इसलिये जिनके हाथ में सत्ता आये वे देश के मसलों को हल करने की कोशिश न करें तो भला बैलेट पर विश्वास किस तरह से रह जायगा। इसलिये इन मसलों के बारे में नारों से काम चलने वाला नहीं है उनके लिये तो सत्ताधारी दल को कोई सक्रिय कदम ही उठाना होगा।

गांव का गरीब तबका और हरिजन यह सोचता था कि बड़े लोग की जमीन बटकर उसका हिस्सा हमको मिल जायगा, वह सोच रहा था कि पूंजीपतियों की पूंजी बट कर हमको मिल जायगी, पूंजीपतियों के मकान बंट कर हमको मिल जायेंगे। आपके कहने के अनुसार उनके दिल में ऐसी बात थी। लेकिन उस बारे में कुछ न हुआ। कुछ तो करना ही चाहिये था आपको इस दिशा में। अगर नहीं किया तो चुनावों पर लोगों का विश्वास कैसे रहेगा। और अगर चुनावों पर से लोगों का विश्वास हट गया तो हमारे देश का क्या होगा। इसलिए आपको कुछ करना चाहिये।

हरिजनों के लिये जो उनका रिजरवेशन पूरा नहीं हो रहा है, उसको भी पूरा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये। यही नहीं उसके लिये और भी बहुत से रास्ते खुल सकते हैं अगर आप चाहें तो। फैक्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत जितनी भी प्राइवेट फैक्ट्रीज और मिलें हैं, वहां पर हरिजनों का रिजवेशन अभी नहीं होता। जब सरकारी नौकरियों में उनका रिजरवेशन हो सकता है तो वहां क्यों नहीं हो सकता। इसलिये फैक्टरियों और कारखानों में जो फैक्ट्रीज ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं उनमें जो ऐसे पद हैं जहां टेक्निकल नालेज की जरूरत नहीं है -- क्लर्क अथवा चौथी ग्रेड के कर्मचारी उनमें एक तिहाई रिजरवेशन हरिजनों के लिये हो जाना चाहिये। इसी प्रकार से अगर आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो एक दरवाजा और है। आज शिक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूलों की हो गई है क्योंकि सरकारी स्कूल तो बहुत कम हैं। सरकारी स्कूलों में अगर रिजरवेशन हो सकता है तो प्राइवेट स्कूलों में क्यों नहीं हो पाता। अध्यापकों में एक तिहाई नहीं तो २० फीसदी का रिजरवेशन अवश्य हो जाना चाहिये। इससे उनके अनएम्प्लायमेंट समस्या बहुत हद तक हल हो जायेगी। अगर करना चाहें तो यह रास्ता है और अगर नहीं करना चाहें तो कोई किसी बात की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक दबे हुए समाज के तबके को उपर उठाने की जितनी कोशिश होनी चाहिये उतनी आपको करनी चाहिये।

इसके अलावा हमारे हरिजन भाइयों के अतिरिक्त समाज में एक और दूसरा वर्ग है। जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। जो इतना पिछड़ा तो नहीं है लेकिन वह भी पिछड़ा हुआ है। इस अन्य पिछड़े वर्ग में कुछ जातियां ऐसी हैं जो इस २४–२५ वर्ष की आजादी के जमाने में जो उन से पहले पीछे थे उन से भी वह पीछे हो गये हैं। उन के लिये तमाम कठिनाइयां हैं, उनकी शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, उनके लिये किसी रिजर्वेशन की सुविधा भी नहीं है और वे और अधिक पिछड़ते चले जाते हैं। उनके उद्धार का भी कोई हल निकालना चाहिये।

राष्ट्रपति जी न संविधान के अनुसार २९-१-५३ को एक कमीशन की नियुक्ति की थी, उस ने २ साल तक देश भर का दौरा किया और मार्च सन् ५५ में अपनी रिपोर्ट दी लेकिन सन् ५५ से आज सन् ७२ तक संसद में उस पर पूरी बहस तक नहीं हो सकी। वहां उस पर बहस हो या न हो लेकिन यदि राज्य सरकार उनके लिये कुछ करना ही चाहती है तो उसको यह अधिकार है कि वह कमीशन की सिफारिशों को कार्यान्वित करे। उस कमीशन के चेयरमैन भी कोई मामूली आदमी नहीं थे, काका कालेलकर जो पक्के गांधीवादी थे और जिनकी गांधी विचार धारा थी और जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे वे उसके चेयरमैन रहे। उसकी संस्तुतियों पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसे कमीशन की नियुक्ति से लाभ ही क्या है। यह कमीशन और निगम बनाने की बात अब बहुत होने लगी है, निगमों की अब बहुत चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण में और बजट भाषण में है लेकिन अगर कमीशन का कोई नतीजा ही नहीं निकला तो फिर राष्ट्रपति के कमीशन के नियुक्त करने से लाभ ही क्या हुआ। सरकार को उस की सिफारिश की कोई परवाह ही नहीं। कमीशन की सिफारिश थी कि इस अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी फर्स्ट क्लास सर्विसेज में २५ प्रतिशत, सेकिंड क्लास में ३३ १/३ प्रतिशत और थर्ड और फोर्थ क्लास सर्विसेज में ४० प्रतिशत रिजरवेशन दिया जाय। टेक्निकल टक्नालोजिकल और मेडिकल में तो कमीशन ने खास तौर से अन्य पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन देने की बात कही है। अगर सरकार चाहती है कि यह वर्ग भी ऊपर उठे, वह पिछले २४-२५ साल में उनके लिये अभी तक नहीं रास्ता नहीं निकला है। कुछ लोगों ने कहा कि कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है लेकिन कोई नहीं निकला, उन के लिये बराबरी का न्याय भी नहीं होता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उनके लिये कमीशन की सिफारिशों के अनुसार रिजर्वेशन किया जाय।

इसके लिये अलावा सरकार ने एक बात यह कही और बहुत दिन से चर्चा थी कि जमीन की हदबन्दी का जो कानून है उसमें तरमीम होगी और जो जमीन बचेगा उससे गैर-मुस्तकिल तौर पर उससे हरिजनों और भूमिहीनों की समस्या का हल होगा। हमने सोचा था कि यह सरकार आयेगी तो वह फौरन ऐसा कानून लायेगी लेकिन उस दल के लोगों को शिकायत थी कि इधर के दलों की सरकारें समाजवादी नहीं थीं और उनकी ही सरकार समाजवादी होगी। हम समझते थे कि यह सरकार ऐसा कानून फौरन लायेगी क्योंकि उन का नारा था कि अमीर और गरीब की खाई को जल्द कम किया जायगा, सब को समान अवसर दिया जायगा ऊपर उठने का लेकिन उसके द्वारा वह इन्तजाम अभी तक नहीं किया गया। पता नहीं वह कब होने वाला है।

माननीय रियासत हुसैन साहब कह रहे थे कि बीच में जिन्होंने जमीनों का ट्रांसफर किया है वह बेकार हो जायगा। पता नहीं उन्होंने यह बातें अपनी जिम्मेदारी पर कही थी या मुख्य मन्त्री जी की जिम्मेदारी पर कही थी कि ऐसे सब ट्रान्सफर बेकार हो जायगे। सो उनको इस बात का साफ करके कहना चाहिये कि ट्रान्सफर सचमुच में बेकार हो जायेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री जी को जवाब देना चाहिए कि जब आरम्भ में फैसला हुआ था कि हदबन्दी के कानून में तरमीम होगी तो उसके बाद जो ट्रांसफर हो गये व बेकार हो जायेंगे

[श्री जयराम वर्मा]

या नहीं। तो मुख्य मन्त्री जो स्पष्ट बताना चाहिए कि वह बात चल सकेगी या नहीं। लीगली एक्जामिन कराकर देख लिया जाय और अगर चल जाय तो अच्छी बात होगी लेकिन बहुत हल्केपन से कह देने से नुक्सान होगा। हदबन्दी के कानून में जल्दी से तरमीम करके जो जमीन निकले, वह भूमिहीनों को देनी चाहिये। जितनी देर होगी कानून में डिफिकल्टीज पैदा होती जायेंगी और जो रुकावट डालना चाहते हैं, वह लीगली तो सही नहीं है, लेकिन सब जमीन बेकार हो जायगी और कानून कानून बन कर रह जायगा और ज्यादा भूमि हरिजनों को और भूमिहीनों को नहीं मिल पायेगी। इसमें तरमीम करके बीच के ट्रांसफर्स अगर बेकार हो सकें तो उनको बेकार करना चाहिए।

इसके अलावा शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी की बाबत बहुत समय से सुनते रहे हैं लेकिन इसको टालते जा रहे हैं। उस पर भी जल्दी होनी चाहिये। देर होने से लोगों के दिल में इतमिनान नहीं रहता है। सोचा जाता है कि यह मामला टाला जा रहा है। अगर यह हो जाय और प्रदेश और देश में छोटे उद्योग-धंधे लग जायं तो अमीर और गरीब का जो फर्क है, वह अपने आप से समाप्त हो जायगा।

बीच में जो करप्शन है, लोगों के साथ अन्याय होता है, वह स्वयं दूर हो जायगा। इसको भी करना चाहिए और इसमें देर नहीं करनी चाहिये। सच बात तो यह है कि सरकार इसको करना नहीं चाहती है और इस कारण विश्वास टलता जा रहा है।

इस सिलसिले में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात भी कहूंगा। जब १९७०-७१ में संविद की सरकार थी जिसमें कांग्रेस सरकार भी सम्मिलित थी, उस वक्त इरादा था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। लेकिन उस वक्त कानूनी दिक्कत आ गई जिसके कारण राष्ट्रीयकरण नहीं हो सका। और दिक्कत यह थी कि यद्यपि केन्द्र के एटार्नी जनरल, श्री नीरेन डे, ने यह राय दी थी कि शुगर इंडस्ट्री का भी राष्ट्रीयकरण राज्य सरकार कर सकती है और भारत सरकार तो कर ही सकती है। लेकिन हमारे एडवोकेट जनरल श्री कन्हैयालाल मिश्र की यह राय थी कि एटार्नी जनरल की यह राय सही नहीं है। आप अण्डरटेकिंग को ले सकते हैं, १०, २०, ३० को ले लें लेकिन शुगर इंडस्ट्री को स्टेट गवर्नमेंट नेशनलाइज नहीं कर सकती है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार को फजीते में नहीं पड़ना चाहिये क्योंकि अगर नेशनलाइज कर दिया गया तो मिल मालिक कोर्ट में चले जायेंगे और इन मिलों को न चलाने से किसान मुसीबत में पड़ जायेंगे। और जिसके फायदे की बात की जा रही है उसका नुक्सान हो जायगा। तो सोचा गया कि राज्य सरकार को राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां की सरकार ने यह सुझाव दिया केन्द्रीय सरकार को कि एटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल एक साथ बैठाये जायं और अगर इन दोनों की एक राय हो सकती है तो ठीक है। एक बात में तो दोनों मुतफीक हैं कि भारत सरकार कर सकती है।

भारत सरकार को यह भी सुझाव दिया गया कि या तो वे नेशनलाइज कर दें अन्यथा अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दें। जैसा कि राज्य सरकार ने उनको सुझाव दिया था। लेकिन न भारत सरकार खुद करने को तैयार हुई न पावर डेलीगेट करने को ही तैयार हुई। मजबूर हो गये, काम नहीं हो सका। फिर यहां की सरकार ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला भेज दिया जाय और उनकी राय ले ली जाय। अगर सुप्रीम कोर्ट की राय है कि राष्ट्रीयकरण राज्य सरकार कर सकती है तो राज्य सरकार कर दे। इस तरह से एक साल तक के लिये मसला टाल दिया गया। तब दूसरे साल राष्ट्रीयकरण हो जायेगा, ऐसा विचार था।

इसके लिये या तो भारत सरकार खुद जिम्मेदारी लेती या अगर सुप्रीम कोर्ट की राय मिल जाती कि स्टेट सरकार कर सकती है तो हल निकल जायेगा। लेकिन सरकार ने इस्तीफा दे दिया और उसका हल निकला नहीं। कांग्रेस वाले हालांकि उसमें हिस्सेदार थे, बड़े हिस्सेदार थे। ज्यादा तादाद उनकी थी। इस फैसले में शामिल थे। लेकिन शिकायत यह हुई कि सरकार ने ठीक नहीं किया। वे तो राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहते और कांग्रेस की नीतियों के अनुसार काम नहीं करना चाहते। इसलिये हम लोगों का ख्याल था कि जब कांग्रेस की सरकार अपने आप बन जायेगी तो अपनी नीतियों के अनुसार यह काम जरूर करेगी। इसलिये जब यहां कांग्रेस की सरकार बनी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है ही इसलिये हमारा विश्वास था कि पंडित जी अप्रैल के महीने में गन्ने की मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे लेकिन तकलीफ की बात यह हुई कि बात नहीं हुई और बहुत दिनों के बाद नतीजा क्या निकाला कि उनके अर्जन की बात चली कि उनको अर्जित किया जाय और बारह शुगर मिलों के बारे में कार्यवाही की गई। ३ करोड़ २६ लाख रुपए का मुआविजा उनको दिया गया। वे बारह मिलें जिनको अर्जित करने का फैसला हुआ वे किसी काम की नहीं थी। उनका बाजार में कोई खरीदार नहीं था। सरकार बेचने की कार्यवाही करती तो वे थोड़े दामों में बिकतीं। उनको कोई लेने वाले नहीं था और सरकार को अपने आप थोड़े दामों में खरीदना पड़ता। लेकिन ३ करोड़ २६ लाख रुपया दिये गये। अगर इस तरह से अर्जन करने की कार्यवाही होगी, जबकि उसके दाम थोड़े हों और दस गुना और बीस गुना दाम दिये जायं तो कौन उसको न देना पसन्द करेगा बीस गुना दाम लेकर के राष्ट्रीयकरण की बात तो इस तरह से नहीं हुई। यह तो मिल मालिकों को ही फायदा पहुंचाने की बात हुई। लेकिन अब आगे भी कार्यवाही नहीं हो रही है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि गन्ना मिलों के निजी स्वामित्व को खत्म करने का प्रयास जारी है। पता नहीं कब तक जारी रहेगा और कब तक राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही होगी। हम समझते थे कि बहुत जल्दी कार्यवाही होने वाली है। हम तो यह कहना चाहते हैं और अपनी बहुत ताकत से कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही होनी चाहिये और शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाय तो किसानों को जो गन्ने के मूल्य की परेशानी है वह अपने आप कम हो जाय और सरकार को मौका न रह जाय, कि दाम ठीक नहीं हैं। यदि किसानों के हाथों में रहेगा और उनको उसका मालिक बना दें तो और ठीक रहेगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीयकरण या अमीर गरीब के भेद को कम करने के लिये जो भी कदम उठाने हैं उसकी बात सोचें, वे कदम उठे नहीं हैं। मेरा प्रार्थना है कि वे कदम उठने चाहिए नहीं तो काम नहीं चलेगा। मैं एक आखिरी बात कहकर खत्म करुंगा। आफिशियल मैशीनरी के लिये में कहना चाहता हूं कि यह हमारे देश के लिये बड़ी खतरनाक बात हो रही है। आफिशियल मैशीनरी का इलेक्शन में दखल हो रहा है। वह देश के लिए और प्रजातन्त्र के लिये बहुत बड़ा खतरा है। इसको रोकना चाहिये। अगर उनका दखल बढ़ता गया और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है और दखल बराबर बढ़ रहा है। अभी जो दस बाई इलेक्शन्स हुए हैं इसमें किस तरह दखल दिया है। जिन्होंने इलेक्शन में जाकर देखा होगा उनके सामने उसकी पूरी तस्वीर है।

इस तरह से अगर हम इलेक्शन में दखल देवेंगे तो क्या परिणाम होने वाला है, कैसे लोगों का बैलेट में विश्वास रह जायगा। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो देश के लिए इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है। मैं एक घटना का उल्लेख इस सम्बन्ध में कर देना चाहता हूं। मैं इलेक्शन के सिलसिले में एक गांव में पहुंचा। एक किसान के घर पर मैं गया वहां बहुत गरमी थी। मैं मड़ई में बैठा हुआ था, उसने कहा कि कांग्रेस (आर०) के कुछ लोग आने वाले हैं। मैंने कहा आने दीजिये। मैंने देखा कि एक मेम्बर आफ गवर्नमेंट आ रहे हैं। मैं इस तरह से कह रहा हूं ताकि पता न चले। हां, तो उनके साथ

[श्री जयराम वर्मा]

एक मैजिस्ट्रेट भी थे। अगर किसान के घर पर मेम्बर आफ गवर्नमेंट पहुंचे और उनके साथ मैजिस्ट्रेट पहुंचे कन्वेंसिंग के लिये, तो इससे ज्यादा गल्ला और क्या हो सकता है। उस मैजिस्ट्रेट को मैं जानता था और वह भी मुझे जानता था। मुझे देखकर वह चौंका। मुश्किल से १०–१२ सेकेन्ड रुका होगा और फौरन वह उठकर वहां से चला गया। मैं नाम नहीं बताना चाहता, इतना ही काफी है।

मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी सम्भव हो सकता है कि मिनिस्टर के साथ मैजिस्ट्रेट भी घूमेंगे कन्वेंसिंग के लिये। इससे जनता पर क्या असर पड़ने वाला है, जनता क्या सोचेगी और समझेगी कि हमारे देश में प्रजातन्त्र कैसे चलेगा। उसका विश्वास खत्म हो जायेगा। इसलिये श्रीमन्, आफिशियल मशीनरी का उपयोग फौरन ही रोका जाना चाहिये। चूंकि मैं पंडित जी के बहुत नजदीक रहा हूं इसलिये प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने जमाने में इस तरह की चीज न होने दें। प्रजातन्त्र गरीबों के हित में रहना चाहिए चाहें एक दफा अमीरों के हित में न भी हो और प्रजातन्त्र में रहकर समाजवाद को लाने का प्रयास हमारा होना चाहिये तभी देश का कल्याण हो सकता है। गरीबी और अमीरी का जो भेद है उसे खत्म किया जाय अगर अगर सचमुच समाजवाद आता है तो कोई भी ऐसा न होगा जो सहयोग न दे बशर्ते की ईमानदारी से हम समाजवाद लाने की कोशिश करें। जब तक भ्रष्टाचार कम न होगा, और नैतिकता न जागेगी तब तक समाजवाद आ नहीं सकता। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह जो समाजवाद की जरूरत शर्तें उनको लाने की कोशिश करें तभी समाजवाद आयेगा, लफ्जों से समाजवाद आने वाला नहीं है।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम ५१ के अन्तर्गत ६ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक माननीय राम गोपाल सण्ड ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय के एक भाग को मेरठ ले जाने पर इलाहाबाद की जनता में असन्तोष की सूचना दी है। मैं नहीं समझता कि कैसे वहां की जनता क्षुब्ध हो गई। इसमें कोई दम नहीं है।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जब यह कार्यालय वहां वर्षों से है तो वहीं क्यों नहीं रहने दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नाम तो चला जायगा कि आपने सवाल उठाया।

श्री राम गोपाल सण्ड—

परीक्षा कहीं पर भी की जा सकती है। ऐसा करने से फिर लोग कहने लगेंगे कि १० जिलों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर विकेन्द्रीयकरण की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो इलाहाबाद को अगर थोड़ा धक्का लगता भी या उसको आंच पहुंचती है तो उसको सहन कर लेना चाहिए।

श्री मनोहर लाल का प्रश्न है कि कानपुर की जे० के० रेयन मिल के १२ श्रमिकों के निकाले जाने पर असन्तोष है। इस पर आप प्रश्न करें। इसको अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह बहुत ही आवश्यक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्प सूचित प्रश्न करें। यह नियम ५१ के लायक नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का प्रश्न है कि उरई के ग्राम मचकच्छ में डाकुओं द्वारा ५ गड़रियों के अपहरण से पंचायत चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। इसको स्वीकार किया गया है वक्तव्य के लिये।

श्री राम बिलास पांडेय व श्री सुरेन्द्र विक्रम का प्रश्न है कि स्वदेशी काटन मिल मऊनाथ भंजन में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के कारण मजदूरों की हड़ताल।

आप प्रश्न करें। इसको अस्वीकार किया गया है। इसको नियम ५१ में कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आप प्रश्न करें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, लाठी चार्ज हुई है। काफी चोटें आई हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

लाठी चलेगी तो चोट तो आयेगी ही।

श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री सच्चिदानन्द गुप्त, श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री मनोहर लाल व श्री चन्द्र भान शर्मा का प्रश्न है कि हरदोई जनपद में गुण्डों द्वारा घर में घुसकर एक छात्रा एवं अध्यापिका से अपहरण से जनता में आन्तक। यह घटना तो दो महीने पहले की है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

नहीं मान्यवर, यह घटना २७ मार्च की है, केवल ४ दिन पहले की है। एक ही जगह पर दो स्त्रियों का अपहरण किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप इसमें अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह इन्दिरा जी का राज है और औरतों पर यह हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी चार दिन पहले की घटना है। पुलिस की जांच हो रही होगी। सभी चीजें करनी पड़ेंगी। अभी यह इतने महत्व का नहीं है कि इसको वक्तव्य के लिए दिया जा सके।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

और भी अपहरण हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

घटना २७ तारीख की है। अगर सरकार से वक्तव्य देने के लिये कहा जाय तो वह क्या देंगे। सिवा इसके कि वह कहें कि अभी प्रारम्भिक इप्तदायी रिपोर्ट चल रही है और उसकी तफतीश हो रही है।

आप इस विषय पर अल्प सूचित प्रश्न कर लें। अगर आपको उससे सन्तोष न हो तब कुछ करियेगा। अभी ४ दिन पहले की ही तो घटना है। पूरी कार्यवाही भी नहीं हो पाई होगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आप मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दीजिये जिससे और घटना न हो।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा बात सुन लीजिये।

सर्वश्री मोहम्मद नबी खां, शौ नाथ सिंह और धनुषधारी पांडेय ने ग्राम बंजरिया, थाना दुधारा, बस्ती में ५, ६ सौ व्यक्तियों द्वारा अल्प संख्यक वर्ग के घरों को लूटना एवं आगजनी की सूचना दी है। यह घटना दो महीने पहले की है। इसलिये अविलम्बनीय लोक महत्व की बात नहीं है। इसके लिये अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३० मार्च, १९७२।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी क

[देखिये नियम ३८(१) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७९ पर]

सीजन, १९७०-७१ में प्रदेश की ४८ चीनी मिलों के आकू पायरों (अध्यासियों) का विवरण, जिनके विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

क्रम-सं०	चीनी मिलों का नाम (जिनके विरुद्ध कार्यवाही सीजन १९७०-७१ में की गई)			मिल के आकूपायर मिल मालिक थे या मैनेजर इत्यादि
१	२			३
१	बिजनौर	..	..	मालिक
२	रोजा	..	..	जनरल मैनेजर
३	बहेड़ी	..	..	मैनेजर
४	धुधली	..	..	केन मैनेजर
५	आनन्दनगर	..	..	मैनेजर
६	पिपराइच	..	..	फेन मनेजर
७	सरदार नगर	..	..	मैनेजिग डाइरेक्टर
८	हरदोई	..	..	कैन मैनेजर
९	काशीपुर	..	..	जनरल मैनेजर
१०	गौरीबाजार	..	..	मैनेजर
११	कठकुइयां	..	..	जनरल मैनेजर
१२	पडरौना	..	..	जनरल मैनेजर
१३	प्रतापपुर	..	..	मैनेजिग डाइरेक्टर
१४	कप्तान गंज	..	..	जनरल मैनेजर
१५	बेतालपुर	..	..	मैनेजर
१६	देवरिया	..	..	मैनेजर
१७	भटनी	..	..	जनरल मैनेजर
१८	छितौनी	..	..	मैनेजिग डाइरेक्टर
१९	रामकोला (पी)	..	..	जनरल मैनेजर
२०	रामकोला (के)	..	..	जनरल मैनेजर
२१	लक्ष्मीगंज	..	..	सेक्रेटरी
२२	सिवराही	..	..	जनरल मैनेजर
२३	बस्ती	..	..	सहायक मैनेजर
२४	वाल्टरगंज	..	..	सहायक मैनेजर
२५	मुन्डेरवा	..	..	सेक्रेटरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१		२		३
२६	खलीलाबाद	..	..	मैनेजर
२७	बाराबंकी	..	..	जनरल मैनेजर
२८	बुढ़वल	..	..	जनरल मैनेजर
२९	नवाबगंज	..	..	केन मैनेजर
३०	बभनान	..	..	मैनेजिंग पार्टनर
३१	तुलसीपुर	..	..	जनरल मैनेजर
३२	बलरामपुर	..	..	जनरल मैनेजर
३३	अमरोहा	..	..	रिसीवर
३४	बिसारी	..	..	मैनेजर
३५	पीलीभीत	..	..	केन मैनेजर
३६	रामपुर	..	..	प्रेसीडेंट व मालिक
३७	बिस्वां	..	..	केन मैनेजर
३८	महोली	..	..	जनरल मैनेजर
३९	लक्सर	..	..	फैक्ट्री मैनेजर
४०	इकबालपुर	..	..	केन मैनेजर
४१	देवबन्द	..	..	जनरल मैनेजर
४२	सहारनपुर	..	..	मिल मालिक
४३	डोईवाला	..	..	रिसीवर
४४	मन्सूरपुर	..	..	केन मैनेजर
४५	शामली	..	..	जनरल मैनेजर
४६	रोहाना	..	..	केन मैनेजर
४७	बुलन्दशहर	..	..	केन सेक्रेटरी एवं सहायक मैनेजर
४८	मालियाना	..	..	मैनेजिंग डाइरेक्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिय नियम ३८ (१) क अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८१ पर]

सूची (बालक)

क्रम-संख्या	मेरठ जिले के विद्यालयों का नाम जिनमें अध्यापकों के भविष्य निधि का अंश (निजी तथा प्रबंधकीय) जमा नहीं किया गया
१	२
१	श्री गांधी स्मारक जनता इ०, का० पतला।
२	पटेल स्मारक हा० से० स्कूल, धौलाना।
३	जनता हा० से० स्कूल, कंथवाड़ी।
४	लोनी इण्टर कालेज, लोनी।
५	एम० एम० एच० वी० इण्टर कालेज, गाजियाबाद।
६	म० गा० स्मारक हायर सेकेन्डरी स्कूल, अरनावली।
७	शील चन्द्र इण्टर कालेज, अमीननगर सरांय।
८	किसान इण्टर कालेज, मुरादनगर।
९	महात्मा गांधी मिमोरियल इ० का०, ढिकौली।
१०	कृषि हा० से० स्कूल, जयसिंहपुर।
११	सी० एल० एम० इण्टर कालेज, जानी।
१२	के० के० इण्टर कालेज, मेरठ।
१३	एम० एम० इन्टर कालेज, खेकड़ा।
१४	श्री जवाहर इण्टर कालेज, वार्मतौली।
१५	गांधी स्मारक इण्टर कालेज, डोघट।
१६	लोक मान्य जनता इण्टर कालेज, मोरटा।

सूची (बालिका)

क्रम-संख्या	मेरठ जिले के विद्यालयों का नाम जिनमें अध्यापिकाओं के भविष्य निधि का अंश (निजी तथा प्रबन्धकीय) जमा नहीं किया गया।
१	२
१	भागीरथी आर्य कन्या इण्टर कालेज, लालकुर्ती।
२	भारतीय कन्या इ० का०, सदर, मेरठ।
३	दिगम्बर जैन कन्या इण्टर कालेज, मेरठ सदर।
४	इस्माइल नेशनल कन्या इण्टर कालेज, मेरठ।
५	गुरूनानक कन्या इण्टर कालेज, मकरखेड़ा।
६	भवानी कालिका उ० मा० विद्यालय, हापुड़।
७	हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, पिलखुआ।
८	सर छोटू राम किसान कन्या इन्टर कालेज, दुहाई।
९	आर्य कन्या इण्टर कालेज, भवाना।
१०	पी० ए० वी० कन्या जू० हा० स्कूल, गोरीपाड़ा।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३८ (१) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८९पर]

क्रमांक	चीनी प्रतिष्ठान का नाम
१	२
१	अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का साहसपुर, साहसबाद ।
२	केरु एण्ड कं० लि० रोसा (शाहजहांपुर) ।
३	धामपुर शुगर मिल्स लि०, धामपुर (बिजनौर) ।
४	कुन्दन शुगर मिल्स प्रा० लि०, अमरोहा, मुरादाबाद ।
५	एल० एच० शुगर फैक्ट्री एण्ड आयल मिल्स प्रा० लि०, पीलीभीत ।
६	रजा बुलन्द शुगर कं० लि०, रामपुर ।
७	एस० बी० शुगर मिल्स, बिजनौर ।
८	अपर गैन्जेज शुगर मिल्स लि०, सिवहारा, बिजनौर ।
९	एल० एच० शुगर फैक्ट्री एण्ड आयल मिल्स प्रा० लि०, काशीपुर, नैनीताल ।
१०	दि बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, बस्ती ।
११	कानपुर शुगर मिल्स लि०, कठकुइयां, देवरिया ।
१२	कानपुर शुगर मिल्स लि०, पाडरौना, देवरिया ।
१३	गनेश शुगर मिल्स, आनन्द नगर, गोरखपुर ।
१४	कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स, भटनी, देवरिया ।
१५	ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स प्रा० लि०, लक्ष्मीगंज, देवरिया ।
१६	लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स प्रा० लि०, छितौनी, देवरिया ।
१७	माधो महेश शुगर मिल्स प्रा० लि०, मुडेरवा, बस्ती ।
१८	महाबीर शुगर मिल्स प्रा० लि०, सिसवा बाजार, गोरखपुर ।
१९	दि नवाबगंज शुगर मिल्स कं० लि०, नवाबगंज, गोंडा ।
२०	दि पंजाब शुगर मिल्स कं० लि० घुधली, गोरखपुर ।
२१	दि प्रताबपुर कं० लि०, भैरवा, देवरिया ।
२२	सरैया शुगर मिल्स प्रा० लि०, सरदारनगर, गोरखपुर ।
२३	सक्सेरिया शुगर मिल्स प्रा० लि०, बभनान, गोंडा ।
२४	दि शंकर शुगर मिल्स लि०, कैप्टनगंज, देवरिया ।
२५	श्री आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद, बस्ती ।
२६	तुलसीपुर शुगर कं० लि०, तुलसीपुर, गोंडा ।
२७	विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लि०, खड्डा, देवरिया ।
२८	बुढ़वाल शुगर मिल्स कं० लि०, बुढ़वल, बाराबंकी ।
२९	गोविन्द शुगर मिल्स लि०, ऐरा, खीरी ।

1	2
३०	हिन्दुस्तान शुगर मिल्स प्रा० लि०, गोला, खीरी।
३१	कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स, मोतीनगर, फैजाबाद।
३२	लक्ष्मीजी शुगर मिल्स कं० प्रा० लि०, महोली सीतापुर।
३३	लक्ष्मीजी शुगर एण्ड आयल मिल्स लि०, हरदोई।
३४	दि अवध शुगर मिल्स लि०, हरगांव, सीतापुर।
३५	रामचन्द एण्ड सन्स शुगर मिल्स प्रा० लि०, बाराबंकी।
३६	सक्सेरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री, बिसवां, सीतापुर।
३७	अमृतसर शुगर मिल्स कं० लि०, रोहानाकलां, मुजफ्फरनगर।
३८	दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स प्रा० लि०, सखौती टांडा, मेरठ।
३९	जानकी शुगर मिल्स कं०, डोईवाला, देहरादून।
४०	जसन्त शुगर मिल्स लि०, मेरठ।
४१	राम लक्ष्मन शुगर मिल्स प्रा० लि०, मोहिउद्दीनपुर, मेरठ।
४२	सर शादी लाल शुगर एन्ड जनरल मिल्स लि०, मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर।

उत्तर प्रदेश संसदीय संस्था

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९० पर)

सूची

१—श्री परिपूर्णानन्द पन्यूली, एम०पी०, २२ लिटन रोड, देहरादून।	अध्यक्ष
२—मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	निदेशक
३—श्री वी० डी० संनवाल, आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।	निदेशक
४—श्री भरत नारायण, आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।	निदेशक
५—सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं पर्यटन विभाग ..	निदेशक
६—प्रबन्ध निदेशक, एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ ..	निदेशक
७—उपाध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश, कानपुर ..	निदेशक
८—श्री देवकी नन्दन पांडेय, प्रेम विद्यालय, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा ..	निदेशक
९—श्री जीवन चन्द्र पांडे	प्रबन्ध निदेशक

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०० पर)

परिशिष्ट १

मुरादाबाद, बुलन्दशहर तथा बिजनौर में बड़ी, माध्यम तथा छोटी इकाइयों तथा उनकी उत्पादन मात्रा निम्नलिखित है—

क्रम संख्या	जिले का नाम	इकाइयों की संख्या			उत्पादन (लाख रुपयों में)		
		मध्यम	छोटी	योग	मध्यम	छोटी	योग
१	मुरादाबाद	५	११९	१२४	७२२.६१	७५४.६४	१४७७.२५
२	बुलन्दशहर	२	४३	४५	२४२.८४	२१५.९५	४५८.७९
३	बिजनौर	३	९६	९९	१०१७.५६	४८५.७६	१५०३.३२

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०० पर)

परिशिष्ट २

मुरादाबाद, बुलन्दशहर तथा बिजनौर जिलों में प्रत्येक में दो-दो औद्योगिक आस्थान है। मुरादाबाद तथा बुलन्दशहर के औद्योगिक आस्थानों का उद्योग के लिय पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। बिजनौर के दोनों आस्थान अभी तक खाद्य गोदाम हेतु प्रयोग में लाये जा रहे थे। अब हाल में ही बिजनौर में तीन आवंटन उद्योगों के लिय किये गये ह।

औद्योगिक प्रशिक्षण की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

तालिका "अ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०२ पर)

बाराबंकी एवं बुढ़वल चीनी मिलों के गन्ना मूल्य एवं कमीशन के बकाये की स्थिति

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	मिल का नाम	संचालन में आने की तिथि	बकाया की स्थित			
			तिथि	गन्ना मूल्य	कमीशन	योग
१	बाराबंकी ..	३-७-७१ (शुगर कारपोरेशन)	३-७-७१	३४.१४	३.८६	३८.००
२	बुढ़वल ..	५-३-७० (सरकारी रिसीवर)	२८-२-७०	३०.५३	१.६२	३२.१५

१५-२-१९७२ को बकाया

मिल का नाम	पुराना बकाया			वर्ष १९७१-७२ का बकाया †			कुल बकाया
	गन्ना मूल्य	कमीशन	योग	गन्ना मूल्य	कमीशन	योग	
बाराबकी ..	३१.५९	३.८९	३५.४८*	१.०८	०.०९	१.१७	३६.६५
बुढ़बल ..	५५.७६	२.१३	५७.८९	४.५३	०.४८	५.०१	६२.९०

*यह मिल मालिकों के खाते का बकाया है।

†यह बकाया चीनी निगम द्वारा दिया जाना है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका "ब"

स्टेट शुगर कारपोरेशन के अन्तर्गत चीनी मिलों के गन्ना मूल्य तथा कमीशन की स्थिति

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	मिल का नाम	बकाये की स्थिति				पुराना बकाया २९-२-७२ तक जो मिल मालिकों के खाते का है			दिनांक २९-२-७२ को वर्ष (१९७१-७२ का बकाया जो चीनी निगम का बकाया है)			२९-२-७२ को कुल बकाया		
		तिथि	गन्ना मूल्य	कमीशन	योग	गन्ना मूल्य	कमीशन	योग	गन्ना मूल्य	कमीशन	योग	गन्ना मूल्य	कमीशन	योग
१	मोहिउद्दीनपुर	३-७-७१	४४.२३	४.७५	४८.९८	१९.६०	४.२९	२३.८९	५.८७	१.०३	६.९०	२५.४७	५.३२	३०.७९
२	साकौतीटांडा	३-७-७१	२९.३०	४.९९	३४.२९	३.६१	४.७८	८.३९	५.८८	०.२८	६.१६	९.४९	५.०६	१४.५५
३	बाराबंकी	३-७-७१	३४.१४	३.८६	३८.००	३१.५९	३.८५	३५.४४	१.४१	०.१२	१.५३	३३.००	३.९७	३६.९७
४	खड्डा ..	३-७-७१	३४.५८	१.८६	३६.४४	२९.४९	१.८६	३१.३५	१.२१	०.०९	१.३०	३०.७०	१.९५	३२.६५
५	भटनी ..	३-७-७१	१०.७७	३.६७	१४.४४	१.३५	३.६७	५.०२	३.२०	०.३१	३.५१	४.५५	३.९८	८.५३

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर ,छ पृष्ठ ५०४ पर)

ऋण उपयोग न करने वाले व्यक्तियों के नाम

क्रम-संख्या	ऋण का नाम व पता	उद्योग का नाम	ऋण की धनराशि
			रुपये
	विकास खण्ड, प्रतापपुर		
१	श्री जगन्नाथ प्रसाद, पुत्र श्री राम स्वरूप, जमुवा, प्रतापपुर	जनरल इंजीनियरिंग	६,०००
२	श्री कृष्णा नन्द मु० राजाराम मोहाउद्दीनपुर सरायभमरज	होजरी उद्योग	४,०००
३	श्री मकसूदन पु० जगन्नाथ, जमुवा, सरायभमरज	बढ़ईगीरी	५,०००
४	श्री मुन्नीलाल, पुत्र श्री शिवधारी गोठवा, सरायम मरज	दरी बुनना	१,५००
५	श्री राम किशुन, पुत्र द्वारिका चतुरपट्टी ..	चमड़े का कार्य	५००
६	श्री ब्रह्मादास पुत्र हरिहरदास पांडे, सेवन हरीपुर मर्रा।	कालीन बुनाई	३,०००
७	श्री राम सिरोमनि, पुत्र महानरायन शुक्ल, सेवना, हरीपुर।	,,	३,०००
	विकास खण्ड, फूलपुर		
८	श्री भगवत प्रसाद, पुत्र पुदई, ग्राम गौरीगंज पो० बेलवा	बढ़ईगीरी	८,०००
९	श्री बसन्तलाल मौर्य, पुत्र श्रीराम औतार खोजापुर फूलपुर।	बांस वेत	५००
१०	श्री दुखीराम, पुत्र श्रीमती निहुटी कनहटी, फूलपुर	बढ़ईगीरी	५००
११	श्री गौरीदास, पुत्र पुछन, ग्राम बौड़ई, फूलपुर ..	बढ़ईगीरी	५००
१२	श्री नरसिंह राम शुक्ल पुत्र श्री एस०एन० शुक्ल, १८०, सोबतिया बाग।	प्रिंटिंग प्रेस	२,०००
१३	श्री पन्ना लाल मौर्य, पुत्र रामदुलारे, खोजापुर ..	बांस व बेत	५००
१४	श्री रामानन्द पुत्र बच्चा ग्राम सारीपुर ..	साबुन उद्योग	५,०००
१५	श्री सिया राम मौर्य, पुत्र देवनरायन खोजापुर, फूलपुर।	बांस वेत	५००
१६	श्री लक्ष्मन प्रसाद, पुत्र राम लाल, बरई टोला ..	साइकिल स्प्रिंग	५००
१७	श्री महेन्द्रमनि यादव पुत्र श्री नान्हु सौरहा ..	स्याही उद्योग	५००
१८	श्री पद्मकर मिश्र, पुत्र सत्यनारायन मिश्र, शिवगढ़ दीवान गंज।	तेल घानी	३,०००

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०६ पर)

जिला सुल्तानपुर के विभिन्न थानों के अन्तर्गत दिनांक १ जनवरी, ७० से २१ फरवरी, ७२ तक की अवधि में दर्ज किये गये अपराधों के बारे में सूचना:—

नाम अपराध:—चोरी।

नाम थाना		मामलों की संख्या					
		जो रिपोर्ट किए गए	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	जिनमें चालान किया गया	जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई	जिनमें जांच जारी है
१—कोतवाली	..	५४७	४११	१३८	४३	३२५	४३
२—कूड़ेभार	..	८१	५४	२७	७	४५	२
३—जयसिंहपुर	..	१४३	६९	७४	१४	५२	३
४—कादीपुर	..	११९	९१	२८	२३	८२	६
५—दोस्तपुर	..	१२२	८५	३७	१२	८७	६
६—लभुआ	..	१०२	७९	२३	२५	५२	२
७—बल्दीराय	..	६८	५४	१५	१८	३४	२
८—भीपरपुर	..	९८	७९	२०	१६	४७	१५
९—रायपुर	..	१०१	८१	२०	१८	६३	२
१०—गौरीगंज	..	७७	६४	१३	१६	४३	५
११—मुसाफिरखाना	..	६०	८५	१५	१९	४३	३
१२—जगदीशपुर	..	१९५	१२०	७५	१८	९५	९
१३—बाजारशुक्ल	..	५४	४४	१०	१६	२९	३
योग	..	१,७८८	१,२९५	४९३	२३९	९५६	१०१

सत्यमेव जयते विधान सभा

जिला सुल्तानपुर के विभिन्न थानों के अन्तर्गत दिनांक १ जनवरी, ७० से २१ फरवरी, ७२ तक की अवधि में दर्ज किये गये अपराधों के बारे में सूचना :—

नाम अपराध:—नकबजनी

नाम थाना		मामलों की संख्या					
		जो रिपोर्ट किए गए	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	जिनमें चालान किया गया	जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई	जिनमें जांच जारी है
१—कोतवाली	..	३३८	२९९	३९	२५	२४२	३१
२—कूड़ेभार	..	११९	१०३	१६	९	८८	६
३—जयसिंहपुर	..	१३३	११३	२०	११	८४	१६
४—कादीपुर	..	७७	६२	१५	५	५३	५
५—दोस्तपुर	..	६०	५३	७	३	४८	२
६—लभुआ	..	८३	७२	११	९	५७	६
७—बल्दीराय	..	४९	४९	१	१२	३२	४
८ पीपरपुर	..	४७	४४	३	६	३५	३
९—रायपुर	..	८७	७६	९	१२	८४	२
१०—गौरीगंज	..	८१	५७	४	८	४५	४
११—मुसाफिरखाना	..	८८	५५	१३	७	४५	३
१२—जगदीशपुर	..	१६३	१५८	५	११	१३९	८
१३—बाजारशुक्ल	..	७३	८१	१२	१३	३९	९
योग	..	१,३९६	१,२०२	१५४	१३३	९७०	९९

जिला सुल्तानपुर के विभिन्न थानों के अन्तर्गत १ जनवरी, ७० से २१ फरवरी, ७२ तक की अवधि में दर्ज किए गए अपराधों के बारे में सूचना :—

नाम अपराध:—हत्या

नाम थाना	मामलों की संख्या					
	जो रिपोर्ट किए गए	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	जिनमें चालान किया गया	जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई	जिनमें जांच जारी है
१—कोतवाली ..	१४	१४	..	७	८	१
२—कूड़ेभार ..	१६	१८	..	१८	५	१
३—जयसिंहपुर ..	४	४	..	२	२	..
४—काबीपुर ..	६	६	..	३	२	१
५—बोस्तपुर ..	९	९	..	७	२	..
६—लभुआ ..	५	५	..	३	..	२
७—बल्दीराय ..	६	६	..	५	१	..
८—पीपरपुर ..	४	४	..	२	२	..
९—रायपुर ..	११	११	..	११	..	..
१०—गौरीगंज ..	३	३	..	२	..	१
११—मुसाफिरखाना ..	८	८	..	३	४	१
१२—जगदीशपुर ..	८	८	..	४	२	..
१३—बाजार शुक्लपुर ..	८	८	..	६	१	१
योग ..	१००	१००	..	६५	२७	८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला सुल्तानपुर के विभिन्न थानों के अन्तर्गत दिनांक १ जनवरी, ७० से २१ फरवरी, ७२ तक की अवधि में दर्ज किये गये अपराधों के बारे में सूचना:—

नाम अपराध:—राहजनी।

नाम थाना		मामलों की संख्या					
		जो रिपोर्ट किए गये	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	जिनमें चालान किया गया	जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई	जिनमें जांच जारी है
१—कोतवाली	..	५२	५५	४	४	४	४
२—कूड़ेभार	..	१०	१८	..	९	१०	१
३—जयसिंहपुर	..	१३	१३	..	३	१०	..
४—कादीपुर	..	१०	१०	..	५	५	..
५—दोस्तपुर	..	११	११	..	३	२	..
६—लभुआ	..	८	८	..	२	४	..
७—बल्दीराय	..	८	८	..	३	५	..
८—पीपरपुर	..	७	७	..	१	५	१
९—रायपुर	..	२०	२०	..	८	१३	१
१०—गौरीगंज	..	८	८	..	१	५	२
११—मुसाफिरखाना	..	४	४	..	२	२	..
१२—जगदीशपुर	..	१२	१२	..	५	५	१
१३—बाजार शुक्लपुर	..	९	८	..	१	७	१
योग	..	१८६	१८२	४	४५	१२०	११

नत्थी 'ञ'

(वैलिय अतारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०८ पर)

शस्त्र-शस्त्र विक्रेता का नाम	राइफलों की संख्या जिनके लिए १-१-६९ से ३१-१२-७२ तक जिला अधिकारियों द्वारा बिक्री के लिये मंगाने की अनुमति प्रदान की गई	लाइसेन्स संख्या
१—मेसर्स एस० एम० अहमद बक्स एन्ड सन्स, प्रो० श्री एस० एम० इकबाल अहमद, मुरादाबाद ।	९७	संख्या ६-आर/१९६३
२—मेसर्स मकबूल हसन एन्ड सन्स, मुरादाबाद, प्रो० श्री मकबूल हसन ।	५	संख्या ८—आर/१९६३
३—मेसर्स आनन्द आर्मरी, मुरादाबाद, प्रो० श्री आर०सी० आनंद	७	संख्या ३—आर/ १९६३
४—मेसर्स मुरादाबाद गन हाउस, मुरादाबाद प्रो० श्री कैलाश नारायण शर्मा ।		जिला मैजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा जारी किये गये एन० ओ० सी० पर ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५११ पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या १ व २

प्रश्न	उत्तर
१—उद्योग मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितना औद्योगिक ऋण और कब से वसूल होना शेष हैं। एक लाख रुपये से ऊपर के कर्जदार व्यक्तियों, फर्म्स के नाम बताने की कृपा करें जिन पर सरकार का कर्ज बकाया है और कब से?	प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरित औद्योगिक ऋण में से कुल ६,६९,९०,९५७ रुपये वसूल होना शेष है। इस अवशेष ऋण में सबसे पुरानी धनराशि वर्ष १९४८-४९ से देय है। एक लाख रुपये से ऊपर के कर्जदार निम्नलिखित छः व्यक्ति व फर्म हैं जिनके ऊपर उनके नाम के सामने दी हुई ऋण बकाया है :— १—सर्वश्री अमिताभ टेक्सटाइल मिल्स लि० देहरादून—फरवरी/मार्च, १९७१ से। २—सर्वश्री स्टील सन्स प्रा० लि० गोविन्दपुरी, मोदी नगर—माच, १९७१। ३—सर्वश्री बी०डी०गुप्ता एण्ड ब्रदर्स, मेरठ २-५-६१। ४—लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर—२८-३-६७ ५—ज० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०, कानपुर—१-९-६७। ६—न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कं० लि०, कलकत्ता—१-३-१९७०।
२—क्या मंत्री बता सकेंगे कि प्रदेश में कर्ज की कुल कितनी धनराशि ऐसे व्यक्तियों फर्म्स पर वसूल होना शेष है जिन्होंने काय ही प्रारम्भ नहीं किया और सरकार को वह ऋण मय ब्याज वसूल करना पड़ रहा है?	कर्ज की कुल २,७१,८८,५४९ रुपये की धनराशि सरकार को ऐसे व्यक्तियों/फर्म्स से वसूल करनी पड़ रही हैं जिन्होंने काय आरम्भ ही नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ठ"

(देखिये पीछे पृष्ठ ५१४ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, १९७२

सार्वजनिक भू-गृहादि से अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली करने और कतिपय आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,—

(क) "निगमित प्राधिकरण" का तात्पर्य इस धारा के खण्ड (ङ) में अभिदिष्ट किसी कम्पनी, स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सोसाइटी से है;

(ख) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि (जिसके अन्तर्गत कोई वन भूमि या उस पर लगे हुए वृक्ष, अथवा जलाच्छादित भूमि, या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई सड़क अथवा ऐसी सड़क से संलग्न भूमि भी है), या किसी भवन अथवा किसी भवन के भाग से है, और इसके अन्तर्गत,—

(१) उक्त भवन या भवन के भाग के अनुलग्न उद्यान, मैदान तथा बाह्य-गृह, यदि कोई हो, भी हैं, और

(२) उक्त भवन या उसके भाग में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिये लगाये गये कोई फिटिंग्स या फिक्सचर्स अथवा उसके लिये दिया गया कोई फर्नीचर भी है;

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है जो यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, जौनसार बावर जमींदारी बिनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६०, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनयम, १९५३, अथवा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अधीन तत्समय—

(१) किसी गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण प्रबन्ध में निहित हो या सौंपी गई हो, अथवा

(२) किसी खातेदार द्वारा धृत हो;

(ग) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(घ) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(ङ) "सार्वजनिक भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है जो, राज्य सरकार का हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया या अधिगृहीत किया गया हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा भू-गृहादि भी है जो—

(१) कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ३ में यथा परिभाषित किसी ऐसी कम्पनी जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत दत्त अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत हो; या — १९५६ का अधिनियम

(२) किसी स्थानीय प्राधिकरण; या

(३) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी ऐसे निगम (जो कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ३ में यथापरिभाषित कम्पनी या कोई स्थानीय प्राधिकरण न हो); या

(४) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकाय में, सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन, पूर्णतः लोक अधिकारी, या राज्य सरकार के नामांकिती, अथवा दोनों हों;

का हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया हो, और इसके अन्तर्गत—

(१) कोई ऐसा भू-गृहादि भी है जो किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा गया हो (जिसके अन्तर्गत ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को भूमि सौंपे जाने के पश्चात् राज्य सरकार की भूमि पर सरकारी निधियों से बनाया गया कोई भवन भी है);

(२) कोई भू-गृहादि जो भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन राज्य सरकार की सहमति से किसी कम्पनी के लिये (जैसा उक्त अधिनियम में परिभाषित है) अर्जित किया गया हो और उस कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ४१ के अधीन निष्पादित ऐसे अनुबन्ध के अधीन धृत हो जिसमें कतिपय दशाओं में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रवेश करने की व्यवस्था हो;

(च) किसी सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "किराये" का तात्पर्य उक्त भू-गृहादि के प्राधिकृत अध्यासन के लिये निश्चित अन्तरालों में देय प्रतिफल से है, और इसके अन्तर्गत—

(१) भू-गृहादि में अध्यासन करने के सम्बन्ध में बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा के लिये अथवा किसी सम्भारित वस्तु के लिये कोई परिव्यय;

(२) भू-गृहादि के सम्बन्ध में देय कोई दर (चाहे उसका कुछ भी नाम हो); भी है, यदि ऐसा परिव्यय या कर राज्य सरकार अथवा निगमित प्राधिकरण द्वारा देय हो;

(छ) किसी सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "अप्राधिकृत अध्यासन" का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे सार्वजनिक भू-गृहादि का अध्यासन के प्राधिकार के बिना अध्यासन करने से है, और इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भू-गृहादि पर उस प्राधिकार के (जो चाहे अनुदान के तौर पर हो अथवा अन्तरण की किसी अन्य पद्धति से हो) जिसके अधीन अथवा उस हैसियत के जिसमें उसे भू-गृहादि पर अध्यासन करने की अनुज्ञा दी गई थी, समाप्त हो गया हो अथवा किसी कारण से समाप्त कर दी गई हो, के पश्चात् अध्यासन बनाये रखना भी है, और इसके अन्तर्गत धारा ७ की उप-धारा (१) में उल्लिखित परिस्थितियों में अध्यासन बनाये रखना भी है, और किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण से कि उसने किराये के रूप में किसी धनराशि का भुगतान कर दिया है, यह नहीं समझा जायगा कि उसका अध्यासन प्राधिकृत है।

३—राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा—

विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति

(क) ऐसे व्यक्तियों को जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी हों अथवा नियमित प्राधिकरण के तत्समान श्रेणी के अधिकारी हों, जिन्हें वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा; और

(ख) ऐसी स्थानीय सीमायें अथवा सार्वजनिक भू-गृहादि की श्रेणियां निर्धारित कर सकती हैं जिनके भीतर अथवा जिनके सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा अथवा इनके अधीन विहित प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, और उन पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।

बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण बताने का नोटिस जारी करना

४—(१) यदि विहित प्राधिकारी की स्वयं अथवा राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण की ओर से प्राप्त आवेदन-पत्र या प्रतिवेदन पर, यह राय हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किन्हीं सरकारी भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिये, तो विहित प्राधिकारी एतद् पश्चात् उपबन्धित रीति से एक लिखित नोटिस जारी करेगा जिसमें ऐसे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से यह कारण बताने को कहा जायगा कि बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय।

(२) नोटिस में—

(क) वे आधार बताये जायेंगे जिन पर बेदखली का आदेश देने का प्रस्ताव हो; और

(ख) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से अर्थात्, उन सभी व्यक्तियों से जो सार्वजनिक भू-गृहादि का अध्यासन कर रहे हैं, या कर रहे हों, अथवा जो उनमें हित का दावा कर, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध ऐसे दिनांक को या

उसके पूर्व, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, और जो उसक जारी किये जाने के दिनांक से दस दिन से पूर्व का न हो, कारण बताने की, यदि कोई हो, अपेक्षा की जायगी।

(३) विहित प्राधिकारी उस नोटिस को सार्वजनिक भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे अथवा उसके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगा कर और किसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, उसकी तामील करायेगा, और तदुपरान्त यह समझा जायगा कि उक्त नोटिस सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को यथाविधि दे दी गई है।

(४) यदि विहित प्राधिकारी यह जानता हो अथवा उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का सार्वजनिक भू-गृहादि पर अध्यासन है, तो उप-धारा (३) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह नोटिस की एक प्रति प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर डाक द्वारा या उस व्यक्ति को प्रदान करके अथवा प्रस्तुत करके या ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाय, तामील करायेगा।

अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली

५—(१) यदि धारा ४ के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जिसे वह उसके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् तथा उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, तो विहित प्राधिकारी बेदखली का आदेश दे सकेगा जिसमें उसके कारण अभिलिखित किये जायेंगे और यह निदेश होगा कि उन सार्वजनिक भू-गृहादि को उन सभी व्यक्तियों द्वारा, जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर अध्यासन हो, ऐसे दिनांक को, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, खाली कर दिया जायगा, और उस आदेश की एक प्रति उस सार्वजनिक भू-गृहादि के बाहरी दरवाजे या उसके किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगवाएगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश का, उप-धारा (१) के अधीन उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर, अनुपालन करने से इन्कार करे या अनुपालन न करे, तो विहित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उक्त व्यक्ति को उस सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल कर सकेगा और उनपर कब्जा ले सकेगा, और उस प्रयोजन के लिए इतने बल का प्रयोग कर सकेगा जितना आवश्यक हो।

सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

६—(१) यदि कोई व्यक्ति धारा ५ के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल कर दिया गया हो, तो विहित अधिकारी उन व्यक्तियों को, जिनके कब्जे में सार्वजनिकभू-गृहादि को लिया गया हो, कम से कम चौदह दिन का नोटिस देने के पश्चात् और उस नोटिस को कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में जिसको उस परिक्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित करने क पश्चात् उन भू-गृहादि पर रह गई किसी सम्पत्ति को, जिसके अन्तर्गत गिराये गये किसी भवन का मलवा अथवा एकत्रित न की गई कोई फसल या फलों के वृक्ष भी हैं, हटा सकेगा या हटवा सकेगा अथवा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उसका निस्तारण कर सकेगा।

(२) यदि कोई सम्पत्ति उपधारा (१) के अधीन बेची जाय, तो उसके विक्रय-आगम का, उसमें से विक्रय व्यय और राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को बकाया किराया, क्षति-पूर्ति या व्यय के मद्द देय धनराशि, यदि कोई हो, काटने

के पश्चात् भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायगा जो विहित प्राधिकारी को उसे पाने के हकदार प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विहित प्राधिकारी यह विनिश्चय करने में असमर्थ हो कि किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को शेष धनराशि देय है अथवा उसका किस प्रकार अभिभाजन किया जाय, तो वह ऐसे विवाद को सक्षम अधिकारिता युक्त सिविल न्यायालय को अभिदिष्ट कर सकेगा और उस पर उस न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा।

सार्वजनिक भू-गृहादि के संबंध में किराया या क्षतिपूर्ति का भुगतान कराने का अधिकार

७--(१) यदि किसी व्यक्ति पर किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में देय किराया बकाया हो, तो विहित प्राधिकारी आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर और ऐसी किस्तों में, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायं, बकाये का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा, और उस व्यक्ति द्वारा उसका अथवा उसकी किसी किस्त का भुगतान न करने पर यह समझा जायगा कि सार्वजनिक भू-गृहादि पर उसका अप्राधिकृत अध्यासन है।

(२) यदि किसी व्यक्ति का किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है अथवा किसी समय रहा हो, तो विहित प्राधिकारी क्षतिपूर्ति निर्धारण करने के उन सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए, जो विहित किये जायं, ऐसे भू-गृहादि के प्रयोग तथा अध्यासन के लेखे क्षति की धनराशि का निर्धारण कर सकेगा और, आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर और ऐसी किस्तों में, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायं, उस धनराशि के भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(३) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसी लिखित नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताने को न कहा गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाय, और जब तक कि उसकी आपत्तियों पर, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य पर, जिसे वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विहित प्राधिकारी द्वारा विचार न कर लिया जाय।

विहित प्राधिकारी के अधिकार

८--निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी तथा अपील अधिकारी को वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्--- १९० का अधिनियम ५

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेज का प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

अपील

९--(१) धारा ५ या धारा ७ के अधीन किसी सार्वजनिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपील, अपील अधिकारी को होगी, जो उस जिले का जिसमें सार्वजनिक भू-गृहादि स्थित हो जिला न्यायाधीश

अथवा ऐसा न्यायिक अधिकारी होगा, जो सिविल न्यायाधीश, के पद से कम न हो, जिसे जिला न्यायाधीश तदर्थ पदाभिहित करें।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई अपील—

(क) धारा ५ के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में, उस धारा की उपधारा (१) के अधीन उस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, और

(ख) धारा ७ के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में, उस दिनांक से जब अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया जाय, पन्द्रह दिन के भीतर,

की जायगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से नियत समय के भीतर अपील निवेशित नहीं कर सका तो वह अपील को पन्द्रह दिन की उक्त कालावधि के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा।

(३) यदि विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से अपील की जाती है तो अपील अधिकारी उस आदेश का प्रवर्तन ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, रोक सकेगा।

(४) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील अपील प्राधिकारी द्वारा यथाशक्य शीघ्र निपटाई जायेगी।

(५) इस धारा के अधीन किसी अपील के खर्चे अपील अधिकारी के विवेकाधीन होंगे।

(६) जिला न्यायाधीश उपधारा (१) के अभिदिष्ट किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष विचाराधीन किसी अपील को वापस ले सकता है और या तो उसका निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसका अन्तरण उक्त उप-धारा में अभिदिष्ट किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को कर सकता है।

आदेशों की अन्तिमता

१०—इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी या अपील अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी मूल वाद, आवेदन-पत्र या निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति नहीं की जा सकेगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी व्यादेश नहीं दिया जायगा।

अपराध तथा शास्ति

११—(१) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से बेदखल किया गया हो, उन भू-गृहादि पर फिर से अध्यासन, ऐसे अध्यासन के लिए बिना किसी प्राधिकार के, कर ले, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(२) कोई मजिस्ट्रेट जो उप-धारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराय उस व्यक्ति को सरसरी-तौर से बेदखल करने का आदेश दे सकगा और किसी अन्य कायवाही पर, जो उसक विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकती

हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह व्यक्ति इस प्रकार बेदखल किये जाने का भागी होगा।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

१२—यदि विहित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किन्हीं व्यक्तियों का किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, तो विहित प्राधिकारी या उसक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उन व्यक्तियों के, जिनका उक्त सार्वजनिक भू-गृहादि पर अध्यासन हो, नामों तथा अन्य ब्योरों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करें और प्रत्येक व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गयी हो, ऐसी सूचना जो उसके पास हो, देने के लिये बाध्य होगा।

दायादों तथ विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व

१३—(१) यदि किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध बकाया किराये के अवधारण के लिये अथवा क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिये कोई कार्यवाही की जानी हो अथवा की गयी हो, उस कायवाही के आरम्भ होने के पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाय, तो कार्यवाही उस व्यक्ति के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध की जा सकेगी, या यथास्थिति, जारी रखी जा सकेगी।

(२) किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को देय धनराशि, चाहे वह बकाया किराये या क्षतिपूर्ति अथवा व्यय के रूप में हो, का भुगतान, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्, उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जायगा, किन्तु उनका दायित्व मृतक की परिसम्पत्तियों, जो उनको प्राप्त हुई हों और जिनका यथाविधि निस्तारण न किया गया हो, के परिमाण तक ही सीमित होगा।

मालगुजारी की बकाया क रूप में किराये आदि की वसूली

१४—यदि कोई व्यक्ति, धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन देय बकाया किराये या उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन देय क्षति की धनराशि अथवा धारा ९ की उपधारा (५) के अधीन राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को दिलाये गये खर्चे अथवा ऐसे किराये, क्षति की धनराशि या खर्चे के किसी भाग का, उससे सम्बन्धित आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर, यदि कोई हो, भुगतान करने से इनकार करे या भुगतान न करे तो विहित प्राधिकारी कलेक्टर को देय धनराशि के बारे में एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा, जो मालगुजारी की बकाया के रूप में उसकी वसूली के लिए कार्यवाही करेगा।

अधिकारिता का वर्जन

१५—किसी ऐसे व्यक्ति की बेदखली के सम्बन्ध में, जिसका किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि पर अप्राधिकृत अध्यासन है, या धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन देय बकाया किराये अथवा उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन देय क्षतिपूर्ति या धारा ९ की उपधारा (५) के अधीन राज्य सरकार अथवा निगमित प्राधिकरण को दिलाये गये व्यय या ऐसे किराये, क्षतपूर्ति अथवा व्यय के किसी भाग की वसूली के सम्बन्ध में किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी न्यायालय को नहीं होगी।

सद्भावना से किय गये कार्य का संरक्षण

१६—राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण या अपील अधिकारी या विहित प्राधिकारी के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या की जाने क लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कायवाही नहीं की जा सकेगी।

१७—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक कार्यवाही में, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण एक पक्ष होगा। सरकार या निगमित प्राधिकरण एक पक्ष होगा

(२) विशेषतया, और उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को साक्ष्य प्रस्तुत करने और साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने, और विहित प्राधिकारी के ऐसे आदेश के विरुद्ध, जिसमें धारा ५ के अधीन बेदखली का आदेश देने से इनकार किया गया हो या जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किराया अथवा क्षति की धनराशि के भुगतान कराये जाने के लिये धारा ७ के अधीन इनकार किया गया हो, धारा ९ के अधीन अपील करने, का अधिकार होगा।

१८—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(२) विशेषतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के अधीन दी जाने के लिये अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस का प्रपत्र और वह रीति जिसमें उसकी तामील की जा सकेगी;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जांच करना;

(ग) विहित प्राधिकारियों में कार्य का वितरण और आवंटन और एक विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही का दूसरे विहित प्राधिकारी को अन्तरण;

(घ) सार्वजनिक भू-गृहादि पर कब्जा लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) वह रीति जिसमें अप्राधिकृत अध्यासन के लिए क्षति की धनराशि निर्धारित की जा सकेगी और वे सिद्धान्त जिनका ऐसी क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने में ध्यान रखा जायगा;

(च) वह रीति जिसमें अपीलें की जा सकेंगी और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(छ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जिसे विहित किया जाय।

(३)—इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, कुल चौदह दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूर्ण हो सकती है, रखे जायेंगे, और यदि, उक्त अवधि में दोनों सदन किसी नियम में कोई परिष्कार करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा प्रभावी नहीं रहेगा, जैसी भी दशा हो, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

निरसन तथा पारिणामिक संशोधन

१९—(१) निम्नलिखित अधिनियमितयां एतद्द्वारा निरस्त की जाती हैं, अर्थात:—

(क) उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२;

(ख) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि-पूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९;

(ग) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, १९५५ की धारायें ९, १९, २१, २३, २४, २४—क, २४—ख, २४—ग, २४—घ, २४—ङ, २४—च, २५ और २७;

(घ) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, १९६५ की धारा ६९, ७०, ७१—क और ७२;

(ङ) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धार ३७२ की उपधारा (२);

(च) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० की धारा ३३, ३४ तथा ३५;

(२) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, १९५५ में:—

(क) धारा ७ में शब्द "बेदखली" के स्थान पर शब्द "बेदखली करवाने" रख दिये जायं;

(ख) धारा २२ में, उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "अथवा धारा २१ की उपधारा (२)" निकाल दिये जायं;

(ग) धारा २८ में, उपधारा (२) में, खण्ड (छ) में शब्द तथा अंक "अथवा धारा २१ की उपधारा (२)", और खण्ड (झ) निकाल दिये जायं।

(३) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ में,—

(क) धारा ६४ में, उपधारा (१) में, खण्ड (घ) में शब्द तथा अंक "और अध्याय ७" निकाल दिये जायं;

(ख) धारा ६८ का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय;

(ग) धारा ९६ की उपधारा (४) निकाल दी जाय।

(४) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में, धारा १२९—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

महापालिका के भू-गृहादि के सम्बन्ध म उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ के अध्याय ७ का लागू किया जाना

"१२९—क—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अध्याय ७ के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में जो महापालिका के हों या उसमें निहित हों अथवा महापालिका द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित "परिषद् के भू-गृहादि" के सम्बन्ध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषयों के लिये किये गये अभिदेश क्रमशः महापालिका तथा इस अधिनियम के अधीन विहित विषय के लिए किये गये अभिदश समझ जायगे।

(५) यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में, धारा १२०–ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

बोर्ड के भू-गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ के अध्याय ७ का लागू किया जाना।

"१२०–ए—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अध्याय ७ के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में, जो बोर्ड के हों या उसमें निहित हों अथवा बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिये गये हों इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथा-परिभाषित "परिषद् के भू-गृहादि" के संबंध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश क्रमशः इस ऐक्ट में यथापरिभाषित बोर्ड तथा इस ऐक्ट में नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।"

(६) यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ में—

(क) धारा ५७ में, शब्द, अंक तथा अक्षर "और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अध्याय ७ जसा कि वह धारा ९५–क के अन्तगत ट्रस्ट के भू-गृहादि पर लागू हैं, धारा ९५–ए में अभिदिष्ट कृत्यों का सम्पादन करने के लिए भी," निकाल दिये जायं;

(ख) धारा ९५–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

ट्रस्ट के भू-गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ के अध्याय ७ का लागू किया जाना।

"९५–क—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ के अध्याय ७ के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि सम्बन्ध में जो ट्रस्ट के हों या उसमें निहित हों अथवा ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित "परिषद् के भू-गृहादि" के सम्बन्ध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश क्रमशः ट्रस्ट तथा इस ऐक्ट के अधीन नियत विषय के लिए किये गये अभिदेश समझे जायंगे।"

वैधीकरण

२०—(१) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, धारा १९ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट किन्हीं भी अधिनियमितियों के अधीन (जिन्हें आगे इस धारा में निरस्त अधिनियमितियां कहा गया है) किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, दिये गये आदेश, जारी की गयी नोटिसें, आदेशित या निष्पादित बेदखली, निर्धारित क्षति की धनराशि, वसूल किया गया किराया या क्षति की धनराशि या खर्चा और प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां भी हैं) अथवा इस आशय से किया गया कार्य या की गई कार्यवाही वैध और प्रभावी समझी जायगी मानों कि इस अधिनियम की धारा १५ के उपबन्ध आवश्यक परिष्कारों के साथ निरस्त अधिनियमितियों के भाग के रूप में प्रारम्भ में ही अधिनियमित किये गये थे, और तदनुसार,—

(क) किसी निरस्त अधिनियमिति के अधीन वसूल किये गये किसी किराये या क्षति की धनराशि या खर्च की वापसी के लिए, यदि ऐसी धनराशि

को वापस करने के लिए केवल इस आधार पर दावा किया गया हो कि उक्त निरस्त अधिनियमिति असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दी गयी है, किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कायवाही न तो संधारित की जायगी और न जारी रखी जायगी;

(ख) कोई न्यायालय किसी ऐसी डिक्री या आदेश को, जिसमें किसी निरस्त अधिनियमिति के अधीन वसूल किये गये किराये या क्षति की धनराशि या खर्चे को केवल इस आधार पर वापस करने के लिए आदेश दिया गया हो कि उक्त निरस्त अधिनियमिति असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दी गयी है, प्रवृत न करगा ;

(ग) किन्हीं सार्वजनिक भू-गृहादि से किसी अप्राधिकृत अध्यासी को बेदखल करने के लिए या ऐसे भू-गृहादि का अध्यासन करने के निमित्त किराया अथवा क्षति की धनराशि की वसूली के लिये उपर्युक्त कायवाहियों के खर्चे की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही या अन्य कार्य को केवल इस आधार पर करने से वर्जित न किया जायेगा कि निरस्त अधिनियमिति के अधीन तत्सदृश्य कार्यवाही या अन्य कार्य असंवैधानिक तथा शून्य घोषित कर दिये गये हैं और उक्त आधार पर किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिये गये हैं।

(२) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, और धारा १५ या धारा १९ म दी गयी किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी निरस्त अधिनिमिति के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा धारा १५में उल्लिखित किसी भी अनुतोष के लिए किसी न्यायालय में संस्थित या आरम्भ की गयी तथा प्रारम्भ की जाने के लिए आशयित और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७० (जिसे आगे इस धारा में १९७० का अधिनियम कहा गया ह) के प्रारम्भ होने पर या तो प्रारम्भिक न्यायालय या किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अथवा ऐसे प्राधिकरण के समक्ष लम्बित वाद या अन्य कार्यवाही का विहित प्राधिकारी को अन्तरण हो जायगा, और तद्‌परान्त विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के संगत उपबन्ध के अधीन कार्यावाही के रूप में उसका निस्तारण करेगा, और किसी ऐसी कार्यवाही में--

(क) विहित प्राधिकारी उस प्रक्रम से, जहां से उस वाद या कार्यवाही का अन्तरण हो अग्रेतर कार्यवाही कर सकता है और उक्त प्रयोजन के लिये अन्तरण के पूर्व ऐसे वाद या कार्यवाही में जारी किये गये किसी सम्मन, या नोटिस, निवेशित लिखित वक्तव्य या उत्तर अथवा प्रस्तुत साक्ष्य को, इस अधिनियम के संगत उपबन्ध के अधीन अपने द्वारा जारी की गयी नोटिस, या यथास्थिति, अपने समक्ष बताया गया कारण अथवा प्रस्तुत साक्ष्य मान सकगा,

(ख) उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ की धारा १० और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि-पूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ की धारा ७ का १९७० के अधिनियम द्वारा निरसन किये जान के पूर्व, उक्त धारा १० के अधीन जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को अथवा उक्त धारा ७ के अधीन सिविल न्यायाधीश (सिविल जज) के समक्ष

अभिदिष्ट कोई आपत्ति स्वयं विहित प्राधिकारी द्वारा निर्णीत की जायगी, और उक्त धाराओं के अधीन कोई अभिदेश, वाद या अपील उपशमित हो जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस अधिनियम के प्रवृत होने के पूर्व कोई ऐसा अभिदेश, वाद या अपील निर्णीत की जा चुकी है तो विहित प्राधिकारी उस निर्णय के अनुसार कार्य करेगा, जो, धारा ९ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम समझा जायगा।

२१—(१) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली, अध्यादेश) १९७२ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। निरसन तथा अपवाद

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी। मानों यह अधिनियम २ मार्च, १९७२, को प्रवृत्त हो गया था। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९७२।

उद्देश्य और कारण

दि पंजाब पब्लिक प्रेमिजेज ऐण्ड लैंड (इविक्शन ऐण्ड रेन्ट) ऐक्ट, १९५९, को उच्चतम न्यायालय ने इस कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया कि उसमें वादों को चाहे तो सरसरी कार्यवाही द्वारा न चाहे सिविल न्यायालयों द्वारा कार्यवाही से निस्तारण करने की वे रोक टोक प्रभेदकारी शक्ति का प्राविधान था। उक्त निर्णय के अनुसरण में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, ने उ०प्र० सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९, तथा उ० प्र० औद्योगिक, गृह व्यवस्था अधिनियम, १९५५ को, तथा दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय कानून, अर्थात् दि पब्लिक प्रेमिजेज (इविक्शन आफ अनअथोराइज्ड आकूपेन्ट्स) ऐक्ट, १९५८, को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

२—समस्या को सुलझाने के लिये संसद ने दि पब्लिक प्रेमिजेज (इविक्शन आफ अन-अथोराइज्ड आकूपेन्ट्स) (एमेंडमेंट) ऐक्ट, १९६८, तथा उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने उ० प्र० सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७०, अधिनियमित किया इन दोनों अधिनियमों में वादों का केवल सरसरीतौर पर निस्तारण का प्राविधान किया गया था।

३—तथापि उक्त दोनों अधिनियमों को पुनः इस आधार पर अवैधानिक घोषित कर दिया गया कि एक बार असंवैधानिक घोषित अधिनियमों को संशोधन अधिनियमों द्वारा सक्रिय नहीं किया जा सकता और उन्हें फिर से अधिनियमित करना चाहिये।

४—चूंकि इस विषय पर किसी विधि के न रहने से सार्वजनिक भू-गृहादि के अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली के बहुत से वाद आधारहीन हो गये और विधान मंडल सत्र में नहीं था, अतः उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अध्यादेश, १९७२ जारी किया गया। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करते समय, बहुत सी विधियों को जो भिन्न-भिन्न वर्गों के सार्वजनिक भूमियों अथवा भवनों के सम्बन्ध में विद्यमान थीं संहत करने के लिये भी अवसर का लाभ उठाया गया।

५—तदनुसार उक्त अध्यादेश के प्रतिस्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) विधेयक, १९७२, पुरःस्थापित किया जाता है।

उदित नारायण शर्मा,
राजस्व मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० २९ एल० ए०-१९७२-८४५—(मैग०)